ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

अगस्त, 2003 मूल्य: 15 रुपये

आर्थिक विकास का नया दौर

ADMISSION NOTICE **MAIN-CUM-PRELIM** *2004-05*

GS सामान्य अध्ययन

(हिन्दी माध्यम)

An ISGS *Vision*

मात्र २½ वर्षों में सफलता के कई सोपान स्थापित करने के बाद **MIPS Education** अब हिन्दी माध्यम के छात्रों के सामान्य अध्ययन में आ रहे कठिनाइयों को देखते हुए पूरी तैयारी के साथ सामान्य अध्ययन (हिन्दी माध्यम) के प्रशिक्षण व सही मार्ग दर्शन के लिए पूरी तरह तैयार है।

The Best Ever Team in IAS-GS Training *(Hindi Medium)*

- इतिहास व संस्कृति- वाई. डी. मिश्रा (Y D Misra's IAS)
- भारतीय राजव्यवस्था- मनोज कुमार सिंह (Director-ALS, YD Misra's IAS, Interactions, MIPS Education) व मनोज सोमवंशी (Director- M Rao's IAS)
- भारतीय अर्थव्यवस्था- प्रशान्त कु. झा (105th Rank holder in IAS 2002 Result)
- भारतीय भूगोल- महेश कुमार बर्णवाल (भूगोल: एक समग्र अध्ययन के लेखक व 1997 के सफल प्रत्याशी) व आलोक शर्मा
- विज्ञान व प्रौद्योगिकी / सांख्यिकी- ए. के. सिंह (Director- Institute of Mathematical Sciences, Editor-Mathematics Plus, Physics Plus) व अन्य विशेषज्ञ
- सामाजिक मुद्दे- रंजना सबरवाल (Sociology Course Director at MIPS)
- समसामयिक घटनायें- ए. झा, सुप्रियो व अन्य

हमारी योजना

- नए सिलेबस के अनुरूप अध्ययन के स्रोत की सही जानकारी व उसके अनुरूप आपको प्रशिक्षित करना
- 400 घंटे की Class Training
- संबंधित क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक
- पूर्ण परिमार्जित अध्ययन सामग्री
- Prelims के लिए सप्ताह में तीन Test की व्यवस्था
- निबंध लेखन अभ्यास

... और इससे भी अधिक।

सबसे महत्वपूर्ण योजना

- श्री **Y D Misra** द्वारा सामान्य अध्ययन के विभिन्न विशेष पहलूओं पर लक्षित विश्लेषणात्मक व्याख्या।
- **Shashank Atom** (Editor-in-Chief Competition Wizard & Director - ALS, Interactions) व **Jojo Mathews** (Director - ALS, Interactions) द्वारा हमारे विद्यार्थियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला व प्रशिक्षण की व्यवस्था कार्यक्रम के आरंभ में।

Mains-cum-Prelims GS Foundation Package

21 **जुलाई से प्रारंभ होगी। कोर्स की अवधि: 5 महीने (21 जुलाई से 31 दिसम्बर)**

सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा) के पत्राचार कार्यक्रम 1 अगस्त 2003 से शुरू।

समाज शास्त्र by **Ranjana Subberwal**

***Batches Begin* - July 25, 2003**

भूगोल by **Mahesh Barnwal**

***Batches Begin* - July 25, 2003**

GS Programme Director - Manoj K. Singh

(**Director:** Y D Misra's IAS, ALS, Interactions, MIPS Education)

ALS Alternative Learning Systems

Concessional Schemes for SC/ST available

Corporate Office: **ALS Pvt Ltd**, B-19, Satija House, Commercial Complex, Dr Mukherjee Nagar, Delhi - 110009.

27651700, 27651110, 27652738, 9810345023

MIPS EDUCATION

A Division of ALS

योजना

वर्ष : 47 अंक 5 अगस्त, 2003 श्रावण-भाद्रपद, शक संवत् 1925

प्रधान संपादक
विश्वनाथ रामशेष

सहायक संपादक
योगेन्द्र दत्त शर्मा

उप संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666/2508, 2566
ई-मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 23387069
दूरभाष फैक्स : 23387983

आवरण
दीपायन मैत्रा

इस अंक में

• भारत के 56 साल	के.के. खुल्लर	4
• नई धारा के आर्थिक विकास में वित्त क्षेत्र के सुधार	हरजीत अहलूवालिया	10
• चेतन समाज के रूप में भारत	के. वेंकटसुब्रह्मण्यन	14
• प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्द्धा क्षमता : वैश्विक परिप्रेक्ष्य	एस.ए. खादर	18
• कार्पोरेट क्षेत्र में सुधार और आर्थिक विकास कार्यक्रम के नए दौर में विकास	जी. श्रीनिवासन	23
• आर्थिक विकास के नए परिवेश में महिला उद्यमियों का योगदान	सी. जयंती	26
• आर्थिक विकास का नया दौर 1999-2003	जितेंद्र गुप्त	29
• केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्वर्ण जयंती	मृदुला सिन्हा	32
• सुरक्षा और मानव-विकास दृष्टि—2050 (भारत)	राजीव शर्मा	35
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय नेतृत्व की भूमिका	राजेन्द्र प्रभु	37
• तेल सुरक्षा की दिशा में आत्मनिर्भरता	राम नाईक	42
• नई बुलन्दियों की ओर	के. राजेन्द्र नायर	47
• महत्वपूर्ण क्षेत्र में आशा भरे संकेत	रबीन्द्र सेठ	50
• राष्ट्रीय रेल विकास योजना	नीतीश कुमार	54
• श्री वाजपेयी का पांच साल का कार्यकाल	के.जी. जोगलेकर	57
• स्थिर राजतंत्र से विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी	एस. सेथुरमन	62

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगू** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। नई सदस्यता के नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :-

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; **द्विवार्षिक** : 135 रु.; **त्रैवार्षिक** 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें : **पड़ोसी देश** : 500 रु., **यूरोपीय एवं अन्य देश** : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

KALP ACADEMY

The Citadel of Excellence for the Civil Service Examination

We kalp your dreams into reality.

INTRODUCES

The Most Personalized Coaching*

in

GENERAL STUDIES

POLITICAL SCIENCE	ECONOMICS
COMMERCE	PUBLIC ADMINISTRATION
PSYCHOLOGY	GEOGRAPHY
HISTORY	SOCIOLOGY
BOTANY	ZOOLOGY
PHYSICS	MATHEMATICS
PHILOSOPHY	HINDI LIT.
ENGLISH LIT.	SANSKRIT LIT.
LAW	CHEMISTRY

for

IAS 2003-04

BATCHES FROM 30th JULY & 5th AUGUST 2003

*Ask "what's this" to the Counsellor at

A 38-40, Near Mother Dairy [Safal]
Ansal Building, Commercial Complex
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009.
Ph : 011-27655825, 27655826, 20054802
Cell : 0-9810565283, 9868024975

सम्पादकीय

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना

"भारत उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारी कुछ समस्याएं भी हैं। लेकिन इनसे संभावनाओं की चमक धूमिल नहीं हो जाती..."

ये शब्द हैं प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब हमारे देश के हर क्षेत्र, हर समुदाय और हर नागरिक को प्रगति और खुशहाली के फल चखने का मौका मिलेगा। और यह कोई असंभव-सा सपना भी नहीं है।

सबसे पहले गांधीजी ने भारतीय लोकतंत्र की परिकल्पना संतुलित विकास के साधन के रूप में की थी। वे चाहते थे कि हमारी व्यवस्था देश में सबसे गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करे। गांधीजी की परिकल्पना से ही इस देश में अंत्योदय जैसे कार्यक्रमों की शुरूआत हुई है। 25 दिसम्बर, 2001 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'अंत्योदय अन्न योजना' का शुभारंभ किया जो कि गरीबों को खाद्य-सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। इसके अंतर्गत 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य है जिन्हें हर महीने प्रति व्यक्ति 35 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। उन्हें 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाएगा।

किसी भी विकास कार्यक्रम की सफलता का आकलन मानव विकास सूचकांक से लगाया जाता है। दसवीं योजना में विकास के मानदंड परिभाषित कर दिए गए हैं और मानव विकास को महत्वपूर्ण अपकेंद्री बल के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन मानव विकास में सबसे बड़ी बाधा गरीबी है। गरीबी अपने-आप में एक अभिशाप है और विकास प्रक्रिया के लिए एक बड़ी बाधा है। परंपरागत रूप से गरीबी की परिभाषा हमेशा आमदनी या उपभोग को आधार बना कर की जाती रही है। लेकिन जो बात सबसे अधिक मायने रखती है वह है—मुद्रास्फीति और जीवन-स्तर सूचकांक पर इसके असर को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की क्रय शक्ति क्या है?

गरीबी उन्मूलन को योजना का मुख्य लक्ष्य मानकर भारत में नियोजित आर्थिक विकास की स्वर्ण जयंती की शुरूआत हो चुकी है। विभिन्न योजनाओं के विभिन्न सूचकांक निर्देशक निर्धारित किए गए हैं और उनके आधार पर प्रगति और विकास का मॉडल तैयार किया गया है जैसे—कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और साक्षरता, लेकिन इन सबमें गरीबी उन्मूलन सर्वव्यापी लक्ष्य रहा है और यह समूची नियोजन प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 1980 के दशक के बाद के वर्षों में भूमंडलीकरण, उदारीकरण, बाजार के अनुकूल नीतियों और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय जैसी अवधारणाओं का सूत्रपात हुआ और 1990 के दशक में इनमें तेजी आई। इनमें भी गरीबी के कारण कम आमदनी-कम उपभोग-कम बचत-कम निवेश-और कठोर ढांचे वाली अर्थव्यवस्था की वजह से कम पूंजी निर्माण के दुश्चक्र को तोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को गतिशीलता के उच्चतर स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

आर्थिक विकास का दूसरा दौर पिछली सहस्राब्दी के अंतिम वर्षों में प्रारंभ हुआ और इससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए हैं। गरीबी और बेरोजगारी इसके ताने-बाने का आधार हैं। 10,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' सितम्बर 2001 में प्रारंभ हुई। यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ी काम-के-लिए-अनाज कार्यक्रम है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल एक अरब दिहाड़ियों के बराबर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

जहां तक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का सवाल है, 2000-2001 के दौरान 73.3 लाख दिहाड़ियों का रोजगार उत्पन्न किया गया। 2001-2002 में 78.6 लाख और 2002-2003 में 82.7 लाख (अस्थाई) दिहाड़ियों का रोजगार उत्पन्न किया गया।

योजना आयोग द्वारा जारी इन आंकड़ों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक करोड़ नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के सरकार के संकल्प से तो ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने में गरीबी और बेरोजगारी को मुख्य आधार बनाते हुए विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकताएं निर्धारित कर दी गई हैं, लेकिन पिछले पांच वर्षों में आर्थिक विकास की जो नई लहर आई है उसमें आशा की एक चमकती किरण इस साल जून के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के ठोस नतीजों के रूप में दिखाई दी है। सीमा विवाद और अन्य द्विपक्षीय मसलों के सार्थक समाधान के प्रयासों के साथ ही श्री वाजपेयी ने शंघाई में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने भारतीय साफ्टवेयर और चीनी हार्डवेयर के बीच समन्वय के माध्यम से विश्व सूचना टेक्नोलॉजी उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की बात कही है। इस प्रयास को अगर विकास और प्रगति के लिए दो महान देशों के एकजुट होकर कार्य करने के प्रयास के समग्र परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह आर्थिक विकास की नई लहर लाने के सरकार के प्रयासों का सबसे आकर्षक पक्ष लगता है।

—प्रधान संपादक

भारत के 56 साल

○ के.के. खुल्लर

अपने जीवन के 56वें साल में प्रवेश कर चुके भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस तरह परम्परा और आधुनिकता, विकास और नैतिकता, परिकल्पना और वास्तविकता तथा देश की अखंडता और मूल्य प्रणाली के बीच संतुलन कायम रखा जाए।

यों तो भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं कई शताब्दियों पुरानी हैं, लेकिन अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक परम्पराओं के 56 वर्ष होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां आधुनिक लोकतांत्रिक परंपराओं पर वास्तविक रूप में अमल हो रहा है। इतना ही नहीं हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे जीवंत और सबसे सशक्त लोकतंत्रों में से एक है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां असहमति का पूरा सम्मान किया जाता है और सभी विश्वास तथा आस्थाओं को महत्व दिया जाता है। यह ऐसा लोकतंत्र है जहां ताकतवर लोग न्यायोचित व्यवहार करते हैं और कमजोर सुरक्षित हैं।

उत्पत्ति और परंपरा

'डिमोक्रेसी' यानी लोकतंत्र शब्द यूनानी भाषा का है। शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान के अनुसार यह शब्द यूनानी के 'डिमोक्रेटिया' से उत्पन्न हुआ है। 'डिमोस' का अर्थ है लोग और 'क्रेटोस' का मतलब है शासन। संयुक्त रूप से दोनों शब्दों का अर्थ है 'जनता का शासन'। यूरोपीय और अमेरिकी विद्वान लोकतंत्र का मूल प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में तलाशते हैं। भारत के संस्कृत विद्वानों का दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र का मूल प्राचीन भारतीय ग्राम पंचायतों में खोजा जा सकता है। ब्रिटिश विद्वान *हैवेल* और जर्मन शिक्षाविद *कीथ* के अनुसार मौर्य शासन से पूर्व लिच्छवी और मल्ल जैसे भारतीय गणराज्य एथेंस और अन्य नगर राज्यों से पहले की लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण हैं। लेकिन जहां ईसा से पांच शताब्दी पूर्व के एथेंस में महिलाओं और मेहनत मजदूरी करने वाले वर्ग को बराबरी का अधिकार नहीं था वहीं वैदिक भारत में इन वर्गों के लोग शासन में बराबरी की भूमिका निभाते थे।

नियोजित अर्थव्यवस्था

भारत के संविधान ने देश को नए लोकतंत्र और नए राष्ट्र की दिशा में अग्रसर करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां ही तैयार नहीं की हैं बल्कि इसकी दिशा भी निर्धारित कर दी है। पिछले 50 वर्षों में संविधान के विभिन्न प्रावधानों के जरिए और खासतौर पर 78वें संविधान संशोधन से आज भारत ऐसा आत्मनिर्भर देश है जिसकी अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध, संरक्षित और नियंत्रित है। पहली पंचवर्षीय योजना में विकास दर 3.5 प्रतिशत थी जो कि आज 7 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गई है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारी निवेश दर 12 प्रतिशत थी जो कि आज 25 प्रतिशत हो गई। पिछले पांच दशकों में औसत अनुमानित आयु बढ़कर दुगनी हो गई है और मृत्युदर में भी भारी गिरावट आई है। साक्षरता की दर जो संविधान के लागू होते समय 17 प्रतिशत थी आज 75 प्रतिशत हो गई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में देश का तकनीकी और औद्योगिक आधार सुदृढ़ हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे का जबर्दस्त विस्तार हुआ है और गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाली आबादी में काफी कमी आ गई है।

जहां तक रोजगार का सवाल है हमारे योजना निर्माता ने इसे गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे अच्छा उपाय माना है। 2002 से 2007 तक की दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रधानमंत्री ने रोजगार के 5 करोड़ अवसर जुटाने का वादा किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या कम करने और सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6 प्रतिशत करने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री के ही शब्दों में—हमारे सामने मुद्दा यह नहीं है कि हम उच्चतर विकास दर का लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं या नहीं, बल्कि असली मुद्दा यह है कि हम ऐसा कर पाने की स्थिति में हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हमें नए भारत से गरीबी, निरक्षरता और निराश्रयता का नामोनिशान मिटाना है और अगर क्षेत्रीय, सामाजिक और स्त्री-पुरुष असमानता का अंत करना करना है तो विकास की न्यून दर कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री

लोक प्रशासन
(हिन्दी माध्यम)

By **Atul Lohiya**

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS
HISTORY & PUB. ADMINISTRATION

ADMISSION OPEN

NEXT BATCH
AFTER UPSC (PRE.) RESULT & 20th AUGUST, 2003

लोक प्रशासन का चयन
उचित निर्णय
और
व्यावसायिक दृष्टिकोण

लोक प्रशासन

Mains के साथ-साथ
Pre. के लिये भी
बेहतर विकल्प

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

MAINS - 2,000/-
MAINS + PRE. - 3,000/-
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

There's never a wrong time, To do the Right Thing

Alok Lall (Director) - 9818330979

NEW ADDRESS FROM Ist JUNE, 2003

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

FLAT No. 105, Ist FLOOR, VIRAT BHAWAN COMM. COMPLEX, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9 • Ph.: 27655134. CELL.: 9810651005

At Allahabad : "INSEARCH", Opp. D.J. Hostel, Near Anand Bhawan. Ph.: 0532-2467708

Abhiyukti

ने कहा कि विकास को जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए और दसवीं पंचवर्षीय योजना को जनता की योजना बनाया जाना चाहिए।

राजनीतिक लोकतंत्र

पिछले पांच दशकों में राष्ट्र ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के गौरवशाली प्रावधानों का पालन किया है। अब तक 13 आम चुनाव हुए हैं और ये सब स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आयोजित किए गए। एक सरकार से दूसरी सरकार को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया बड़े सुचारु रूप से संपन्न होती रही है। हमारे देश में मतदाताओं की संख्या दुनिया में किसी भी देश में मतदाताओं की संख्या से अधिक है। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु इस समय 18 वर्ष है। मतदाता सूचियों का नियमित रूप से संशोधन किया जाता है। बहुदलीय चुनाव प्रणाली ने देश में विपक्षी पार्टियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सच्चे लोकतंत्र में विपक्ष लोकतंत्र की रीढ़ ही नहीं, बल्कि उसकी आधारशिला भी होता है। संसदीय समिति प्रणाली ने सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की है।

संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों ने भारत के लोगों को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया है। हमारे श्रम कानूनों में औद्योगिक मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधाओं, महिला श्रमिकों को मातृत्व संबंधी सुरक्षा, भविष्य निधि और घायल होने पर मुआवजे की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सामूहिक बीमा और कल्याण कोष योजनाएं भी लागू की जा रही हैं।

सिविल सेवाओं को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है ताकि अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी, निष्पक्षता और बिना किसी डर के कर सकें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अदालतों की गरिमा का सम्मान किया जाता है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों से देश में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में नया अध्याय जुड़ा। इन संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार समाज के सबसे निचले स्तर लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होगी। पंचायत राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की नियमित और अनिवार्य व्यवस्था करके इन संस्थाओं को देश के लोकतांत्रिक ढांचे में उचित स्थान प्रदान किया गया है। इसके पीछे बुनियादी सोच यह है कि समाज के सबसे निचले स्तर पर रहने वालों को ही इस बात का पता सबसे अच्छी तरह से होता है कि उनकी अपनी आवश्यकताएं क्या हैं। हमने अपनी विविधता और एकता की रक्षा ही नहीं की है बल्कि लोकतंत्र के माध्यम से अपनी सभ्यता में विविधता में एकता के भाव को सुदृढ़ भी किया है। सरकार ने संविधा के कार्यसंचालन पर विचार करने और इसके ढांचे, विशिष्टताओं, संरचना और संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से बिना कोई छेड़छाड़ किए संशोधन के सुझाव देने के लिए 13 फरवरी, 2000 को एक आयोग नियुक्त किया।

महिला सशक्तीकरण

भारतीय संस्कृति में महिलाओं को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। वैदिक युग में पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय उसे आशीर्वाद देता था कि वह सार्वजनिक बहस और कलाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करे। भारत के संविधान में भी नागरिकता, वयस्क मताधिकार और मूल अधिकारों के आधार पर सभी पुरुषों और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 में की गई व्यवस्था के अनुसार : 'राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो'।

इसी के अनुसार महिलाओं में जागरूकता पैदा करने, शिक्षा के प्रसार और उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और संस्थाएं गठित की गई हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं : 'महिला समाख्या', 'महिला कोष', 'इंदिरा महिला योजना', 'महिला समृद्धि योजना' आदि। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह प्रावधान है जिसके अनुसार पंचायतों और शहरी स्थानीय संस्थाओं में एक तिहाई सीटें महिला उम्मीदवारों से सीधे चुनाव के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई है। कई राज्य सरकारों ने सार्वजनिक सेवाओं में 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए हैं। लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए 81वां संविधान संशोधन विधेयक महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है।

शिक्षा

शिक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिरता की कुंजी है। लोकतंत्र के फायदों का आकलन शिक्षा के क्षेत्र को देखकर किया जा सकता है जिसका खर्च रक्षा खर्च के बाद सबसे अधिक है। औपनिवेशिक शासन से बिरासत में मिले शैक्षिक पिछड़ेपन से शुरुआत करके आज भारत ऐसा देश बन गया है जहां छात्रों, अध्यापकों तथा शिक्षा संस्थाओं की संख्या की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी शैक्षिक प्रणाली है।

देश भर में आठवीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त है। लड़कियों के लिए बारहवीं तक निशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ राज्यों में लड़कियों के लिए डिग्री तक की शिक्षा मुफ्त है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था, बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। हालांकि संविधान में राष्ट्रीय शिक्षा

I.A.S. 2003-04

दर्शनशास्त्र

सर्वाधिक लोकप्रिय एवं अंकदायी विषय

द्वारा

धर्मेन्द्र कुमार

पिछले पांच बैचों की लगातार शानदार सफलता के पश्चात्
अब अपने स्वयं की संस्था की स्थापना एवं अग्रगमन

हमारा पक्ष ↓ कार्य	आपका पक्ष ↓ परिणाम
1. सम्यक् मार्गदर्शन	क्या पढ़ें?, कैसे पढ़ें?, कहाँ से पढ़ें? और कितना पढ़ें जैसी समस्याओं से निवृति
2. परिष्कृत, प्रमाणित एवं पर्याप्त विषय-सामग्री	समय, उर्जा एवं संसाधन की बचत, अंकों की अधिकता
3. नियमित जाँच परीक्षा एवं लेखन-अभ्यास	अभिव्यक्ति की क्षमता में सुधार, गलतियों की पहचान एवं उनका निराकरण
4. सतत् सार्थक सहयोग (परीक्षा के दौरान अत्यन्त उपयोगी)	आत्मविश्वास में वृद्धि, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता

➡ **राजस्थान लोकसेवा आयोग** द्वारा आयोजित ''प्रारंभिक परीक्षा'' (Preliminary Exam) हेतु **''दर्शनशास्त्र'' (Philosophy)** के लिए विशेष बैच प्रारंभ : 21 अगस्त। (समयावधि (Duration) : 30 दिन)

पत्राचार कार्यक्रम (Correspondence Course)

संस्थान ने **दर्शनशास्त्र (मुख्य परीक्षा)** हेतु परिष्कृत सामग्री की व्यवस्था की है। जो अभ्यर्थी व्यस्तता, असमर्थता या किसी अन्य कठिनाई के कारण दिल्ली आकर कक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते, वैसे अभ्यर्थी पत्राचार के माध्यम से इस सम्पूर्ण सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। पत्राचार कार्यक्रम की विशेषता होगी:-

1. *सुव्यवस्थित एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री*
2. *प्रश्नोत्तर जांच की व्यवस्था*
3. *पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों का क्रम-वार संग्रह*
4. *समय-समय पर यथोचित मार्गदर्शन*

पत्राचार सामग्री को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि का दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट, "Dharmendra Kumar" के नाम भेजें।

पत्राचार कार्यक्रम का शुल्क : 2600/-

I.A.S. PATANJALI

PATANJALI

2580, HUDSON LINE, KINGSWAY CAMP, DELHI-110009
PH. : 27402108, MOBILE : 9811583851

Abhivyakti

प्रणाली के मूल सिद्धांतों की परिकल्पना की गई है, लेकिन इसके साथ ही हमारी शिक्षा प्रणाली में यह बात अंतर्निहित है कि एक निश्चित स्तर तक सभी विद्यार्थियों को जाति, वंश, स्थान लिंग के भेदभाव के बिना एकसमान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ कराई जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा 14 वर्ष तक की उम्र के हर बच्चे का मूलभूत अधिकार है।

भारत में 6 लाख से अधिक प्राइमरी स्कूल और 1.80 लाख अपर प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें करीब 15 करोड़ बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह देश में बच्चों की कुल संख्या में से करीब 91 प्रतिशत को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए घर से एक किलोमीटर से ज्यादा न जाना पड़े। जहां तक मुक्त और अनौपचारिक शिक्षा का सवाल है इस तरह की शिक्षा घर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। परिणामस्वरूप जहां बच्चे किसी न किसी कारण से स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हैं वहां स्कूल उनके आंगन तक आ गया है। देश भर में 2.80 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनमें 70 लाख नाम दर्ज हैं जिनमें से 30 लाख लड़कियां हैं। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति बहुत ही लचीली है। यह बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसमें विद्यार्थी के परिवेश का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसकी एक और खूबी यह है कि इसमें शिक्षा को उन लोगों तक निश्चित रूप से पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो शिक्षा की परिधि से बाहर हैं। इसमें ऐसे सभी स्थानों को शामिल किया गया है जहां स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ कर गए बच्चों, कामकाजी बच्चों और खेतिहर मजदूरों के बच्चों को भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा के दायरे में लाया गया है। यह रणनीति भारत के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 10 राज्यों के झुग्गी-झोंपड़ी इलाकों, मरुस्थलीय क्षेत्रों, तटवर्ती इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों आदि में सफल रही है।

जहां तक प्रौढ़ साक्षरता का सवाल है 1988 में गठित 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' ने देश से निरक्षरता के कलंक को दूर करने के भगीरथ प्रयास प्रारंभ किए। अब तक दस करोड़ प्रौढ़ निरक्षर लोगों को पढ़ने-लिखने का कार्यसाधक ज्ञान देने के लक्ष्य की तुलना में 5.6 करोड़ लोगों को साक्षर बनाया जा चुका है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा निर्धारित पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005 तक भारत पूर्ण साक्षर देश बन जाएगा। इस तरह भारत एक ज्ञानवान समाज की दिशा में अग्रसर हो रहा है और अपर प्राइमरी स्तर तक की औसत शिक्षा का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। जहां 1947 में देश में केवल 17 विश्वविद्यालय थे वहीं आज 243 विश्वविद्यालय और 8000 कॉलेज हैं जिनमें 50 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा संस्थाओं में नाम दर्ज कराने वाले कुछ विद्यार्थियों में से 12 प्रतिशत दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे देश में 35,000 शिक्षक हैं जो कि किसी भी एक देश में शिक्षकों की अधिक संख्या है।

लेकिन इसके बावजूद देश में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। इसी तरह प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या भी बहुत बड़ी है और शिक्षित बेरोजगारों सहित बेरोजगार लोगों की बड़ी भारी फौज है। गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार को सबसे अच्छा उपाय माना गया है। इसके लिए दसवीं योजना में जो नीति अपनाई जा रही है उसके अनुसार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कौशल, टेक्नोलॉजी, बाजार और आर्थिक विकास की ऊंची दर को बढ़ावा मिले। शिक्षा की ही तरह हमारी जनसंख्या वृद्धि दर, साक्षरता में वृद्धि की दर से बहुत अधिक है। इस कारण रोजगार के अवसरों में जिस दर से वृद्धि हो रही है वह हमारी श्रम शक्ति की विकास दर की तुलना में बहुत कम है। हमारे विश्वविद्यालयों और कालेजों से जो स्नातक पढ़ कर बाहर आते हैं हमारी अर्थव्यवस्था उन्हें रोजगारों में खपाने की स्थिति में नहीं है। हमें जहां रोजगार के अवसर जुटाने की वार्षिक दर को दुगना करना होगा, वहीं ऐसे इलाकों में बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल खोलने होंगे जहां अब तक कोई स्कूल नहीं है।

तकनीकी प्रशिक्षण और श्रम शक्ति

भारत दुनिया में सबसे अधिक संख्या में स्नातक और कुशल श्रमिक भी तैयार करता है। भौतिक और मौलिक विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स और महासागर विज्ञान जैसे क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां शानदार रही हैं। दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजीविदों की जबर्दस्त मांग है। हमारे छह टेक्नोलॉजी संस्थान और विज्ञान संस्थान विश्व की श्रेष्ठतम संस्थाओं में गिने जाते हैं।

संस्कृति

संस्कृति जो कि संभ्रांत लोगों का विशेषाधिकार मानी जाती थी अब जन सामान्य के सरोकार की बात बन गई है। इसका पूरी तरह लोकतांत्रीकरण हो गया है। संस्कृति के क्षेत्र में अंग्रेजों ने खुद ही देरी से प्रवेश किया था, इस कारण वे भारत की शास्त्रीय कलाओं के महत्व को नहीं समझ पाए थे। *लॉर्ड मैकाले* जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, कहा करते थे कि *जॉन मिल्टन* की एक कविता के आगे पूर्व का समूचा साहित्य बेकार साबित हो जाता है।

स्वतंत्रता के बाद देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ। भारत सरकार का संस्कृति विभाग जनता की भागीदारी और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से कई

कार्यक्रम आयोजित करता है। सातवीं योजना के दौरान 1985 से 1987 में सरकार ने सात आंचलिक सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना दीमापुर, नागपुर, उदयपुर, इलाहाबाद, पटियाला, कलकत्ता और तंजावूर में की। ये केंद्र लोक और जनजातीय कलाओं के प्रचार-प्रसार के लिए अग्रणी क्षेत्रीय संस्थाओं का रूप ले चुके हैं। ये सृजनात्मक सांस्कृतिक संचार में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क सेतु के निर्माण में विशेष रूप से बल देते हैं। भारत की सामासिक संस्कृति को सुदृढ़ करने में उनका बड़ा योगदान रहा है।

तीन राष्ट्रीय अकादमियां-साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, और संगीत नाटक अकादमी तथा राज्यों में भी इसी तरह की संस्थाओं ने सच्ची लोकतांत्रिक भावना से भारतीय कलाओं का प्रचार-प्रसार किया है। शिक्षा में भी सांस्कृतिक तत्वों का समावेश किया गया है।

सूचना टेक्नोलॉजी

लोकतंत्र का अर्थ है पारदर्शिता और पारदर्शिता का मतलब है सूचना का अधिकार। उद्योग के क्षेत्र में जबर्दस्त प्रगति और विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई उन्नति से भारत सूचना क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है। इस संबंध में भारत एशिया का अग्रणी देश तो पहले ही बन चुका है।

सूचना टेक्नोलॉजी मानव जीवन के हर क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। जहां शिक्षा से ज्ञानवान समाज का निर्माण हो रहा है, वहीं सूचना टेक्नोलॉजी इसे ज्ञान पर आधारित बनाने के प्रयास कर रही है। इस तरह एक नई जागृति पैदा हो रही है और उसके साथ ही हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में इसका उपयोग बढ़ रहा है। यह बड़ी तेजी से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बना रही है।

देश में उपलब्ध 6 लाख से अधिक सार्वजनिक टेलीफोनों/पी.सी.ओज. को टेलीइन्फो केन्द्रों में बदलने का प्रस्ताव है। इनके माध्यम से कई तरह की मल्टी मीडिया सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 2003 तक हर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक और आई.टी.आई. में एक कम्प्यूटर और इंटरनेट सुविधा अवश्य उपलब्ध करा दी जाएगी। पुस्तकालयों और चिकित्सालयों से संबंधित सेवाओं का बड़ी तेजी से कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। बैंकों ने तो अपने काम-काज में कम्प्यूटरों के उपयोग में पहल ही की है। वर्तमान एस.टी.डी./आई.एस.डी. कन्द्रों को पूर्ण सूचना केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

टेलीफोन कनेक्शन लेना, पासपोर्ट प्राप्त करना तथा रेलगाड़ियों और विमानों में आरक्षण कराना अब बड़ा आसान हो गया है। नियमों और विनियमों में ढील दी जा रही है और जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया है। सभी प्रकार के सुधारों में चाहे वे सामाजिक हों, आर्थिक हों या राजनीतिक उनमें आम आदमी को केंद्र बनाया जा रहा है। इस तरह भारत सूचना टेक्नोलॉजी और साफ्टवेयर के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

विगत वर्षों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के प्रचार-प्रसार में रेडियो, टेलीविजन और भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इनसैट) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां देश की करीब 97 प्रतिशत आबादी रेडियो के प्रसारण के दायरे में आ जाती है वहीं 85 प्रतिशत लोग टेलीविजन कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। यह बात तय है कि 21वीं शताब्दी में उनकी और भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

और अंत में पंथनिरपेक्षता का उल्लेख करना भी यहां उचित होगा जो कि हमारे लोकतंत्र और विकास की रीढ़ है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ धार्मिक निरक्षरता नहीं है और न इसका मतलब नास्तिकता से है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व को नकारना भी नहीं है जैसा कि पश्चिम में माना जाता है। भारत में पंथनिरपेक्षता का अर्थ सभी देवी-देवताओं के अस्तित्व की स्वीकृति है और इसमें सभी आस्थाओं और विश्वासों के प्रति समान सम्मान की भावना अंतर्निहित है। लोकतंत्र की तरह पंथनिरपेक्षता एक तरह की कार्यकुशलता, एक तरह का अनुशासन, एक तरह की ईमानदारी, एक तरह की निष्ठा और एक तरह की कर्तव्यपरायणता है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि परलोक सुधारने के अपने प्रयास में हम इस लोक में ही उस ऊंचाई पर कायम नहीं रह पा रहे हैं जहां तक हमें बने रहना चाहिए था। इसलिए जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।

अपने जीवन के 56वें साल में प्रवेश कर चुके भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस तरह परंपरा और आधुनिकता, विकास और नैतिकता, परिकल्पना और वास्तविकता, देश की अखंडता और मूल्य प्रणाली के बीच संतुलन कायम रखा जाए। इस प्रयास में हमारी सबसे मजबूत कड़ी, मानवीय कड़ी है और देश को इस बात का अहसास होना चाहिए कि राष्ट्र की असली संपत्ति बैंकों या स्वर्ण भंडारों में नहीं है बल्कि यह देश के प्राथमिक स्कूलों में निहित है। मनुष्य ही वह धुरी है जिसके चारों ओर समूचा विकास घूमता है मनुष्य का अस्तित्व उत्पादन के लिए नहीं है बल्कि उत्पादन मनुष्य के लिए है। इसके पीछे धारणा यह है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में भारत का कोई भी बच्चा स्कूली शिक्षा से वंचित न रहने पाए देश में कोई भी वयस्क निरक्षर न रहे और कोई भी नौजवान बेरोजगारी का सामना न करे। ❑

(प्रतिष्ठित स्वतंत्र लेखक।)

नई धारा के आर्थिक विकास में वित्त क्षेत्र के सुधार

○ हरजीत अहलूवालिया

लगभग 2 करोड़ छोटे निवेशकों और पेंशनधारकों को प्रभावित करने वाले यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यू टी आई) में हो रही खुराफात से व्यवस्था के हिल जाने के बाद, सरकार ने वित्तीय क्षेत्र संस्थानों और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए। इस प्रकार यू टी आई का पुनर्गठन हुआ, जिसके लिए सरकार ने पूरा आश्वासन दिया और विभिन्न योजनाओं के तहत यूनिटों की पुनर्खरीद की गारंटी दी। इनमें यूएस-64 भी शामिल थी।

पांच साल पहले सत्ता संभालने पर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने दूसरी पीढ़ी के सुधार आरंभ करने का राष्ट्र से वायदा किया था। इन सुधारों का एक अभिन्न अंग वित्तीय क्षेत्र में उन्नति को बनाया जाना था, जिससे आधारभूत संरचना और आवासीय परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था बेहतर बन सके तथा साथ ही लोगों का, विशेषकर समाज के निर्धनतम वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके।

आईएफसीआई के लिए पुनर्गठन कार्यक्रम और आईडीबीआई के निगमीकरण के काम भी वित्तीय संस्थानों में नई जान फूंकने के एजेंडे में शामिल है। वित्तीय क्षेत्र को पूंजी और ऋण बाजारों में निवेशक के विश्वास से काफी हद तक स्थायित्व मिलता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम के संशोधनों से इस क्षेत्र को अधिक धार मिली है। इन संशोधनों में बोर्ड सदस्यों की संख्या को बढ़ाना (उनमें से कम से कम तीन को पूर्णकालिक सदस्य बनाना), कड़े दंड, तीन सदस्यों वाला प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण आदि शामिल हैं।

सरकार ने आम नागरिक को ठोस प्रतिभूतियों (गिल्ट्स) में कारोबार करने में मदद करने तथा बाजार को मजबूत (गहरा) बनाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा खरीद कारोबार शुरू कर दिया।

विदेशी संस्थागत निवेशक अब कारोबारी सदस्यों की कारोबारी सीमाओं और डिरिवेटिव्स बाजार में उनके ग्राहकों की शर्त पर एक्सचेंजों में कारोबार वाले सेबी द्वारा मंजूर सभी डिरिवेटिव्स उत्पादों में कारोबार कर सकते हैं। म्यूचुअल फंडों को भी उन देशों में रेटिड प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दे दी गई है जहां पूर्णतया परिवर्तनीय मुद्राएं हैं। इस संबंध में मौजूदा सीमाओं तथा रेटिंग के कड़े मापदंडों का पालन करना होगा। सभी सूचीबद्ध शेयरों को सभी निवेशकों के लिए डिमैटीरियलाइज्ड फार्म में अनिवार्य रूप से ट्रेड सैटलमेंट के लिए सूची में डाल दिया गया है। मूल बाजारों तक पहुंच को अधिक कड़ा कर दिया गया है। पात्रता मापदंडों को पहले से अधिक कठोर बना दिया गया है। निवेशकों की शिकायतों के निपटान के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, इस दिशा में नियामक एजेंसियों के प्रयासों में तालमेल रखेगा। सरकारी प्रतिभूतियों के सौदों को क्लीयर करने तथा निपटाने के लिए क्लीयरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने काम करना शुरू किया है।

बैंकिंग क्षेत्र और सरकारी प्रतिभूतियों, दोनों ही के ब्याज की दरों में काफी गिरावट ऋण लेने के परिदृश्य की विशेषता रही है, जब तक जमा की दरें भी बड़ी तेजी से नीचे (साउथ वार्ड) आई हैं। ऋण देने की दरें आजकल 8-12 प्रतिशत के दायरे में मंडरा रही है। उधर आवास ऋण क्षेत्र में परिवर्तनशील (फ्लोटिंग) दरें धीरे-धीरे स्वीकार्य होने लगी हैं। बैंकिंग गतिविधि का एक बढ़ता हिस्सा रिटेल ऋणों के रूप में है, जिससे उपभोग बढ़ने की रफ्तार में तेजी आ रही है। सरकारी प्रतिभूतियों की दरें भी लगभग 12 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत के आस-पास आ गई हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश से बढ़ती आमदनी के बूते पर बैंकों तथा अन्य वित्तीय संगठनों की आमदनी छलांगें मार रही है।

कर सुधार

कर प्रशासन में सुधार तथा करों की दरों को तर्कसंगत बनाने के क्षेत्र में सरकार ने कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री के सलाहकार डा. विजय केलकर को प्रत्यक्ष

करों और अप्रत्यक्ष करों पर दो अलग-अलग कार्यबलों का नेतृत्व का जिम्मा सौंपा गया। उन्हें देश में कराधान प्रणाली और कर प्रशासन में और सुधार सुझाने तथा बजट निर्माण प्रक्रिया की जटिलता को दूर कर अधिक पारदर्शी बनाने को कहा गया था, ताकि बजट पर प्रबुद्ध चर्चा हो सके।

कार्यबलों की सिफारिशों में सुझाए गए अधिकांश उपायों पर सरकार अमल कर रही है। स्थाई खाता संख्या (पैन) और कर सूचना नेटवर्क के जरिए उच्च मूल्य के सौदों का डाटा बैंक बनाने, आवेदन, रिटर्न आदि देने के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्मों की संख्या आधी करके करदाता की अनुपालन लागत को कम करने जैसी आयकर विभाग की केंद्रीयतर गतिविधियों को बाहर से कराया जा रहा है। भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति या किसी सरकारी अनुबंध के लिए निविदा भरने वाले व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले कर चुकता प्रमाण-पत्र को समाप्त करने का भी फैसला किया गया है।

सरकार ने नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों की ओर से 'थोक में रिटर्न दाखिल' करने की एक योजना भी आरंभ की है। इससे वेतनभोगी करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने या रिफंड लेने के लिए विभाग के साथ संपर्क की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, कर दरों को तर्कसंगत बनाने के क्रम में, अब निगमित कर दरों को 36.76 प्रतिशत और 31.5 प्रतिशत (अधिकतम सीमांत दर) पर रोक दिया गया है। ये दरें विश्व के अधिकांश विकसित देशों में प्रचलित दरों से मेल खाती हैं। बुनियादी यथा मूल्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों की संख्या में भी कमी कर दी गई है। 1998 में ये दरें 11 थीं, जो अब 2 रह गई हैं। अधिकांश मदों के लिए 16 प्रतिशत केंद्रीय मूल्य-वर्द्धित कर (सेनवेट) और 16 प्रतिशत विशेष उत्पाद शुल्क।

सामान्य व्यवस्था के अनुसार अब प्रत्येक व्यक्ति और निगमित इकाई के लिए 'पैन' लेना तथा विशिष्ट उच्च मूल्य सौदों से संबंधित सभी दस्तावेजों में इसका उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करना भी अनिवार्य बना दिया गया है।

आयकर अधिनियम की धारा 801ए के तहत आवास क्षेत्र को आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर्स) का दर्जा दिए जाना एक बड़ी उपलब्धि थी। इसका उद्देश्य कंपनियों, निजी तथा सहकारी क्षेत्रों को भूमि की व्यवस्था, मकानों के निर्माण तथा परियोजनाओं के भीतर सुविधाओं के विकास के काम में आक्रामक ढंग से जुट जाने के लिए प्रेरित करना है। 1000 करोड़ रुपये की संचित राशि से एक इंफ्रास्ट्रक्चर ईक्विटी फंड बनाया जा रहा है, जिससे आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए ईक्विटी निवेश उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

सरकार ने मूल्यवर्द्धित कर (वैट) आरंभ करने के लिए प्लेटफार्म तैयार किया है। वैट एक आधुनिक, पारदर्शी और एक समान कराधान प्रणाली होगी, जो राज्य करों की बहुतायत का स्थान ले लेगी। इससे धीरे-धीरे केंद्रीय बिक्री कर समाप्त हो जाएगा, लेकिन कई राज्य सरकारें इसे लागू करने के लिए समय सीमा तय करने के बारे में आम सहमति नहीं बना पाई हैं।

भारत ने दुहरे कराधान, कर संबंधी धोखाधड़ी और अवांछित रास्तों से काले धन को सफेद बनाने को रोकने के लिए कई देशों के साथ दुहरा कराधान परिहार संधियां की हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम और एंटी-मनी लांडरिंग एक्ट लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अवैद्य मौद्रिक सौदों को रोकने के साथ-साथ सीमापार से धन प्रवाह को नियमित करना है।

अनिवासी भारतीयों की निवेश क्षमताओं का फायदा उठाने की एक अभिनव प्रयास से रिसर्जेंट इंडिया बांडों के जरिए 4 अरब डालर जुटाने में मदद मिली है। एन.बी.एफ.सीज में भी शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। लेकिन इस पर न्यूनतम पूंजीकरण मापदंडों को पालन करने की शर्त लगाई गई है। निजी बैंकों के सभी स्रोतों से, स्वचालित अनुमोदन मार्ग के जरिए आने वाले विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 49 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे विदेशी बैंकों को अपनी सहायक कंपनियां खोलने और निजी बैंकों में निवेश करने में मदद मिली है।

बैंकिंग प्रणाली के लिए कड़े विवेकपूर्ण मापदंडों और प्रतिभूति और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 से भी सभी जगहों पर बैंकों के मूलभूत सिद्धांतों को बढ़ावा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप उच्च पूंजी पर्याप्तता, गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों (एन पी ए) के लिए कड़े प्रावधानों, ऋण वसूली पंचाटों के सहारे बकाया की बढ़ती वसूली, ऋण देने के लिए अधिक पारदर्शी और कठोर दिशानिर्देशों आदि से बैंकिंग परिदृश्य मजबूत होकर उभरा है। हालांकि, तरलता को अभी अधिक औद्योगिक गतिविधियों का रूप लेना है। पिछले कुछ दिनों से औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक धीरे-धीरे बढ़ने की ठोस प्रवृत्ति देखने में आ रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार के शेयरों को 33 प्रतिशत तक घटाने की अनुमति के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। इस समय यह सीमा 51 प्रतिशत है। इससे बैंकों को अपनी संसाधन संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए बाजार से पैसा जुटाने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपनी माली स्थिति सुधारने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। लगभग एक लाख कर्मचारियों को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवामुक्त कर दिया। इससे बैंकों को अपने कार्यबल को सही आकार का करने में मदद मिली है तथा वे नए कौशल से युक्त अधिक टेक्नोलाजी समझ वाले नई

पीढ़ी के कर्मचारियों को भर्ती कर सके हैं।

वित्तीय स्वायत्तता

लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन, विकास और वित्त पोषण के शीर्षस्थ संगठन की अपनी भूमिका निबाहने के लिए भारतीय लघु उद्योग एवं औद्योगिक बैंक (सिडबी) को पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता तथा परिचालन में लचीलापन प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास (नाबार्ड) अधिनियम, 1981 को भी संशोधित कर दिया गया है, जिससे शेयरधारिता के स्वरूप में लचीलापन आया है, बैंकों के बोर्ड की संरचना का आधार व्यापक बना है और इसके ऋण व गैर ऋण कार्यों का दायरा बढ़ा है और अधिशेष लाभ के समायोजन के अधिकार बोर्ड को मिले हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में भी बंधक, कर्ज, प्रतिभूतिकरण तथा आवास ऋणों के फोर क्लोजर की नई व्यवस्थाओं के लिहाज से संशोधन किए गए हैं। एक माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट फंड स्थापित किया गया है, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने 40-40 करोड़ रुपये दिए हैं।

कृषि के संस्थागत ऋण का स्तर 1997-98 के 31,956 करोड़ रुपये से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 82,073 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो उद्यमों और स्वसहायता समूहों को अधिक धन प्रवाह के साथ-साथ ग्रामीण संरचना विकास कोष के लिए अधिक आवंटन जैसी योजनाओं से ग्रामीण ऋण की समग्र उपलब्धता मजबूत हुई है। अब बैंक एक ऐसे ढांचे पर काम कर रहे हैं, जिसके भीतर किसानों और लघु उद्योगों, दोनों को कम दरों पर ऋण दिया जाता है, जिससे इन क्षेत्रों के ऋण की लागत में काफी कमी आ रही है।

सहकारी क्षेत्र

सहकारी ऋण प्रणाली की अनियमितताओं को चेता दिया तथा इस क्षेत्र में भी सुधारों के लिए आक्रामक रवैया अपनाने पर विवश कर दिया। वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू किए गए कुछ विवेकपूर्ण मापदंडों को भी सहकारी बैंकों पर चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है, जिससे उनका पूंजी आधार बेहतर बनेगा। इनका नियंत्रण भी धीरे-धीरे राज्य सरकारों के हाथ से निकलकर पूर्णतया रिजर्व बैंक के पास चला जाएगा। पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से सहकारी बैंकों को पटरी पर लाने की एक योजना शुरू की गई है, लेकिन इसके लिए संबद्ध राज्यों को समर्थन कानून पारित करना होगा। तैयार किए गए फार्मूले के अनुसार केंद्र और राज्य पुनर्पूंजीकरण को 60:40 के अनुपात में वहन करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के मामले में यह अनुपात 90:10 होगा। योजना के तहत 10 साल की अवधि में 14,132 करोड़ रुपये की वित्त व्यवस्था की जाएगी।

बीमा सुधार

बीमा नियामक एवं विकास अधिनियम, 1999 के पारित होने के साथ ही अंतरिम निगरानी निकाय को अब सांविधिक दर्जा मिल गया है। इसके बाद, बीमा क्षेत्र को खोल दिया गया है। अब जीवन तथा सामान्य बीमा क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग 25 कंपनियां काम कर रही हैं। कुछ निजी महारथियों ने बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ गठबंधन कर लिए हैं, जिन्हें ऐसे उपक्रमों में 20 प्रतिशत ईक्विटी की अनुपात दे दी गई है। बढ़ते बीमा बाजार पर निजी क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत कब्जा हो गया है। नई व्यवस्था में विवेकपूर्ण मापदंडों का मानकीकरण, मध्यस्थों के कौशल और प्रशिक्षण की संस्थागत व्यवस्था देखने में आई है तथा इसमें मध्यवर्ती ब्रोकर और स्वास्थ्य बीमा तृतीय पक्ष प्रशासक आ गए हैं। इससे नए और अभिनव उत्पाद आए हैं तथा सेवा की क्वालिटी बढ़ी है तथा ग्राहकों के प्रति जवाबदेही में वृद्धि हुई है। बीमा दिग्गजों द्वारा पैदा किए जा रहे पैसे से निष्क्रियता की लंबी अवधि वाली परियोजनाओं के लिए धन जुटाना संभव हुआ है। साधारण बीमा निगम से फसल बीमा ले लिया गया है। अब यह निगम राष्ट्रीय बीमाकर्ता के रूप में काम कर रही है। उसके स्थान पर, कृषि बीमा लागू करने के लिए एक पृथक संगठन प्रमोट किया गया है। इसके लिए पूंजी जीआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र की चार सामान्य बीमा कंपनियों और नाबार्ड द्वारा जुटाई गई है। नया संगठन अन्य संबद्ध/ग्रामीण जोखिमों को भी देखेगा।

सामान्य बीमा व्यापार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2002 से चार सामान्य बीमा कंपनियों को जीआईसी से अलग कर दिया गया है। अब वे सीधे सरकार के स्वामित्व में हैं। 2003-04 के बजट में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ता समुदाय-आधारित एक सर्वसुलभ बीमा योजना बनाएगा। इसके तहत 1 रुपये प्रतिदिन का प्रीमियम देकर एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होने का 30,000 रुपये तक डाक्टरी खर्च की भरपाई, दुर्घटना से मृत्यु पर बीमा कवर तथा आजीविका के नुकसान के लिए हरजाना प्राप्त कर सकता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए सरकार ने उनके वार्षिक प्रीमियम के किए 100 रुपये प्रतिवर्ष देने का फैसला किया है।

55 वर्ष से अधिक के नागरिकों के लिए एक विशेष पेंशन नीति भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लाई जा रही है, जिससे मासिक पेंशन योजना के रूप में 9 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न की गारंटी होगी। मासिक भुगतान 250-2000 रुपये प्रतिमाह तक सीमित होगा। साथ ही, सरकारी सेवा में नए प्रवेश करने वालों के लिए पुनर्गठित पेंशन योजना भी तैयार की जा रही है। इसमें उन्हें पेंशन के लिए कई विकल्प दिए जा रहे हैं। ❑

(लेखिका 'फाइनेंशिएल एक्सप्रेस' में विशेष संवाददाता हैं।)

IAS/PCS

मणिकांत सिंह के अन्तर्गत 'THE STUDY' सफलता के नये कीर्तिमानों की ओर सदैव अग्रसर.....

सभी सफल छात्रों को शुभकामनाएं!!

सिविल सेवा परीक्षा. 2002 में हमारे मील के पत्थर .....

अजय कुमार मिश्र
अखिल भारतीय स्थान-5
(हिन्दी माध्यम में सर्वोच्च स्थान)

"इतिहास में श्री मणिकांत सिंह के विशिष्ट मार्गदर्शन का मैं आभारी हूँ। विशेष रूप से इतिहास लेखन एवं प्रश्नोत्तर लेखन की विश्लेषणात्मक परख विकसित करने में उनका योगदान अद्वितीय है।"

"सामान्य अध्ययन के सभी खण्डों में बोधगम्य, सटीक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नोत्तर लेखन की क्षमता विकसित करने में श्री सी.बी.पी. श्रीवास्तव का अप्रतिम सहयोग रहा।"

लोकेश कुमार सिंह
अखिल भारतीय स्थान-10
(हिन्दी माध्यम में तृतीय स्थान)

"इतिहास के सभी खंडों में उत्तर लेखन की विशिष्ट क्षमता के विकास में श्री मणिकांत सिंह का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा।"

"एक विशिष्ट मार्गदर्शक के रूप में सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों में अनिवार्य अन्तर संबंधों की स्थापना की क्षमता के विकास में श्री सी.बी.पी. श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।"

प्रदीप कुमार
अखिल भारतीय स्थान-95
(हिन्दी माध्यम में आठवां स्थान)

"श्री मणिकांत सिंह एक मार्गदर्शक एवं शिक्षक के रूप में सदैव मेरे समीप रहे तथा रणनीति निर्मित करने, विशेषकर इतिहास में उन्होंने सदैव प्रोत्साहित किया।"

"सामान्य अध्ययन के उपखण्डों तथा उत्तर लेखन की आवश्यकताओं की पूर्ति में श्री सी.बी.पी. श्रीवास्तव के योगदान का मैं आभारी हूँ।"

फाउंडेशन कोर्स

❊ विषय के विभिन्न खंडों का विस्तृत विश्लेषण ❊ सुव्यवस्थित अध्ययन सामग्री
❊ नियमित जाँच परीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर सुझाव ❊ लेखन की रणनीति पर विशिष्ट बल

इतिहास : **मणिकांत सिंह**
सामान्य अध्ययन : **सी.बी.पी. श्रीवास्तव, मणिकांत सिंह एवं अन्य**
हिन्दी साहित्य : **विनोद कुमार मंगलम (पटना)**

फाउंडेशन कोर्स के अतिरिक्त स्टडी के द्वारा इतिहास विषय से मुख्य परीक्षा 2003 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य अंक-प्राप्ति के बेहतर स्तर को प्राप्त करना है। इसमें प्रवेश के लिए एक टेस्ट परीक्षा का प्रावधान रखा गया है।

ADMISSION OPEN

HINDI / ENG. MEDIUM

Correspondence Courses Available

THE STUDY
AN INSTITUTE FOR IAS
BY MANIKANT SINGH

New Add. : 210, IInd Floor, Virat Bhawan, (Near M.T.N.L. Office),
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Ph. : 27653672, 27652263,

"हम आपके स्वप्नों को सत्य का धरातल प्रदान करते हैं।"

Abhivyakti

चेतन समाज के रूप में भारत

○ के. वेंकटसुब्रह्मण्यन

आज हमारा राष्ट्र आमूल परिवर्तन के दौर की दहलीज पर खड़ा है। हम जो भी करते हैं, जो भी बनाते हैं और जो भी कमाते हैं, वह सब नए ज्ञान और प्रौद्योगिक परिवर्तन के कारण बदल जाएगा। ज्ञान अन्य संसाधनों से भिन्न होता है। प्रत्येक नई खोज आगे की खोजों का मार्ग प्रशस्त करती है।

आज हर भारतीय ने ज्ञान के रूप में भारत के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। इस सोच का श्रेय हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को जाता है जो स्वयं एक विश्व ज्ञान कार्यकर्ता हैं। पांच हजार साल पूर्व ऋग्वेद काल में भारत ज्ञान की एक महाशक्ति था। यहां तक की चीन ने अपनी पहली वर्णमाला यहीं से सीखी। इसी प्रकार मिस्र ने भी। आज भी गणित को हिंदुस्तान यानी 'भारत से आई कला' कहा जाता है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुपर ज्ञान समाज के रूप में भारत के विकास के लिए एक पांच-सूत्री कार्यसूची की घोषणा की थी जिसमें निम्नलिखित सूत्र शामिल थे:

- ज्ञानपिपासु समाज के निर्माण के लिए शिक्षा।
- विश्व नेटवर्किंग।
- नीति-निर्माण और क्रियान्वयन में सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत का जीवंत संवाद।
- सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि विकास, वित्तीय सेवाओं तथा उद्यमव्यापी प्रबंध क्षेत्रों में वर्तमान क्षमताओं का प्रभाव।
- क्षमताओं एवं अवसरों पर आधारित आर्थिक तथा कारोबारी रणनीतिगत गठबंधन।

समझा जाता है कि इस प्रकार की कार्यसूची से सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि विकास, वित्तीय सेवाओं और उद्यमव्यापी प्रबंध की मौजूदा क्षमताओं के बूते भारत को ज्ञान के क्षेत्र में सुपर पावर बनने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों ने कुछ वर्षों पहले अनुमान लगाया था कि यह सहस्त्राब्दी एशिया के क्षेत्र में दो महाशक्तियों की होगी और भारत उनमें से एक होगा। हमें इस सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना होगा।

ज्ञान प्रधान समाज की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- मूल्यों की रचना में ज्ञान और सूचना प्रमुख स्रोत हैं।
- प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन।
- अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश।
- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग।
- ज्ञान प्रधान व्यापार में वृद्धि।
- नेटवर्किंग तथा मिलकर काम करने में वृद्धि।
- कौशल संबंधी आवश्यकताओं का विकास।

यह समाज पहले के कृषि समाज (जब रोजी-रोटी का मुख्य साधन कृषि थी) और औद्योगिक-समाज (जब अधिकांश सम्पत्ति वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन से उत्पन्न होती थी) से बिल्कुल विपरीत है।

ज्ञान कुंजी

उभरते ज्ञानप्रधान समाज में संपत्ति निर्माण और बेहतर जीवन बनाने में भूमि, श्रम और पूंजी से अधिक ज्ञान का मुख्य महत्व होगा।

ज्ञानप्रधान समाज की परिकल्पना बड़ी तेजी से विश्व भर में फैल रही है। यहां तक कि इसे 'ज्ञान-क्रांति' की संज्ञा दी गई है।

इस क्रांति को बल प्रदान करने वाले मुख्य कारक इस प्रकार हैं:

- विश्व अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापीकरण से प्रतिस्पर्धा में और आगे बढ़ने के लिए ज्ञान संग्रहीत करने के काम में तेजी आई है।
- ज्ञान प्राप्त करने, बांटने और प्रयोग करने की प्रौद्योगिकियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का विस्तार।
- व्यापार, समाज और पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान उत्पन्न करने में अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ रही है।
- ज्ञान में बड़ी तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है जबकि औद्योगिक समाज के जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों का उपयोग एक बार ही होता है। मौजूदा ज्ञान का

इस्तेमाल नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। इससे ज्ञान की उत्पत्ति और वृद्धि की रफ्तार बढ़ती है।

ज्ञान : इसकी उपयोगी परिभाषा है अनुसंधान और अनुभव से प्राप्त जानकारी। इसमें *क्या* (तथ्यों के बारे में ज्ञान), *क्यों* (प्रकृति के सिद्धांतों और नियमों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान) *कैसे* (कुछ करने का कौशल या क्षमता) *कौन* (कौन क्या जानता है तथा किसे कैसे किया जाता है, इसका ज्ञान) शामिल हो सकता है।

ज्ञान अर्थव्यवस्था : किसी ज्ञान समाज की केन्द्रीय अर्थव्यवस्था अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जो ज्ञान तथा सूचना की उत्पत्ति, विनिमय और उपयोग के इर्द-गिर्द घूमती है ताकि संपत्ति का निर्माण किया जा सके और जीवन को बेहतर बनाया जा सके।

ज्ञान कार्यकर्त्ता : विचारों की उत्पत्ति, विनिमय या प्रयोग से मूल्य प्रदान करने वाला व्यक्ति। यह परिभाषा प्रख्यात वैज्ञानिक, कुशल शिल्पी या किसी संगठन के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी रखने वाला रिसेप्शनिस्ट किसी पर भी लागू हो सकती है।

ज्ञान प्रबंध : जैसे-जैसे ज्ञान अधिक मूल्यवान होता जाता है, वैसे-वैसे इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसके कारगर प्रबंध की आवश्यकता बढ़ती जाती है। इसलिए सामान्य प्रबंध की इस महत्वपूर्ण श्रेणी का विकास हो रहा है।

आज हमारा राष्ट्र आमूल परिवर्तन के दौर की दहलीज पर खड़ा है। हम जो भी करते हैं, जो भी बनाते हैं और जो भी कमाते हैं, वह सब नए ज्ञान और प्रौद्योगिक परिवर्तन के कारण बदल जाएगा। ज्ञान अन्य संसाधनों से भिन्न होता है। प्रत्येक खोज आगे की खोजों का मार्ग प्रशस्त करती है।

अपनी भावी समृद्धि और कल्याण तथा ज्ञानप्रधान समाज के रूप में अपने विकास के लिए हमें ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करने वाली समयबद्ध परियोजना की सख्त जरूरत है। यह मानकर कि आज कैसे काम करता है, भविष्य में जाने के बजाय बेहतर यह होगा कि परियोजना बनाई जाए, जिसमें भविष्य के वांछित स्वरूप की कल्पना की जाए तथा फिर वहां पहुंचने की रणनीतियों का चयन किया जाए।

इस परियोजना में एक ढांचा हो, जिसमें यह सोचा जा सके कि हमें भविष्य का भारत कैसा चाहिए। नई सहस्त्राब्दी में भारत को सुपर पावर बनाने तथा सुपर ज्ञानसमाज बनाने के लिए सरकार के अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेश को स्पष्ट किया जाना चाहिए। भारत सरकार नई तथा अभिनव आर्थिक पर्यावरणीय और सामाजिक क्षमता उत्पन्न करने के लिए अनुसंधान, विज्ञान और टेक्नोलाजी पर काफी निवेश करती है। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में सरकार नवीनताओं को बढ़ावा देती है। लेकिन यह अकेले कार्य नहीं कर सकती। नवीनताओं को अंतिम उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं पर आधारित करना जरूरी होगा, क्योंकि नए ज्ञान और प्रौद्योगिक परिवर्तन से उनकी जिंदगी, पर्यावरण और उद्यम प्रभावित होते हैं। सरकार को यह विश्वास होना चाहिए कि उसके अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेशों का तेजी से तथा कारगर ढंग से भरपूर उपयोग होगा जिससे भारत एक ज्ञान-समाज बन सकेगा। ऐसा उन क्षेत्रों के लिए अधिक उचित होगा जो साहसिक तथा गतिशील नवीनता रणनीतियों के जरिए भविष्य के बारे में अपनी रणनीतिक सोच प्रदर्शित करते हैं तथा जिनमें सरकार एक साझीदार होने के लिए तैयार है।

दिशा-निर्धारण

सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान आवृत्त लक्ष्यों के बारे में सोच सकता है, जिनमें नवीनता, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञानों को शामिल किया जा सकता है, जो परस्पर जुड़े हैं तथा जिनसे भारत को एक ज्ञान-प्रधान समाज बनाया जा सकता है। यह कई विज्ञान एवं प्रौद्योगिक गतिविधियों के दीर्घावधि स्वरूप को देखते हुए जरूरी है। लक्ष्यों में नियोजन और रणनीति को शामिल किया जा सकता है, ताकि

- पूरे विज्ञान क्षेत्र में एकसमान निर्देश उपलब्ध कराए जा सके, जिनसे भिन्न-भिन्न स्रोतों से धन की व्यवस्था के तहत किए जाने वाले कार्यों के तत्वों को सुसंगत अनुसंधान पोर्टफोलियो के अंतर्गत लाया जा सके, और
- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में निवेश की प्रभावशीलता के आकलन के लिए तय की गई निष्पादन अपेक्षाओं के लिए समन्वय केन्द्र के रूप में काम किया जा सके।

लक्ष्य

ज्ञान-समाज के लिए हमारे स्पष्ट लक्ष्य हैं:

1. **नवीनता लक्ष्य :** नवीनता लाने की भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए ज्ञान-उत्पत्ति में तथा मानव-पूंजी, सामाजिक पूंजी, ज्ञानार्जन प्रणालियों और नेटवर्क के विकास में तेजी लाएं।

पहले लक्ष्य में अन्य सभी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को पुष्ट करने के लिए भारत में नवीनता की संस्कृति के महत्व को मान्यता देने पर जोर दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से नया ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए मानव तथा नेटवर्क क्षमताओं के विकास में मदद मिलनी चाहिए और उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि विश्वव्यापी ज्ञान-युग में भारत पूरी तरह भागीदार बन सके। यह लक्ष्य एक उद्यमशील अर्थव्यवस्था बनाने और नवीनता को महत्व देने की सरकार की आकांक्षाओं से सीधे जुड़ा है। यह देश के ज्ञानाधार तथा प्रौद्योगिक क्षमताओं के विस्तार की सरकार की नीतिगत प्राथमिकता पर भी बल देता है।

2. **आर्थिक लक्ष्य :** नए और बेहतर

उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और सेवाओं के निर्माण और महत्व में ज्ञान का योगदान बढ़ाना ताकि भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सके।

इस दूसरे लक्ष्य में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मूल्य-निर्माण, नवीनता और उत्पादकता के लाभों को बढ़ाने में नए ज्ञान और प्रौद्योगिक परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया गया है। इसमें आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता में ज्ञान के योगदान को रेखांकित किया गया है। इससे प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के निवेश के लिए आधार मिलता है, जो इस नीति के अनुरूप हो कि निवेश से दूसरों के निवेश का स्थान लिए बिना या उस निवेश को हतोत्साहित किए बिना, धीरे-धीरे व्यापक शुद्ध लाभ उत्पन्न होने चाहिए।

3. **पर्यावरणीय लक्ष्य :** पर्यावरण और इसे प्रभावित करने वाले जैविक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का ज्ञानवर्द्धन करना, ताकि प्रकृति तथा मनुष्य के अनुकूल स्वस्थ पर्यावरण बनाया जा सके और उसे बरकरार रखा जा सके।

तीसरे लक्ष्य में इस बात पर जोर दिया गया है कि पर्यावरण और प्रक्रियाओं का ज्ञान किस प्रकार पर्यावरण के स्तर और एकजुटता को बेहतर बनाने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है। यह जैव प्रौद्योगिकी के बारे में सरकार की नीतिगत प्राथमिकता में व्यक्त भारत के पर्यावरण सरोकारों से संबद्ध विचारधारा को रेखांकित करता है।

4. **सामाजिक लक्ष्य :** इससे गरीबों का उत्थान होना चाहिए और गरीबी दूर होनी चाहिए।

कल्याण के सामाजिक, जैविक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, आर्थिक और भौतिक निर्धारकों के ज्ञान को बढ़ाना, ताकि एक ऐसा समाज बनाया जा सके जिसमें हम भारतीय स्वस्थ एवं स्वतंत्र रहें और हममें लगाव, पहचान और साझेदारी की भावना उत्पन्न हो। शायद यह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है क्योंकि ज्ञान-विस्फोट का उद्देश्य अधिसंख्य गरीबों के रहन-सहन को ऊपर उठाना होना चाहिए तथा अंततः हमें गरीबी रेखा को मिटाने की दिशा में काम करना चाहिए।

इन चार लक्ष्यों से निवेश के फैसले प्रभावित होते हैं और विभागीय अनुसंधान के लिए आधार भी मिलता है। इसमें दीर्घावधि परस्पर-समूह और प्रयुक्त सामाजिक अनुसंधान भी शामिल है।

ढांचा

भारत को ज्ञानकेंद्रित समाज बनाने के लिए एक ब्योरेवार ढांचे की जरूरत है जिसमें कई उप समूह होंगे तथा जिसमें रणनीतियों, संसाधना सृजन, आर्थिक संकेतक आदि क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क ज्ञानप्रबंध के लिए एक ऐसा ढांचा राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम ने विकसित किया है।

'एस डब्ल्यू ओ टी' विश्लेषण

डा. कलाम के अनुसार स्ट्रैंथ (शक्ति), वीकनेस (कमजोरी), आपरचुनिटी (अवसर) और थ्रेट (खतरा) यानी 'एस डब्ल्यू ओ टी' विश्लेषण से उत्पन्न राष्ट्र के दीर्घावधि आर्थिक तथा सुरक्षा उद्देश्यों से इसे ढांचे के लिए आधार मिलता है और ज्ञान-सृजन और उपयोग के लिए विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों तथा प्राथमिकताओं को पहचानने में मदद मिलती है।

एक ज्ञान समाज का समाविष्ट होना जरूरी है और इसके लिए हर किसी का निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी के दायरे में आना जरूरी है। सूचना और संचार के ढांचे से समावेष्टन के साधन मिलते हैं क्योंकि इससे अधिकांश लोगों तक विविध स्रोतों से सूचना का समय पर कम खर्चीला और व्यापक प्रसार संभव होता है। इससे उपलब्ध कराई गई सूचना के तत्काल विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीकरण में भी मदद मिलती है क्योंकि इसमें पारस्परिक संवाद की निहित क्षमता होती है। फिलहाल पारस्परिक संवाद की क्षमता अर्थात सूचना तक पहुंच और उसके विनिमय की क्षमता हर किसी को उपलब्ध नहीं है। यदि पहुंच की सर्वसुलभता के सिद्धांत को इस तरह से लागू करना हो कि हम ज्ञान समाज एवं अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकें, तो पहुंच की अवधारणा का विस्तार करना होगा और पारस्परिक संवाद और समाविष्ट भागीदारी को इसमें शामिल करना होगा।

इस लेख में मुख्यतया भारत को एक ज्ञान केन्द्रित समाज बनाने से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया गया है क्योंकि यही वक्त का तकाजा है। ज्ञान डाटाबेस के मामले में भारत विकासशील देशों में अग्रणी है और अमेरिका जैसे विकसित देश भी अपनी साफ्टवेयर संबंधी जरूरतों के लिए हमारी ओर देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत में कहा था कि अगर साफ्टवेयर संबंधी उनकी कोई तात्कालिक आवश्यकता होगी तो वे भारत से ही संपर्क करेंगे।

इस प्रकार भारत को ज्ञान की एक महाशक्ति बनाने के लिए हमारे पास सभी साधन मौजूद हैं। हमें समय गंवाए बिना इस काम में जुट जाना चाहिए। जैसाकि हमने पहले कहा है प्राचीन काल से ही भारत ज्ञान का भंडार रहा है। आइए! भारत का वह वैभव उसे लौटाएं। अंत में यह कहना जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री के पांच-सूत्री एजेंडे पर अमल करना अत्यावश्यक है।

राष्ट्रपति, भारतरत्न डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की परिकल्पना-2020 से उद्धृत करता हूं : '2020 तक या उससे भी पहले, एक विकसित भारत कोई सपना नहीं है। भारतीयों को इसे स्वप्न मात्र नहीं मानना चाहिए। यह एक मिशन है जिसे हम सब आरंभ कर सकते हैं और जिसमें हम सफल हो सकते हैं।' ❑

(डा. के. वेंकटसुब्रह्मण्यन योजना आयोग, नई दिल्ली में सदस्य पद पर कार्यरत हैं।)

2003 IAS 2004

IFS, IES, PCS, GATE & NET

-Career Plus-

विगत तीन वर्षों में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक, 60 से अधिक अध्यापकों द्वारा निर्देशन, हजारो छात्रों की सफलता का स्त्रोत, विविध कार्यक्रमों यथा **IAS, PCS, I.ENGG.S, IFS, GATE** एवं **UGC/CSIR-NET,** का संचालन तथा समस्त कार्यक्रमों में सफलता के कीर्तिमान

IAS & PCS-2003-04
फाउन्डेशन एवं मुख्य परीक्षा कोर्स

सिविल सेवा एवं राज्य सेवा **IAS/PCS-2003-2004** (प्रा.) के विशेष बैच में चक्रीय पाठयक्रम में प्रत्येक माह 10 एवं 25 तारीख को नये अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश की व्यवस्था। वर्ष 2003 में 36 चयन सुनिश्चित।

उपलब्ध विषयः- समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, संस्कृत 'साहित्य', जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, गणित एवं सामान्य अध्ययन।

हिन्दी साहित्य, विधि, भूगोल, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र में भी कक्षाएं उपलब्ध

पत्राचार पाठ्यक्रम **IAS** मुख्य परीक्षा के लिए 2500/- रू०, प्रारम्भिक परीक्षा के लिए 1500/- रू० प्रति विषय

IES & GATE -2004

अपने क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान **IES-2003-04** के लिए सिविल इंजि., मैकेनिकल इंजि., इलैक्ट्रोनिक्स इंजि., इलैक्ट्रिकल इंजि., कम्प्यूटर इंजि. एवं सा. अध्ययन व अंग्रेजी में इस कार्यक्रम के बैच 10 जुलाई एवं 10 अगस्त से प्रारम्भ। इस वर्ष 75 चयन।

पत्राचार पाठ्यक्रम **IES** के लिएः- 4000/- रू० प्रत्येक विषय के लिए, सामान्य अध्ययन 1100/- रू०

वन सेवा परीक्षा-2003-04

IFS-2001-02 में विगत वर्ष कुल 33 रिक्तियों में से 11 चयन एवं इस वर्ष (2002.03) कुल 32 रिक्तियों में से 12 चयन कैरियर प्लस से हुए, इस क्षेत्र में भारत का एक मात्र एवं सर्वश्रेष्ठ संस्थान। बैच प्रत्येक माह 10 एवं 25 तारीख से (चक्रीय व्यवस्था)

उपलब्ध विषयः- जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान, भौतिक, रसायन, गणित, सिविल एवं मेकेनिकल इंजीनियरिंग

पत्राचार पाठ्यक्रम **IFS** के लिएः- 2500/- रू० प्रत्येक विषय के लिए, सामान्य अध्ययन 1500/- रू०

UGC-CSIR-NET

विविधताओं भरे इस क्षेत्र में भी कैरियर प्लस ने मजबूत पकड़ बना ली है, **Dec 2003** के लिए नये बैच 10 एवं 25 जुलाई एवं अगस्त 2003 से प्रारम्भ। पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध नही

उपलब्ध विषयः- समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लाइफ़ साइंस, फिजिकल साइंस, कैमिकल साइंस एवं मैथमैटिकल साइंस।

पुस्तकालय सुविधा • वातानुकूलित कक्षाएं • छात्रावास सुविधा प्रबन्ध

सामान्य अध्ययन

सामान्य अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र में 'कैरियर प्लस' के ज्वलंत उदाहरण है, इस वर्ष **(IAS 2001-02)** की परीक्षा में 4वें, 10वें एवं 11वें स्थान पर चयनित हमारे छात्र-जिसमें योगदान है, हमारे 12 अध्यापकों की अत्यंत व्यवसायिक एवं गुणवत्ता पूर्ण मार्गदर्शन का।

PCS परीक्षाओं के पाठ्यक्रमानुरूप विशिष्ट कक्षाएँ — **हिन्दी अंग्रेजी दोनों माध्यम में**

सफलता का द्वार - कैरियर प्लस

उत्तरी दिल्ली शाखा :
302/37,38,39, अंसल बिल्डिंग,
कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, डा. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009, फोन : 27652829, 27654588

जयपुर शाखा :
सी-15, बजाज नगर, ओएसिस टॉवर बिल्डिंग,
जयपुर, फोन : 0141-2704855
कक्षाएं 15 जुलाई से प्रारंभ

दक्षिणी दिल्ली शाखा :
28बी/4, जिया सराय, नजदीक IIT मेन गेट,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
फोनः 26527448, 26563175

अधिक जानकारी के लिए रू० 50/- का मनीआर्डर या डी.डी भेजें अथवा सम्पर्क करें

Visit us at : www.careerplusgroup.com • E-mail : careerplus@rediffmail.com

Abhiyukti

प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्द्धा क्षमता वैश्विक परिप्रेक्ष्य

○ एस.ए. खादर

किसी राष्ट्र की समग्र प्रतिस्पर्द्धा क्षमता उसकी आर्थिक उपलब्धियों, सरकार की प्रभावकारिता, व्यापारक्षमता और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता का विशुद्ध परिणाम होती है।

किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और उसके लोगों की खुशहाली के लिए प्रौद्योगिकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्वव्यापीकरण के मौजूदा दौर में प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का निर्धारण करती है। किसी संगठन के लाभ और विकास में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा. सोलो ने 1957 में प्रकाशित अपने शोध पत्र में यह तथ्य उद्घाटित किया था कि 1909-1949 की अवधि में अमेरिका में प्रति व्यक्ति उत्पादन में 90 प्रतिशत वृद्धि तकनीकी परिवर्तन के कारण हुई थी, जिससे पता चलता है कि तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के बीच सुदृढ़ संबंध है और नतीजतन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। मौजूदा दौर में, नई अर्थव्यवस्था या कथित 'ई-अर्थव्यवस्था' में निम्नांकित बाजार-स्थितियां देखी जा रही हैं :

1. पदार्थों/वस्तुओं/उत्पादों का क्षमता से अधिक होना और उत्पादों के जीवन-चक्र में निरंतर कमी आना।
2. मांगी गई या पेशकश की जाने वाली सेवाओं में ज्ञान/बौद्धिक तत्वों के घटकों का निरंतर बढ़ना। विश्व बाजार की सभी जरूरतें पूरी करने में वैश्विक श्रमशक्ति और विश्वव्यापी वितरण प्रणाली का योगदान है।
3. विश्व व्यापार संगठन की बदौलत बाजार में प्रवेश की रुकावटें कम हुई हैं और अब विपणन में समय भी कम लगता है।
4. बाजार मूल्य भौतिक परिसंपत्तियों की बजाय ब्रेंड इमेज जैसी मूर्त्त परिसंपत्तियों के संदर्भ में अधिक आंका जाता है।

इन स्थितियों के अंतर्गत संगठनों को व्यापार में बने रहने और प्रतिस्पर्द्धा में डटे रहने के लिए निम्नांकित चार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है—(i) पूंजीवाद का बढ़ता प्रभाव, (ii) गहन होड़, (iii) उत्पाद जीवन चक्र का छोटा होते जाना, और (iv) गतिशील प्रौद्योगिकी विषयक परिवर्तन। इस संदर्भ में प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता और आविष्कार तथा अनुसंधान और विकास के जरिए उसे सतत उन्नत बनाने का महत्व बढ़ गया है।

1.1 प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्द्धा

आई एम डी की विश्व प्रतिस्पर्द्धा दर (डब्ल्यू सी आर) प्रणाली के अनुसार किसी राष्ट्र की समग्र प्रतिस्पर्द्धा क्षमता उसकी आर्थिक उपलब्धियों, सरकार की प्रभावकारिता, व्यापार क्षमता और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता का विशुद्ध परिणाम होती है। इस संदर्भ में बुनियादी ढांचे के पांच घटक हैं। इनमें (i) मूलभूत ढांचा, (ii) प्रौद्योगिकी विषयक ढांचा, (iii) वैज्ञानिक ढांचा, (iv) स्वास्थ्य और पर्यावरण तथा (1) मूल्य प्रणाली शामिल है।

इसी प्रकार, विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू ई एफ) का विकास प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक (जी सी आई) (i) प्रौद्योगिकी सूचकांक, (ii) सार्वजनिक संस्थान सूचकांक और (iii) वृहत् आर्थिक वातावरण सूचकांक का समग्र योग है। दोनों ही विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्द्धा मूल्यांकन दृष्टियों में, वास्तव में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विषयक ढांचागत कार्यक्षमता पर अधिक बल दिया गया है।

निम्नांकित सारणी डब्ल्यू सी आर-2002 से प्राप्त की गई है, जिसमें पांच वर्ष 1998-02 के दौरान कुछ चुने हुए देशों (प्रौद्योगिकी की दृष्टि से विकसित और ए पी ओ सदस्यों से) की समग्र प्रतिस्पर्द्धा क्षमता और ढांचागत वरीयता की कार्यक्षमता का विश्लेषण और तुलना करने की कोशिश की गई है (सारणी-1 देखें)।

बुनियादी ढांचा, महत्वपूर्ण निवेश-घटकों

में से एक है, जो किसी अर्थव्यवस्था/राष्ट्र की समग्र प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता को संचालित करता है। इन दोनों के बीच एक प्रत्यक्ष सह-संबंध दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, जर्मनी के मामले में, 1998 से 2002 की अवधि में बुनियादी ढांचे की कार्यक्षमता में सुधार हुआ और वह 15वें स्थान से 10वें/11वें स्थान पर पहुंच गया, जिसका सीधा असर इसकी समग्र प्रतिस्पर्द्धा क्षमता पर पड़ा और वह 15वें से 12वें स्थान पर आ गया। इसी तरह, मलेशिया और फिलीपीन्स के मामले में, बुनियादी ढांचे और समग्र प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता, दोनों में अंतिम वर्ष को छोड़कर गिरावट दर्ज हुई। भारत के मामले में भी बुनियादी ढांचे की कार्यक्षमता और समग्र प्रतिस्पर्द्धा क्षमता वरीयता के बीच प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है।

डब्ल्यू ई एफ द्वारा विकसित विकास प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक (जी सी आई), सारणी-2 में दर्शाया गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी सूचकांक (टी आई) और जी सी आई के बीच सुदृढ़ संबंध और सह-संबंध स्पष्ट रूप से कायम हुआ है। हालांकि सिंगापुर, हांग-कांग, कोरिया, चीन इसका अपवाद हैं जहां इसके कुछ अन्य कारण रहे हैं, उदाहरण के लिए सूचकांकों जैसे—सार्वजनिक संस्थान सूचकांक (पी आई आई) और वृहत् आर्थिक वातावरण सूचकांक (एम ई ई आई) की कार्यक्षमता भी इसकी वजह रही है।

बुनियादी ढांचे में पिछले वर्ष की वरीयता की तुलना में चुने हुए देशों की ढांचागत कार्यक्षमता की वरीयता सारणी-3 में दी गई है। जापान, कोरिया, ब्रिटेन और थाइलैंड जैसे देशों की वरीयता में सुधार हुआ है।

प्रौद्योगिकी और नवीनता

समग्र प्रतिस्पर्द्धा क्षमता की और पड़ताल एवं तुलना समनुरूप प्रौद्योगिकी विषयक और वैज्ञानिक ढांचा क्षमता से करें तो पता चलता है कि उनके बीच एक प्रत्यक्ष संबंध और सह-संबंध है। इससे यह पता भी चलता है कि पुराने और विकसित राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन, जापान, भारत, कोरिया में वैज्ञानिक ढांचे की वरीयता से बेहतर हो सकती है संभवत: इसकी वजह इन देशों द्वारा लगातार बुनियादी अनुसंधान एवं विकास में निवेश और आविष्कारोन्मुखी दृष्टि अपनाना रही है। इसकी तुलना में सिंगापुर, मलेशिया फिलिपीन्स, थाइलैंड जैसी नई अर्थव्यवस्थाओं वाले देश मुख्य रूप से अपने प्रौद्योगिकी संबंधी ढांचे पर बल दिए जा रहे हैं जिससे बेहतर आविष्कार हो रहे हैं।

प्रौद्योगिकी संबंधी विभाजन

मानव अनादि काल से किसी काम को करने के बेहतर उपाय खोजने में अपने श्रम

सारणी-1

प्रतिस्पर्द्धा क्षमता बनाम बुनियादी ढांचे की वरीयता

देश	बुनियादी ढांचा					समग्र					अभ्युक्ति
	98	99	00	01	02	98	99	00	01	02	
अमेरिका	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	निर्देश चिह्न है।
ब्रिटेन	22	24	23	23	21	13	19	16	19	16	प्रतिस्पर्द्धा क्षमता में गिरावट आई जबकि बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ।
जर्मनी	15	10	9	10	11	15	12	11	12	15	प्रत्यक्ष सह-संबंध
जापान	17	14	15	19	16	20	24	24	26	30	बुनियादी ढांचा बनाए रखा गया, किंतु प्रतिस्पर्द्धा क्षमता में गिरावट आई।
सिंगापुर	2	3	3	5	7	2	2	2	2	5	प्रत्यक्ष सह-संबंध दर्शाता है।
भारत	43	44	43	45	47	38	42	39	41	42	संबंध कायम है।
इंडोनेशिया	43	44	43	45	47	40	47	44	49	47	समनुरूप संबंध।
कोरिया	38	39	28	34	28	36	41	28	28	27	प्रतिस्पर्द्धा क्षमता और बुनियादी ढांचे में अत्यधिक सुधार।
मलेशिया	39	28	32	38	26	19	28	27	29	26	प्रतिस्पर्द्धा क्षमता और बुनियादी ढांचा दोनों में सुधार।
फिलिपीन्स	35	33	41	41	44	32	31	37	40	40	दोनों में गिरावट।
ताइवान	20	16	21	16	20	14	15	20	18	24	प्रतिस्पर्द्धा क्षमता में कमी जबकि ढांचा बनाए रखा गया।

और संसाधनों का निवेश करता रहा है। अत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश पर निरंतर बल दिया गया और पिछली सदी में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। किंतु, यह देखा गया है कि विकासशील देश विकसित देशों के मुकाबले अनुसंधान और विकास पर बहुत कम धन खर्च कर पाते हैं, जिससे दोनों के बीच आर्थिक खाई बढ़ती गई है।

प्रगति संबंधी एवं वित्तीय प्रोत्साहन

किसी भी औद्योगिकी गतिविधि में अनुसंधान और विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है, खासकर बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा को देखते हुए इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। वित्तीय और मानव संसाधन अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख निवेश हैं और इनके निवेश की मात्रा इस बात को दर्शाती है कि कोई उद्योग नवीनता के प्रति कितना वचनबद्ध है। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि गुणवत्ता उत्पादों के उत्पादन के लिए अनिवार्य जानकारी सृजित करने, कार्यकुशलता को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और आयातित जानकारी के दोहन, अनुकूलन और उसे उन्नत बनाने के अलावा देश में अपेक्षित प्रौद्योगिकी विषयक आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए उद्योगों में अनुसंधान और विकास अनिवार्य है। सरकारें उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान देती रही हैं। तेजी से उद्योगीकरण को अपनाते जा रहे हैं भारत जैसे देशों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन और समर्थन देने वाली अनेक योजनाएं प्रचलित हैं, जिनका ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है। उदाहरण के लिए भारत सरकार द्वारा उद्योगों को, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा क्षमता पैदा करने और स्थानीय रूप में उपलब्ध अनुसंधान और विकास क्षमता का उपयोग औद्योगिक विकास में करने के लिए, दिए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहनों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

- अनुसंधान और विकास पर राजस्व खर्च माफ करना।
- अनुसंधान और विकास पर पूंजी खर्च माफ करना।

सारणी-2

विकास प्रतिस्पर्द्धा वरीयता घटक सूचकांक

देश	जी सी आई	टी आई	पी एच	एम ई ई आई
अमेरिका	2	1	12	7
सिंगापुर	4	18	6	1
ताइवान	7	4	24	15
ब्रिटेन	12	10	9	12
हांग कांग एस ए आर	13	33	10	4
जर्मनी	17	15	17	19
जापान	21	23	19	18
कोरिया	23	9	44	8
मलेशिया	30	22	39	20
थाइलैंड	33	39	42	16
चीन	39	53	50	6
फिलिपीन्स	48	40	64	28
भारत	57	66	49	45
वियतनाम	60	65	63	37
श्रीलंका	61	59	5	60
इंडोनेशिया	64	61	66	41

टी आई : प्रौद्योगिकी सूचकांक (टेक्नोलॉजिकल इंडेक्स)

पी आई आई : सार्वजनिक संस्थान सूचकांक (पब्लिक इंस्टीट्यूशन इंडेक्स)

एम ई ई आई : वृहत् आर्थिक वातावरण सूचकांक (मैक्रो-इकोनोमिक इन्वायरमेंट इंडेक्स)

सारणी-3

ढांचागत वरीयता (2002)

(बुनियादी, प्रौद्योगिकी विषयक, वैज्ञानिक और मानव संसाधन घटक किस हद तक व्यापार की जरूरतों को पूरा करते हैं)		
(1)	अमेरीका	1
(5)	सिंगापुर	7
(10)	जर्मनी	11
(19)	जापान	16
(16)	ताइवान	20
(23)	ब्रिटेन	21
(38)	मलेशिया	26
(34)	कोरिया	28
(40)	थाईलैंड	38
(41)	फिलिपीन्स	44
(45)	भारत	47
(49)	इंडोनेशिया	49

(कोष्ठक में दी गई संख्या 2001 की वरीयता को दर्शाती है।)

- 125 प्रतिशत की भारित कर कटौती।
- 150 प्रतिशत की भारित कर कटौती (जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, कम्प्यूटर, दूरसंचार उपकरण और रसायन तथा विमान एवं हेलिकाप्टर विनिर्माण)।
- 'वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास' के विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार 10 मूल्यांकन वर्षों के लिए कर-अवकाश।
- मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों को दिए जाने वाले चंदे पर आयकर में 125 प्रतिशत की दर से छूट।
- स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित प्लांट और मशीनरी पर निवेश के लिए त्वरित मूल्यह्रास भत्ता।
- सार्वजनिक वित्त-पोषित अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा निजी वित्त-पोषित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों, दोनों को पूंजीगत उपकरणों और अनुसंधान एवं विकास के लिए आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट।
- सार्वजनिक वित्त-पोषित अनुसंधान और विकास संस्थानों और निजी वित्त-पोषित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों को उत्पाद शुल्क से छूट।
- पूर्ण भारतीय स्वामित्व वाली और भारत, अमेरिका, जापान से बाहर किन्हीं दो देशों में और यूरोपीय संघ के किसी एक देश में पेटेंटिड कम्पनी द्वारा डिजाइन और विकसित वस्तुओं को 3 वर्ष के लिए उत्पाद शुल्क से छूट।
- अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए किए गए आयात पर सीमा शुल्क से छूट।
- स्वदेशी अनुसंधान और विकास के जरिए विकसित औषधियों को औषधि मूल्य नियंत्रण से छूट।
- होम ग्रोन टेक्नोलॉजी यानी घरेलू उत्पादन प्रौद्योगिकी के जरिए किए गए औद्योगिक अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान।
- वैज्ञानिक और आर्थिक मंत्रालयों/विभागों के विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के जरिए अनुसंधान और विकास को समर्थन देना।
- उद्योगों को राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों (परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान) से जोड़ना।

परिवर्तित वातावरण में विशिष्ट उपलब्धियों का विशेष महत्व है। किसी कम्पनी की नवीनता की क्षमता और अन्य क्षमताओं की जड़ें उसके ज्ञान के मूल आधार में होती हैं। अतः मौलिकता और ज्ञान का प्रबंध, विश्वव्यापीकरण के युग में प्रतिस्पर्द्धा क्षमता के दो मंत्र हैं।

- राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय रूप में वित्त-पोषित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

जिस तरह से संगठनों, राष्ट्रों और क्षेत्रों द्वारा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति का इस्तेमाल सम्पदा अर्जित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है, उसे देखते हुए विश्व के अशांत वातावरण में परिवर्तन उत्प्रेरित हो रहे हैं। अनुसंधान और विकास कार्य इस सतत परिवर्तन का केन्द्र बिन्दु हैं। मानक प्रक्रियाओं से मानक उत्पाद बनाकर कम्पनियां दीर्घावधि तक प्रतिस्पर्द्धा का लाभ नहीं उठा सकतीं। कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे नए उत्पाद विकास के लिए विश्व स्तर पर नवीनता अपना सकें, जिसके लिए राष्ट्रीय और कार्पोरेट स्तर पर अनुसंधान एवं विकास पर अधिक बल देना जरूरी है। विकासशील देशों को अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने के मामले में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से विकसित देशों का अनुकरण करना चाहिए।

प्रौद्योगिकी संबंधी सफल परिवर्तन कई तरह से हो सकते हैं। प्रथम उपाय है नई समस्याओं के समाधान के लिए पुराने तरीके लागू करना, दूसरा उपाय है मौजूदा समस्याओं के लिए नए समाधान तलाश करना और तीसरा उपाय है, इन दोनों के बीच समीकरण कायम करना। यानी कम्पनी, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुसंधान तथा विकास के प्रयास करना क्योंकि परिवर्तित वातावरण में विशिष्ट उपलब्धियों का विशेष महत्व है। किसी कम्पनी की नवीनता की क्षमता और अन्य क्षमताओं की जड़ें उसके ज्ञान के मूल आधार में होती हैं। अतः मौलिकता और ज्ञान का प्रबंध, विश्वव्यापीकरण के युग में प्रतिस्पर्द्धा क्षमता के दो मंत्र हैं। उभरते उद्योगों के अत्यंत प्रतियोगी बाजार में स्थायी सफलता सुदृढ़ प्रौद्योगिकी विषयक क्षमताओं पर निर्भर है, जो उद्योग-संस्थान तथा शिक्षा जगत के बीच विश्वव्यापी नेटवर्क कायम करके ही हासिल की जा सकती हैं। अनुसंधान एवं विकास का सफल प्रबंध करने के लिए समेकित प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास की कारगर नीतियां अपनाया जाना जरूरी है। इसमें मानव संसाधन और वित्त-पोषण जैसे महत्वपूर्ण निवेश की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान और विकास गतिविधि की गुणवत्ता, कारगरता और उत्पादकता बनाए रखना और उनमें सुधार लाना आज के कठिन प्रतिस्पर्द्धा के युग में किसी उद्यम की सतत सफलता के लिए अपरिहार्य है। ❑

(लेखक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (भारत) में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं।)

LAST YEAR RELIANCE INDUSTRIES SET UP OVER TWO MILLION NEW PLANTS.

As a step towards preserving the environment, Reliance Industries has set up an extensive green belt of nearly 850 acres around its Jamnagar complex, sheltering over two million trees of various species.

Reliance
Industries Limited
Growth is Life
www.ril.com

Reliance an ISO 14001 company

Mudra:RIL:9287

कार्पोरेट क्षेत्र में सुधार और आर्थिक विकास कार्यक्रम के नए दौर में विकास

○ जी. श्रीनिवासन

भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए 1992-2002 का दशक कई बदलावों का दशक रहा है। 1956 के कंपनी कानून में बहुत से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इनमें से कुछ तो उद्योगों और निवेशकों के लिए फायदेमंद होने के कारण वाकई काबिले तारीफ हैं। कुछ बदलाव ऐसे हैं जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया है और कुछ अन्य में अच्छे कॉर्पोरेट प्रबंधन और निवेशकों के संरक्षण के लिए तत्काल कुछ उपायों की व्यवस्था की गई है।

भारत के विनिर्माण और सेवा उद्योग ने खासतौर पर निजी क्षेत्र में, हाल के वर्षों में सराहनीय कार्य किया है। ऐसा 1990 के दशक में प्रारंभ किए गए औद्योगिक और व्यापारिक नीति संबंधी सुधारों से संभव हो पाया है जिस पर एक के बाद एक आने वाली सरकारें बिना किसी व्यवधान के अमल करती आ रही हैं ताकि उद्यमियों का हौसला बढ़े। इससे विकास के लिए जो नया उत्साह पैदा हुआ है और देश के औद्योगिक परिदृश्य में जो आमूल परिवर्तन हुआ है उससे आमतौर पर सूचना टेक्नोलॉजी और खासतौर पर साफ्टवेयर संबंधी क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाने में मदद मिली है। 1991 के और उसके बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को उच्चतर विकास के मार्ग पर अग्रसर करना है ताकि आर्थिक गतिविधियों के तमाम क्षेत्रों में अधिक कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता वाली कोई प्रणाली तैयार की जा सके। यह भी एक माना हुआ तथ्य है कि भारत के विनिर्माण उद्योग ने 1950 के दशक से अब तक बड़ी अच्छी प्रगति की है। देश के विनिर्माण क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसने सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को भी पीछे छोड़ दिया है जिससे यह बात जाहिर होती है कि समग्र अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का कितना महत्व है। इस क्षेत्र में विकास दर में तेजी का सिलसिला 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ था और 1990 के दशक में इसमें और तेजी आई। इसके पीछे अनेक कारण रहे हैं जिनमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में धीमी गति से लगातार किया गया निवेश, सरकारी नियंत्रणों में धीरे-धीरे मगर वास्तविक कमी और 1990 के दशक में निजी निवेश में तेजी जैसे कारण प्रमुख हैं।

उद्योग, विदेशी निवेश और व्यापार जैसे क्षेत्रों के बारे में सरकार की नीतियों का विगत वर्षों में विकास हुआ है। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में रहे अनेक क्षेत्रों को नियंत्रणमुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा देश में अपेक्षाकृत किफायती लागत पर उपलब्ध उत्पादन के साधनों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। विगत में सरकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर देती आई थी और स्वदेशी कंपनियों की रक्षा तथा उनका विकास करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र के एकाधिकार वाली कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण रोकने पर जोर दिया जाता था। आधारभूत ढांचे और सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं में भी सरकार का एकाधिकार था और कोई प्रतिस्पर्धा न होने से कार्यकुशलता की कमी, लागत में बढ़ोत्तरी और सेवाओं के घटिया स्तर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन कारणों से भारतीय उत्पादकों की संचालन लागत भी बढ़ गई थी जिससे वे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्द्धी नहीं रह गए थे। मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्द्धा की भारी कमी की वजह से भारतीय उपभोक्ताओं को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था।

लेकिन 1991 की नई औद्योगिक नीति ने प्रतिस्पर्धा के नए युग का सूत्रपात किया है। ऐसा तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में लाइसेंस खत्म करने, एकाधिकार और अवरोधक

व्यापारिक व्यवहार कानून के दायरे में आने वाली कंपनियों पर से प्रतिबंध हटाने, चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रम को समाप्त करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों को काफी हक तक मुक्त बनाने से यह सब संभव हो पाया है। विगत वर्षों में व्यापारिक व्यवस्था में भी जोरदार सुधार किया गया है और आज स्थिति यह है कि औद्योगिक सामान के आयात पर लगभग कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा शुल्क ढांचे में भी भारी कमी की गई है जिससे घरेलू उद्योगों को मिलने वाले संरक्षण में कमी आ गई है। सरकार ने शुल्कों में और कटौती के एक अन्य कार्यक्रम की भी घोषणा की है जिसके अनुसार सन 2004 के अंत तक शुल्क की उच्चतम दरें कम कर दी जाएंगी। आज जब भारतीय उद्योगों के पास प्रतिस्पर्धा का सामना करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह गया है, तो कॉर्पोरेट क्षेत्र को कहा जा रहा है कि वह संसद में पारित परिस्पर्धा कानून का लाभ उठाकर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहे। 16 सितम्बर, 2003 को वाणिज्य सचिव श्री दीपक चटर्जी के नेतृत्व में 'प्रतिस्पर्धा आयोग' का गठन किया गया है। यह आयोग प्रतिस्पर्धा पर बुरा असर डालने वाली गतिविधियों को रोकने, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर इसे कायम रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और भारतीय बाजारों के अन्य प्रतिभागियों की व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कार्य करेगा। कंपनियों को अनुशासित करने और आवंटन में कुशलता बढ़ाने के लिए हाल के दशकों में औद्योगिक नीति का जोर भी प्रतिस्पर्धा पर बढ़ता ही गया है। लेकिन कई उद्योगों में प्रतिस्पर्धा की शर्तों और मुक्त व्यापार को लेकर बहुत-सी समस्याओं को सुलझाना अभी बाकी है। प्रतिस्पर्धा में सुधार और एकाधिकार वाली कंपनियों की वजह से उत्पन्न गड़बड़ियों को, अगर पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक दूर करने के लिए दिसंबर, 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारित किया गया है। यह एक ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा में रुकावट पैदा करने वाले तौर-तरीकों पर रोक लगाकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और एक खास आकार से अधिक बड़ी कंपनियों को कायदे-कानूनों के जरिए बाजार में गलत तरीके से अपना दबदबा बनाने से रोकना है।

भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए 1992-2002 का दशक कई बदलावों का दशक रहा है। 1956 के कंपनी कानून में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इनमें से कुछ तो उद्योगों और निवेशकों के फायदे के होने के कारण वाकई काबिले तारीफ हैं। कुछ बदलाव ऐसे हैं जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया है और कुछ अन्य में अच्छे कॉर्पोरेट प्रबंधन और निवेशकों के संरक्षण के लिए तत्काल कुछ उपायों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ-साथ सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम को निरस्त करने और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन के काम में अड़चनें आ रही थीं। सरकार ने दीवालिया घोषित करने संबंधी नई प्रक्रिया निर्धारित की है और बैंकिंग उद्योग के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उधार देने वालों के हितों की रक्षा की व्यवस्था की है। इससे कर्ज लेने वाली कंपनियों की अंधाधुंध ऋण लेने और बाद में मूलधन और ब्याज की अदायगी में मुश्किलें आने पर अपने को दीवालिया घोषित कर देने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। इस तरह के कदमों का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के काम-काज को अधिक कारगर बनाना है। इन संस्थाओं के नॉन परफार्मिंग एसेट यानी वसूली न जा सकने वाली उधार की रकम में कमी आने से उनकी ऋण पर ब्याज दर में भी कमी आएगी जिससे उद्योगों और कॉर्पोरेट क्षेत्र को ही फायदा होगा।

बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण 2002-2003 में दिया गया यह संकेत सही है कि भारत के सामने एक प्रमुख समस्या कंपनियों की असफलता को सुलझाने की है। बाजार अर्थव्यवस्था में कंपनियों का चल न पाना एक सामान्य-सी बात है। इसकी वजह से संशाधनों के बेहतरीन तरीके से आवंटन में मदद मिलती है। इसके साथ ही एक ऐसे परिष्कृत संस्थागत ढांचे की भी आवश्यकता है नाकामयाब कंपनियों में फंसी संपत्ति का शीघ्रता से उत्पादक कार्यों में उपयोग हो सके। असल में यह मुद्दा कर्ज देने वालों के अधिकारों की समस्या से भी जुड़ा है। इसी सिलसिले में संसद में पारित प्रतिभूतीकरण, वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्गठन और सुरक्षा हितों के कार्यान्वयन संबंधी अधिनियम की व्यापक सराहना हुई है। इससे कर्ज देने वाली संस्थाओं को सुरक्षा प्राप्त होगी और ऋणों की अदायगी न करने वाले कर्जदारों के खिलाफ दीवालियापन संबंधी कार्रवाई भी सुव्यवस्थित रूप से चलाई जा सकेगी।

यह बात बड़े संतोष की है कि देश में पिछले दो दशकों में कार्पोरेट क्षेत्र का विकास बड़ा संतोषजनक रहा है। वर्ष 1996-97 से 2001-2002 के दौरान कार्यरत कंपनियों की संख्या में 30.7 प्रतिशत और उनकी चुकता पूंजी 103.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। औद्योगिक नीति में किए गए सुधारों और पिछले वर्षों में उन पर लगातार अमल से लाइसेंस संबंधी प्रतिबंधों में ढिलाई आई है। इससे औद्योगिक इकाइयों द्वारा क्षमता में सुधार तथा उनका आधुनिकीकरण आसान हो गया है। अब वे उत्पादन के न्यूनतम स्तर का नए सिरे से निर्धारण कर सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। इससे औद्योगिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आए हैं। परिणामस्वरूप विलय और अधिग्रहण की प्रक्रिया, जिसके साथ हिस्सापूंजी, ऋण और प्रबंधन के नियंत्रण के पुनर्गठन की स्वाभाविक चुनौतियां भी जुड़ी हैं, अब तमाम उद्योगों में फैल गई है जिससे व्यावसायिक पुनर्गठन प्रक्रिया को सुदृढ़ कर और तेज करने में मदद मिली है।

सरकार ने बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में भी स्पष्ट रूप से अपने कार्यक्रम का खुलासा कर दिया है। औद्योगिक नीति की जिन छह महत्वपूर्ण बातों से उत्पादकता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा वे हैं:

- आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में लगातार प्रगति;
- सीमाशुल्क की निम्न और एकसमान दरों की दिशा में प्रयास;
- मूल्य संवर्धित कर की दिशा में प्रयास;
- श्रम कानूनों में सुधार;
- लघु उद्योग के क्षेत्र में आरक्षण की समाप्ति; और
- असफलताओं के कारणों को तेजी से दूर करने के लिए ढांचा और असफल कंपनियों को तेजी से बंद करने तथा कर्ज देने वालों के अधिकारों को कड़ाई से लागू करने की व्यवस्था।

पिछले दशक में देश ने नियंत्रित और निर्देशित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की दिशा में लंबी दूरी तय की है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक की उम्मीद करना तो सही नहीं होगा। इसका कारण यह है कि घरेलू उद्योग खासतौर पर निजी क्षेत्र कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने और इससे सफलतापूर्वक बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सरकार ने अच्छे कॉर्पोरेट शासन, प्रतिस्पर्धा आयोग और औद्योगिक असफलता के निपटने के लिए आर्थिक सुधार के जिन उपायों की घोषणा की है उनसे विकास की बेहतर संभावना सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और एक आर्थिक विकास कार्यक्रम में नए युग का सूत्रपात होगा। विनिवेश और निजी उद्योगों के निर्बाध विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से देश में निजी निगमित क्षेत्र द्वारा प्राप्त सफलताओं को सुदृढ़ करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी और यह क्षेत्र आने वाले समय में उच्चतर विकास के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ सकेगा। निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों जैसे टीवीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो और रन्बैक्सी विश्व स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने वाली कंपनियों की पर्याय बन गई हैं। कुछ भारतीय कंपनियों ने अन्य देशों को निर्यात करने और मेजबान देश के बाजारों के लिए वहां अपनी निर्माण इकाइयां भी स्थापित की हैं। एक दशक पहले तक भारत के निजी क्षेत्र द्वारा इतनी लंबी छलांग लगाने की बात सोची तक नहीं जा सकती थी। लेकिन इन दिनों यह बड़े और व्यापक पैमाने पर हो रहा है जिससे इस बात की आशा बढ़ी है कि दुनिया में 'मेड इन इंडिया' ब्रांड का सिक्का जमेगा और इसे शानदार सफलता मिलेगी क्योंकि इक्कीसवीं शताब्दी होने जा रही है जिसमें समूचे एशिया और विशेष रूप से भारत की धूम होगी। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

IAS

Aspirants!
If you are looking for our alternative even for

Anthropology*

PLEASE THINK AGAIN
FOR CURRENT SCHEDULE CONTACT PERSONALLY

Postal Courses Available
for select optionals & GS

Vaid's ICS
The IAS Life-Line since 1985
2648, Hudson Line,
Kingsway Camp, Delhi-110009
Address for Correspondence
AG 317, Shalimar Bagh,
Delhi-88 Ph.: 27471544, 27474577
For Information Bulletin send Rs. 50/- by DD/MO at the Correspondence Address

* Vaid's ICS is run by a famous anthropologist responsible for the success of several thousand candidates in IAS & various PCS exams.

Hostel arranged for Boys & Girls

IAS Aspirants

Experiments in Rural Advancement (ERA)

has started quality coaching for you
Why Join ERA

- Highly qualified and experienced teachers instrumental in the success of toppers like Sunil Barnwal (Ist in IAS '96), Rajiv, Nilesh, Manish, Peeyush (4th, 7th, 8th & 9th in IAS '97), Ajay Shukla, Nidhi Pandey (5th & 12th in IAS 2000), Krishan Garg (11th in IAS 2001) & Amrita Soni (17th in IAS 2002).
- Fee at least 30% less than other popular Institutes.
- Max. 50 seats per batch.
- Study-material at concessional rate.
- Emphasis on development of answer-writing skills.
- Conducive environs.
- Subjects : Essay, GS, History, Geog., Pub. Admn., Pol. Sc., Socio., Hindi Litt. & Zoology.
- Profits from the Batch to be utilised for development purpose.

FOR CURRENT SCHEDULE CONTACT PERSONALLY

For Details contact personally (no correspondence please)
2648, Hudson Line, Camp, Delhi-9 Ph. : 27426324
With full support of VAID'S ICS
Abhiyakti

आर्थिक विकास के नए परिवेश में महिला उद्यमियों का योगदान

○ सी. जयंती

सरकार ने उदारीकरण का लक्ष्य अपनाकर काफी सीमा तक सामाजिक परिवेश को बदल दिया है। ऐसा आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इससे आय के साधन पैदा हुए हैं और समाज के सभी वर्ग की महिलाओं में आत्मसंतुष्टि या परितोष का भाव विकसित हुआ है।

समाज में पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर औरतों की भागीदारी सुगम बनाने के लिए हमें अपना मानसिक दृष्टिकोण बदलना होगा। औरतों को भी अपनी परंपरागत घर गृहस्थी संभालने और बच्चों का पालन-पोषण करने की भूमिका से थोड़ा हटकर अधिक प्रगतिशील, ऐसी भूमिका निभाने की ओर बढ़ना होगा, जिसमें समाज को उनका आर्थिक योगदान सकारात्मक हो।

नब्बे के दशक के शुरू से जब से भारत में उदारीकरण की नीति अपनाई गई है, भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर रूपांतरण हुआ है। तेजी से बदलती दुनिया में विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने की जरूरत थी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उदारीकरण की नीति के अच्छे नतीजे निकले हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र खूब फल-फूल रहा है और भारत सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व के चोटी के देशों में एक है। वह व्यापार-व्यवसाय प्रस्तावों को संसाधित करने का प्रमुख केन्द्र बन गया है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के भाग लेने से फैशन क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। शिक्षा क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के कारण उसने उद्योग का रूप ले लिया है।

महिला उद्यमी

महिला उद्यमियों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। फैशन, सौन्दर्य और कैरियर संबंधी सलाह के क्षेत्र में अनेक महिलाएं कार्यरत हैं जिनमें से कुछ के अपने 'लेबल' भी हैं। इनमें से *रितु बेरी* ने कुछ समय फ्रांसीसी फैशन उद्योग में भी बिताया है। *रीना ढाका* फैशन क्षेत्र का सुपरिचित नाम है। भारतीय फैशन उद्योग इस बात से परिचित है कि अब विदेशों में भी उसके विकास के अवसर हैं और उसे इसके लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी। सजने-संवरने और सौन्दर्य का परिष्कार करने की विधा ने महिला उद्यमियों के लिए अनेक नए अवसर पैदा किए हैं। औरतें सफलता के साथ 'सौन्दर्य कला विशेषज्ञ' (ब्यूटीशियन) या 'हेयर स्टाइलिस्ट' आदि का काम कर रही हैं। कपड़ों के अलावा औरतें डिजाइन से जुड़ी अन्य वस्तुएं भी तैयार कर रही हैं। भारतीय महिलाओं ने कांतिवर्द्धक सौंदर्यवर्द्धक वस्तुओं के ब्रांड विकसित किए हैं। 'बायोटिक' की *विनीता जैन* और 'शाहनाज हर्बल्स' की *शाहनाज हुसैन* आज विश्व प्रसिद्ध ब्रांड हैं। अब समय आ गया है कि औरतों द्वारा संचालित बड़े और छोटे उद्यमों के बारे में आंकड़े संकलित किए जाएं।

शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश सलाहकार महिलाएं हैं क्योंकि पुरुषों ने इस क्षेत्र को लाभप्रद नहीं समझा। लोगों की आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप औरतें रेस्तरां आदि खोलने के काम में भी आगे आई हैं।

एसकेप रिपोर्ट

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की 2003 की रिपोर्ट में जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक-सामाजिक आयोग द्वारा जारी की गई, यह कहा गया है, भारत

के विदेशी ऋण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार 'मध्यम रूप से ऋणग्रस्त देश' के स्थान पर '1999 में कम ऋणग्रस्त देश' में बदल गया। इससे उद्योग क्षेत्र की सकारात्मक, सुखमय मनोदशा की ओर संकेत होता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, 'उदाहरण के तौर पर भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में गरीबी की स्थिति का अनुमान लगाने के उपाय किए गए हैं और प्रासंगिक नीतियों और युक्तियों की पहचान की जा रही है। मोटे तौर पर जिन नीतियों और हस्तक्षेप का आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अनुसरण किया गया है, उन्हें मुख्य से दो प्रमुख विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, इस धारणा पर आधारित है कि निरंतर आर्थिक विकास गरीबी हटाने में वास्तविक प्रगति हासिल करने के लिए आवश्यक है, और दूसरा, आर्थिक विकास के लाभ तेजी के साथ गरीबों और सुविधा वंचित वर्गों तक पहुंचने के लिए विशेष रूप से गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं शुरू की जाएं और सामान्य रूप से सभी विपन्न (कमजोर) लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।'

स्वतंत्रता के बाद महिला उद्यमियों की पहली लहर पारिवारिक उद्यमों में लगी। तथापि, उदारीकरण के बाद ऋण प्राप्त करना। आसान हो गया और काफी संख्या में औरतें छोटे काम-धंधों में लग गईं। लेकिन एसकेप (एससीएपी) रिपोर्ट में सावधानी बरतने को कहा गया है, 'अनेक देशों में लिंग असमानता अथवा स्त्री-पुरुषों के बीच भेदभाव की भावना अभी भी गंभीर बनी हुई है। कुछ सकारात्मक उपाय स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। इस बात की देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से आवश्यकता है कि बच्चों के माता-पिता को प्रचार अभियान के दौरान लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में परिचित कराया जाए। लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, निशुल्क पाठ्यपुस्तकें और अन्य सुविधाएं लड़कियों को स्कूलों में दाखिला लेने में आकृष्ट कर सकती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रबंध व्यवस्था में अधिक औरतों को शामिल करके भी औरतों की चिंताओं को दूर किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र में अवसर

अगर हम यह चाहते हैं कि भारत में अधिक औरतें उद्यमशीलता अपनाएं तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बढ़ावा देना होगा।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से आवश्यकता है कि बच्चों के माता-पिता को प्रचार अभियान के दौरान लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में परिचित कराया जाए। लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, निशुल्क पाठ्यपुस्तकें और अन्य सुविधाएं लड़कियों को स्कूलों में दाखिला लेने में आकृष्ट कर सकती हैं।

औरतों को छोटे ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला कोष इस तरह का एक उदाहरण है। थोड़ी शिक्षा और कुशलता प्राप्त महिलाएं भी अगर सरलता से ऋण प्राप्त हो जाए तो आचार-मुरब्बे बनाने या हस्तशिल्प की वस्तुएं तैयार करने का उद्यम शुरू कर सकती हैं। अगर महिलाएं उद्यम चलाती हैं, चाहे वह छोटे ही क्यों न हों, और अगर उनसे उन्हें वित्तीय आजादी मिलती है तो इससे महिलाओं की हैसियत में सुधार होता है और वे शक्तिशाली बनती हैं। ग्रामीण भारत अपने सीमित साधनों और रोजगार के अवसरों के अभाव के बावजूद औरतों को छोटे उद्योग शुरू करने के अवसर प्रदान कर सकता है। ये औरतें यद्यपि संगठित क्षेत्र में नहीं होंगी, वे संपत्ति या धन और आय पैदा करने लगेंगी।

देश के शहरी क्षेत्रों में एक और क्षेत्र जहां औरतें भाग ले रही हैं वह है— आंतरिक सजावट। अनेक औरतें वस्तुकला के साथ आंतरिक सजावट का काम करती है। एक अन्य क्षेत्र जहां महिलाओं ने काफी उद्यमशीलता प्रदर्शित की है सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात सदन खोलना है।

कपड़ों के निर्यात सदन सरकार की उदारीकरण नीतियों के परिणामस्वरूप फले-फूले हैं। इसके लिए व्यापारिक समझ और ग्राहकों से निपटने की क्षमता के अलावा कोई अन्य विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में अनेक संघ (एसोसिएशन) है जो महिला उद्यमियों को कुटीर उद्योग कैसे शुरू करें, इसका प्रशिक्षण देने को तैयार हैं।

एसकेप (ईएससीएपी) रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय हिस्सेदारी से शिक्षा और स्वास्थ्य के संसाधन बढ़ाए जा सकते हैं। समाज के सदस्य वस्तुओं के रूप में या नकद अंशदान दे सकते हैं। गैर सरकारी संगठन काफी समय से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे आंतरिक और बाहरी संसाधन जुटा सकते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व भी प्रदान कर सकते हैं।

महिलाओं के साथ भेदभाव

समाज में पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर औरतों की आर्थिक भागीदारी सुगम बनाने के लिए हमें अपना मानसिक दृष्टिकोण बदलना होगा। औरतों को भी अपनी परंपरागत घर-गृहस्थी संभालने और बच्चों

का पालन-पोषण करने की भूमिका से थोड़ा पीछे हटकर अधिक प्रगतिशील ऐसी भूमिका निभाने की ओर बढ़ना होगा जिसमें समाज को उनका आर्थिक योगदान सकरात्मक रूप में हो। औरतों के साथ सभी किस्म का भेदभाव समाप्त करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र समझौते में (दि यूएन कनवेंशन आन इलिमिनेशन आफ आल फामर्स आफ डिस-क्रिमिनेशन अगेनस्ट वूमन-सीईडीएडब्ल्यू), जिसकी भारत ने पुष्टि की है, कहा गया है, "(क) राज्य रोजगार के संबंध में औरतों के साथ किए जा रहे सभी किस्म के भेदभाव को समाप्त करने के सभी उपयुक्त उपाय करेगा ताकि विशेष रूप से स्त्री-पुरुषों की समानता के आधार पर सभी को वही अधिकार सुनिश्चित हो। काम करने का अधिकार सभी मनुष्यों का अहरणीय (जिसे छीना नहीं जा सकता) अधिकार है; (ख) रोजगार के लिए चुने जाने की समान कसौटी सहित रोजगार के समान अवसरों का अधिकार; (ग) स्वतंत्रता के साथ अपना व्यवसाय या रोजगार चुनने का अधिकार, पद्दोन्नति का अधिकार, काम की सुरक्षा और सेवा के सभी लाभ और शर्तें और व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण पाने का अधिकार; (घ) लाभ सहित, समान वेतन पाने का अधिकार और समान उपयोगिता या महत्व के काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, साथ ही काम की गुणवत्ता के संबंध में समानता के बर्ताव का अधिकार...' यह सब देखते हुए और यह देखते हुए कि भारत ने समझौते की पुष्टि कर दी है, यह महत्वपूर्ण है कि इन अधिकारों को व्यवहार में लाया जाए। निस्संदेह, भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को समानता की गारंटी प्रदान करता है, लेकिन देश के अधिकांश भागों में लोगों की सामंतवादी मनोवृत्ति के कारण ये सब अभी कागज पर हैं।

शहरीकरण के कारण धीरे-धीरे सामाजिक परिदृश्य बदल रहा है और इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनुभव किया जा रहा है। समाज के सभी स्तरों पर महिलाएं भी कामों में भागीदार बन रही हैं और उनका योगदान स्वीकार किया जा रहा है। भविष्य में अधिक महिलाएं परंपरागत रूप में पुरुषों के प्रभुत्व में आने वाले क्षेत्रों में काम करने लगेंगी। सरकार ने उदारीकरण का लक्ष्य अपनाकर काफी सीमा तक सामाजिक परिवेश को बदल दिया है। ऐसा आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इससे आय के साधन पैदा हुए हैं और समाज के सभी वर्ग की महिलाओं में आत्म- संतुष्टि या परितोष का भाव विकसित हुआ है। निस्संदेह, भविष्य में महिलाएं अपने बल अधिक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने में सफल होंगी। ❑

(श्रीमती सी. जयन्ती एजुकेशन टाइम्स की संपादक हैं।)

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO ARE WILLING TO WORK FOR IT.

There is no magic formula for success.
Just 3 essential ingredients which, when combined, can work wonders.

The desire to succeed.
The willingness to work hard.
The right preparatory guidance.

BRILLIANT'S STUDENTS TOP THE LIST IN IIT-JEE 2003 & IAS 2002

Shashank Shekhar Dwivedi
All India No. 1
IIT - 2003

Ankur Garg
All India No. 1
IAS - 2002

Brilliant's Courses for IIT-JEE 2004 & 2005

- **2 Year Elite with YG-Files B.MAT for IIT-JEE 2005.** For students studying in Std. XI
- **1 Year Course with YG-File + B.MAT for IIT-JEE 2004.** For students studying in Std. XII
- **Target-IIT Courses to build a firm foundation.** For students studying in Stds. IX, X

Brilliant's Courses for Medical 2004 & 2005

- **2 Year CBSE + with Question Bank and B.NET series for CBSE PM/PD and All India Entrance Exams by other institutions.** For students studying in Std. XI
- **1 Year Course with Question Bank and B.NET series for CBSE PM/PD and All India Entrance Exams by other institutions.** For students studying in Std. XII
- **Target-Medical Courses to build a firm foundation.** For students studying in Stds. IX, X

GATE 2004
AIEEE/SEAT 2004
(CET, Chandigarh; JEE, Orissa; DCE, Delhi; CEET, Kurukshetra; UPSEAT, U.P.; PET, M.P.; EAMCET, A.P.; PET, Rajasthan; TNPCEE, Tamil Nadu; BCECE, Patna; WBJEE, West Bengal; CET, Karnataka)

AMIE (I) (Sec A & B Exams)
Dec '03, June '04

IAS 2004
IES 2004
CSIR-UGC (NET) EXAM
Dec '03, June '04
UGC (NET) EXAM (Humanities)
Dec '03, June '04
MBA Ent. '03 & '04
MCA Ent. '03 & '04
GRE
TOEFL
BPOE

- **UPSC'S GEOLOGISTS' EXAMINATION 2003**

To know more about Brilliant's Courses – Call, write, fax or e-mail

BRILLIANT TUTORIALS®
Your Gateway to Success

Box: 4996-YOH 12, Masilamani Street,
T. Nagar, Chennai-600 017.
Phone: 044-24342099,
Fax: 044-24343829
email:enquiries@brilliant-tutorials.com

आर्थिक विकास का नया दौर 1999-2003

○ जितेन्द्र गुप्त

1999 से 2003 की अवधि कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ये वर्ष मिली-जुली यानी गठबंधन सरकार के स्थायित्व के वर्ष हैं। इसके पहले कोई भी साझा सरकार ढाई वर्ष से अधिक नहीं चली। आर्थिक दृष्टि से भी यह कालखंड पांच वर्ष की किसी भी अवधि से अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

विकसित देशों की तरह विकासशील देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए दो सौ वर्षों का लंबा समय नहीं मिल सकता। इसलिए जनबहुल भारत को कृषि, उद्योग और क्रांतिकारी सूचना प्रौद्योगिकी के समरस विकास के साथ-साथ विश्व के व्यापार तंत्र के तकाजों के साथ भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी पड़ रही है। यह अपने-आप में जटिल और चुनौती भरा काम है। समस्याएं कभी खत्म होती नजर नहीं आतीं। एक हल होती है तो नई-पुरानी, दस समाधान की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। उनसे जूझते हुए विकास की प्रक्रिया पिछले पचास-पचपन वर्षों से आगे बढ़ाई जा रही है।

1999 से 2003 की अवधि कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ये वर्ष मिली-जुली यानी गठबंधन सरकार के स्थायित्व के वर्ष हैं। इसके पहले कोई भी साझा सरकार ढाई वर्ष से अधिक नहीं चली। आर्थिक दृष्टि से भी यह कालखंड पांच वर्ष की किसी भी अवधि से अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

1991 में बाजारोन्मुख आर्थिक नीति अपनाए जाने पर 1994-95 समेत लगातार तीन वर्ष तक विकास दर सात प्रतिशत का जादुई स्तर पार कर गई। लेकिन वह कायम नहीं रह सकी। मांग से अधिक उत्पादन क्षमता की स्थापना, पूर्वेशियाई देशों का मुद्रा संकट और निर्यात में कभी इसके प्रमुख कारण रहे।

इस पृष्ठभूमि में नया दौर शुरू होता है जो प्राकृतिक कोप से मुक्त नहीं रह सका। उड़ीसा में महाचक्रवात और गुजरात में भूकंप की विनाश लीला और 2002 में व्यापक सूखे का सामना करना पड़ा। अन्न की पैदावार 13 प्रतिशत घट गई। औद्योगिक मंदी इसलिए कमोबेश कायम रही। फिर भी पिछले चार वर्षों में विकास दर का औसत 5.5 प्रतिशत रहा। रिजर्व बैंक के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर 6 प्रतिशत रहने वाली है। यह नहीं भूलना चाहिए कि आज चीन के अलावा किसी भी देश की विकास दर इससे अधिक नहीं है। यह अपने-आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कुल मिलाकर 82 अरब अमेरिकी डालर के बराबर राशि जमा हो गई है। यह एक नया कीर्तिमान है। यह राशि भरोसा दिलाती है कि कैसा भी आर्थिक और वित्तीय संकट आए उसका सामना किया जा सकता है। 1991 में विदेशी मुद्रा संकट के बाद ही उदार आर्थिक नीति अपनाई गई थी। हमें देनदारियां चुकाने के लिए 1990 में सोना भी विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। पोखरन परीक्षण (1998) के बाद जब अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए तब विदेशी मुद्रा का जखीरा इतना नहीं था कि आश्वस्त रहा जा सके हालांकि 97-98 में इंडिया रिसर्जेंट बांड से 4.9 अरब डालर की उगाही हो चुकी थी। अत: इंडिया मिलेनियम डिपाजिट (2000) की मार्फत 5.5 अरब डालर का जुगाड़ किया गया। यह आवश्यक समझा गया क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में वह राशि भी शामिल थी जो कभी भी पलायन कर सकती थी। शेयरों में निवेश और अल्पकालिक ऋण चंचल पूंजी की श्रेणी में आते हैं।

आज विदेशी मुद्रा भंडार भरा-पूरा होने के कई कारण हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि पिछले चार वर्षों में औसतन पौने तीन अरब डालर के औसत से ही आई, लेकिन लगातार आती रही। शेयरों में विदेशी निवेश भी औसतन पांच अरब डालर बना रहा। सॉफ्टवेयर के निर्यात ने जोर पकड़ा है। सोने का आयात खोल देने से तस्करी घटी है और हवाला कारोबार कमजोर हुआ है

इसलिए अनिवासी भारतीय बैंकों की मार्फत पैसा स्वदेश भेजने लगे हैं। पिछले वर्ष डालर की साख घटने से निर्यात में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल मिला कर 77-78 के बाद पहली बार भुगतान संतुलन के चालू खाते में अधिशेष (सरप्लस) रहा।

इस विदेशी मुद्रा से कुछ पुराने ऊंची ब्याज दर के कर्ज अदा किए जा सकते हैं, विदेशों में लाभकारी निवेश किए जा सकते हैं और अन्य उपयोग सोचे जा सकते हैं। पिछले दो वर्षों में ओ.एन.जी.सी. ने विदेशी तेल और गैस परियोजनाओं में तथा निजी कंपनियों ने कोई दो अरब डालर का निवेश किया है। विदेशी बाजारों में पैर जमाने की यह अच्छी शुरुआत है।

यह स्थिति नई आर्थिक नीति अपनाने के 12 साल बाद आई है। समाजवादी तेवर वाली लाइसेंस-परमिट और नियंत्रणों से जकड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यह क्रांतिकारी कदम था, जिसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। मजबूरी में उठाया गया कदम था। बाद में मराकेश में हुए समझौतों और विश्व व्यापार संगठन के गठन से वैश्वीकरण को औपचारिक रूप मिल गया। नए बाजारोन्मुख निजाम के बारे में संशय, शंकाओं और कुप्रभावों की चर्चा आज भी होती है जो अनुचित नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था को नई पटरी पर चलाने में दिक्कतें आती ही हैं। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और न दीर्घसूत्रता/फूंक-फूंक कर कदम रखने चाहिए।

आयात को उदार बनाने की प्रक्रिया के अधीन 1999 में 894 जिंसों के आयात को लाइसेंस मुक्त किया गया और 2001 तक सभी 2714 जिंसों को खोल दिया गया। अलबत्ता कुछ जिंसों पर, खासकर कृषिजन्य पदार्थों पर आयात शुल्क की ऊंची दरें कर दी गईं। इसका कई क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हालांकि प्रतियोगिता का माहौल भी बना।

कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोला गया और उसका प्रतिशत बढ़ाया गया। बीमा क्षेत्र को खोलने का फैसला उल्लेखनीय है। 26 प्रतिशत निवेश की छूट दी गई। बीमा नियमन और विकास अथारिटी के गठन का कानून दिसंबर 1999 में पारित किया गया। अनेक नई बीमा कंपनियां अस्तित्व में आईं। संभवत: सरकार कुछ अधिक ही सतर्क है इसलिए केवल 2001-02 में प्रत्यक्ष पूंजी झिझकते हुए आ रही है क्योंकि उसे अभी मुनाफा कमाने का वांछित माहौल नहीं नजर आ रहा।

उत्पादन और निर्यात बढ़ाकर ही हम वैश्वीकरण का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आयात और उत्पाद शुल्क की दरों में कमी का सिलसिला जारी है। ब्याज की दरें घटने से पूंजी की लागत घट गई है। संगठित क्षेत्र के तमाम निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने ऐच्छिक सेवा निवृत्ति के जरिए श्रम लागत घटाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता हासिल कर ली है।

उत्पादन और निर्यात बढ़ाकर ही हम वैश्वीकरण का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आयात और उत्पाद शुल्क की दरों में कमी का सिलसिला जारी है। ब्याज की दरें घटने से पूंजी की लागत घट गई है। संगठित क्षेत्र के तमाम निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने ऐच्छिक सेवा निवृत्ति के जरिए श्रम लागत घटाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता हासिल कर ली है।

सूचना, संचार और सड़क परिवहन के क्षेत्र प्रगति के लिहाज से उल्लेखनीय हैं। आलोच्य अवधि में प्रथम दो क्षेत्रों के ठोस नतीजे सबके सामने हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों को बराबर सुविधाएं और रियायत दी जाती रही हैं। साफ्टवेयर उद्योग की इकाइयों ने विदेशों में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। भारतीय प्रतिभा और कम लागत का लाभ मिला है उसे। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित भारतीय इकाइयां अमेरिकी कंपनियों के दफ्तरी कामकाज भारत में निपटाने में बेहद सफल साबित हुई है। ये डाटा-प्रोसेसिंग, ट्रांसक्रिप्शन और काल सेंटर के रूप में काम करती हैं। दोनों क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 1999-2000 में सॉफ्टवेयर के निर्यात से 4.62 अरब डालर मिले। आईटी आधारित सेवाओं से 2003-2004 में 3.6 अरब डालर की आमदनी होने की उम्मीद की जा रही है।

1999 में नई दूरसंचार (टेलीकॉम) नीति घोषित की गई। घरेलू लंबी दूरी की टेलीफोन सेव में निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ और दूरसंचार विभाग को भारत संचार निगम लि. में बदल दिया गया। दूरसंचार सेवा मुहैया कराने वालों को वार्षिक लाइसेंस फीस की जगह कमाई में हिस्सेदारी का विकल्प दिया गया। विदेश संचार निगम लि. के निजीकरण से इस क्षेत्र में एकाधिकार की समाप्ति हो गई। इसी वर्ष पुर्नगठित टेलीकाम नियामक अथारिटी (ट्राई) के प्रयास से एस टी डी की दरों में 56 प्रतिशत और आई एस डी की दरों में 47 प्रतिशत की कमी आई है। सेलुलर फोन सेवा का भी तेजी से विस्तार हुआ है।

नेशनल हाईवे अथारिटी को पहले विदेशी सहायता से पांच राजमार्गों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन 1999 में डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर के हिसाब से उपकर लगाए जाने के बाद 1998 में घोषित 'राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना' का काम तेजी से आगे बढ़ा। यों एक साल पहले पेट्रोल पर भी इसी प्रयोजन से एक

रुपया प्रति लिटर का उपकर वसूला जाने लगा था। 13 252 लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के दो हिस्से हैं। एक है—स्वर्णिम चतुर्भुज जिसके अधीन दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकाता-नई दिल्ली राजमार्गों को 4 या 6 लेन का बनाया जाएगा। दूसरे भाग में कश्मीर को कन्याकुमारी और सिलचर को काठियावाड़ से जोड़ने वाले मार्गों को विकसित किया जाएगा। 'स्वर्णिम चतुर्भुज' का काम इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। इस पर 55000 करोड़ रुपये खर्च होने हैं जिसके लिए निजी क्षेत्र, विश्व बैंक आदि से भी पूंजी उगाही जा रही है। यह परियोजना लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। पूरी हो जाने पर माल परिवहन की गति तो बढ़ेगी ही वाहनों का ईंधन पर व्यय 7-8 प्रतिशत घट जाएगा। कई पिछड़े क्षेत्रों के विकास के रास्ते भी खुल जाएंगे।

श्रम कानून पर पुनर्विचार और असंगठित क्षेत्र के उपेक्षित श्रमिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुझाव देने की गरज से 1999 के अंत में दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन का फैसला किया गया। अधिकतर श्रम कानून केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करते हैं जिन्हें नई परिस्थितियों में लचीला बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। श्रम शक्ति का केवल 8 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में आता है जबकि असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 92 प्रतिशत है जिसके लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र का अभाव है। आयोग पिछले वर्ष अपने सुझाव दे चुका है। कानून में संभावित संशोधनों और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा विधेयक का ढांचा बन गया है।

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने कानून में परिवर्तन की प्रतीक्षा किए बगैर एच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाओं के माध्यम से प्रतियोगिता-सक्षम बनने के लिए श्रम लागत में कटौती कर ली है। निश्चय ही संगठित क्षेत्र के रोजगार घटे हैं और असंगठित क्षेत्र में बढ़े हैं। ताजे नमूना सर्वेक्षण के अनुसार निपट गरीब परिवारों की संख्या घटी है और बेरोजगारों की भी। सर्वेक्षण के तौर-तरीके पर बहस संभव है लेकिन आंकड़े यही बोलते हैं।

संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा-तंत्र बनाने की दिशा में सरकार बढ़ रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है जो वर्षा सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। श्रमिक और नियोक्ता दोनों सामाजिक सुरक्षा कोश में अंशदान करेंगे। पेंशन नियमन और विकास अथारिटी के गठन की व्यवस्था इसी वर्ष होने की प्रबल संभावना है। बिजली तंत्र में सुधार संबंधी विधेयक इसी वर्ष पारित हुआ है। बैंकों के बकाया कर्जों की वसूली के लिए सिक्योरिटाइजेशन कानून बन गया है। अब बैंक और वित्तीय संस्थाएं कर्ज वसूली के लिए कर्जदार की परिसंपत्ति अधिग्रहीत कर सकते हैं। इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों को भी दूर किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी कानून में भी व्यापक संशोधन किए गए हैं।

अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए ये तथा अन्य कार्य किए गए हैं, फिर भी कई समस्याएं बाकी रह जाती हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है। कृषि, बिजली उत्पादन सरीखे अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश घटा है जबकि सकल राजकोषीय घाटे में कमी नहीं आई है। अगर निवेश बढ़ा होता तो घाटे की चिंता न होती। अनाज की सरकारी खरीद और वितरण की पुरानी व्यवस्था अप्रासंगिक हो चुकी है। समर्थन मूल्य और विपुल अन्न भंडार बोझ बन गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे वाले उद्यमों के बारे में भी युक्तिसंगत फैसला करना होगा। संदिग्ध उपयोगिता वाली सब्सिडियों को खत्म या मर्यादित किया जाना है।

आवश्यक सुधारों के लिए राजनैतिक आम सहमति जरूरी है। जब तक वह न हो या कोई बड़ा संकट उपस्थित न हो जाए तब तक बड़े परिवर्तन या व्यवस्था में बड़ा सुधार संभव नहीं हो पाता। परिस्थितियां बदल जाने पर भी पुरानी मानसिकता नहीं बदलती। फिर अब केंद्र में साझा सरकारों का युग आ गया है। राष्ट्रीय लोकतंत्री गठबंधन की सरकार में बीस से भी अधिक दलों का सहयोग है। इसलिए आम सहमति विकसित होने में समय लगता है। समाज के कुछ प्रमुख वर्गों जैसे श्रमिक संगठनों और व्यवसाय जगत की भी एक सिरे से उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन सब वास्तविकताओं को देखते हुए आलोच्य अवधि में जो काम हुए हैं और हो रहे हैं वे किन्हीं पांच वर्षों की उपलब्धियों से कम नहीं है। हमारी विकास यात्रा एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर अग्रसर हो रही है। ❑

(आर्थिक विषयों के जाने-माने लेखक।)

विकास दर

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि
1999-00	6.1
2000-01	4.4
2001-02	5.6
2003-2004	6.0
संभावित	6.0

विदेशी पूंजी निवेश

(अरब डालर में)

वर्ष	प्रत्यक्ष निवेश	शेयरों में निवेश	योग
1999-00	2.2	3.0	5.2
2000-01	2.3	2.8	5.1
2001-02	3.9	2.0	5.9
2002-03	2.6	0.9	3.6

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्वर्ण जयंती

○ मृदुला सिन्हा

"मेरे लिए सुधार कार्यक्रमों की सच्ची परीक्षा तब है जब वे सभी भारतीयों, खासतौर पर समाज के सबसे गरीब लोगों और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वालों के जीवन पर अच्छा असर डाल सकें।

हम तमाम क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं लेकिन यह प्रगति उतनी तेज नहीं है जितनी की आवश्यकता थी। अभी और भी बड़ा एक क्षेत्र है जहां लोगों की अपनी पहल और अपने संगठित प्रयासों से वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे समाज में अभी ऐसी जबर्दस्त ऊर्जा है जिसका उपयोग नहीं किया जा सका है। इसका इस्तेमाल संभव है और इसे रचनात्मक कार्यों में लगाया जाना चाहिए। तभी समाज में सार्थक परिवर्तन लाए जा सकेंगे। भले ही ऐसे परिवर्तन छोटे पैमाने पर हों, और इनका असर स्थानीय असर पर पड़े लेकिन इनकी बड़ी आवश्यकता है।"

(—गोवा में 1 जनवरी, 2003 को प्रधानमंत्री के चिंतन लेख से)

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, इस साल अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। पिछले पांच दशकों में इसकी गतिविधियों के सिंहावलोकन से कुछ प्रासंगिक सवाल उठते हैं: इसके गठन का क्या उद्देश्य था? यह अन्य संगठनों से किस तरह भिन्न है? क्या यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है? जब बोर्ड का गठन किया गया था उस समय देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा था और देश के सामने भारी समस्याएं थीं। आज राष्ट्र के समक्ष नई समस्याएं हैं और हमें यह सोचना पड़ेगा कि इनसे निपटने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? बोर्ड को भविष्य में क्या भूमिका निभानी चाहिए? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने इन सब सवालों के जवाब कुछ हद तक खोज लिए हैं। इसने अपनी क्षमताओं का आकलन किया है और विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं। 12 अगस्त, 2003 को बोर्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर स्वयंसेवी संगठनों की विस्तृत राज्यवार निर्देशिका और स्मारिका जारी की गई।

असल में जब देश स्वतंत्र हुआ, तभी भारत सरकार ने यह बात भलीभांति सोच ली थी कि विकास कार्यों की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार पर नहीं होनी चाहिए। सरकार के साथ-साथ समूचे समाज को भी यह भार बांटने, खासतौर पर गरीबों और जरूरतमंद तबकों के लोगों के उत्थान के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आगे आना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की मदद से स्वैच्छिक क्षेत्र के विकास का रास्ता चुना है। भारत सरकार के एक संकल्प से गठित इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य अफसरशाही के ढांचे से बाहर निकल कर कार्य करना था। इसका एक और उद्देश्य सरकार और उस क्षेत्र के लोगों के बीच संपर्क सूत्र के रूप में काम करना था जहां विकास और कल्याण के कार्य किए जाने हैं।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्षा डा. दुर्गाबाई देशमुख ने (जो इसकी संस्थापक अध्यक्ष भी थीं) सामाजिक विकास के कुशल माध्यम के रूप में इसकी भूमिका की परिकल्पना की थी। इसमें स्वैच्छिक प्रयासों के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों के विकास पर विशेष जोर देने का भी संकल्प लिया गया था। बोर्ड का उद्घाटन करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था—"समाज कल्याण गतिविधियों को इस तरह बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं, वह अपने-आप में अनोखे हैं।"

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसे अन्य सरकारी संगठनों से अलग करती हैं। इसके काम करने का तरीका भी सरकारी संस्थाओं से हट कर है। पहली विशेषता तो यह है कि बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर बोर्ड का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक प्रयासों को बढ़ावा देना है, तो यह स्वाभाविक ही है कि बोर्ड में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए, जो समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वेच्छा से कार्य करते हों, इससे स्वैच्छिक क्षेत्र की आयोजना में काफी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी इकाइयों के साथ पर्याप्त तालमेल कायम करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम और वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को भी बोर्ड में मनोनीत किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का एक-एक प्रतिनिधि भी बोर्ड में रहता है। दूसरा अंतर जो इसे सरकारी संगठनों से भिन्न बनाता है, वह है बोर्ड की दी गई शक्तियां। इसे जो प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए गए हैं उनसे यह आवश्यक निर्णय ले सकता है और भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय या महालेखाकार अथवा केंद्रीय राजस्व संगठन आदि से पूछे बिना उन पर अमल कर सकता है। फिर भी सरकार द्वारा गठित किसी संगठन के कामकाज के लिए जो शर्तें आवश्यक हैं, वह केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर पूरी तरह लागू होती हैं। इनके तहत बोर्ड संसद के प्रति उत्तरदायी है

और इसके खर्च का नियंत्रण सार्वजनिक निधियों से निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाता है।

हालांकि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर मोटे तौर पर वही प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाएं लागू होती हैं जो अन्य सरकारी संगठनों पर, लेकिन इसकी स्थापना और गठन में पर्याप्त लचीलापन बरता गया है। नतीजा यह हुआ है कि इसके प्रशासन में काफी हद तक स्वायत्तता आई है और यह अपनी पहल पर कार्य कर सकता है।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा लागू किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम शिक्षा के संघनित कार्यक्रम, परिवार परामर्श केंद्र कार्यक्रम, बाल अनुरक्षण गृह कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र परियोजनाएं, महिला मंडल, कामकाजी महिला होस्टलों के लिए सहायता, महिला अधिकारिता कार्यक्रम, और कई अभिनव योजनाएं शामिल हैं, जिनमें पर्याप्त लचीलापन भी है।

1953 में अपनी स्थापना के समय छोटी-सी शुरूआत के बाद केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अपनी गतिविधियों का निरंतर विस्तार किया है। आज बोर्ड का बजट एक अरब रुपये सालाना है। लेकिन यह तो सिक्के का एक पहलू है। 1998 में जब मैंने बोर्ड की कमान संभाली तो मुझे इस बात से कुछ निराशा हुई कि बोर्ड ने अपनी जीवंतता खो दी है जो कि इसके शुरुआती दिनों में इसमें दिखाई देती थी।

जहां पहले बोर्ड बदलाव और विकास में सक्रिय होकर भूमिका निभाता था, वहीं ऐसा लगता था जैसे बोर्ड गैर-सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर सहायता देने वाली एजेंसी बन गया है। बोर्ड की अध्यक्ष होने के नाते मैंने बोर्ड को सही दिशा देने और इसका शीर्ष राष्ट्रीय संस्था का स्वरूप बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए। परिणामस्वरूप बोर्ड ने पिछले साढ़े चार वर्ष के दौरान नए जोश के साथ कार्य किया। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने जो विभिन्न कदम उठाए हैं, उनमें 1999 को 'चेतना पर्व' के रूप में मनाना, वर्ष 2000 को 'विकास पर्व' के रूप में मनाना और 2001 को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' तथा 2002 को 'पहचान पर्व' के रूप में मनाना प्रमुख हैं।

समय की आवश्यकता

परिवार परामर्श केंद्रों का विस्तार

महिलाओं के खिलाफ अत्याचार तथा पारिवारिक झगड़ों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी के मद्देनजर समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने परिवार परामर्श केंद्रों को नया रूप देने और इस कार्यक्रम के विस्तार का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया है और 10वीं योजना में इन केंद्रों के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।

विवाह पूर्व परामर्श केंद्र

परिवार परामर्श केंद्रों की सफलता से प्रेरित होकर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अब दांपत्य संबंधी झगड़ों की रोकथाम और युवाओं को पारिवारिक उत्तरदायित्व के लिए तैयार करने के बारे में उचित परामर्श देने की दिशा में कदम उठा रहा है। इससे जहां वैवाहिक जीवन के उत्तरदायित्वों के बारे में आशंकाओं को दूर करने में मदद मिलेगी, वहीं विवादों के कम होने की भी संभावना बनेगी। एक नई पहल के तौर पर बोर्ड ने शैक्षिक संस्थाओं और अनुभवी स्वयंसेवी संगठनों को इस विषय पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए धन उपलब्ध कराया है। बोर्ड को इसी तरह की और कार्यशालाएं आयोजित करने और ठोस सुझाव देने को भी कहा गया है। इस संबंध में बोर्ड सरकार को विस्तृत प्रस्ताव भेजेगा और ऐसे कार्यक्रमों के लिए बजट में धन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाएगी।

स्वशक्ति केंद्र

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाओं के स्वसहायता समूह और सहकारिताएं गठित करने के भी प्रयास किए गए हैं तथा उनके लिए सूक्ष्म ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं। देशभर में हजारों स्वसहायता समूह बनाए गए हैं और इनकी संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। लेकिन जिस बात की कमी है वह है विपणन सुविधाओं का अभाव, जिसकी वजह से महिलाएं अपने बनाए समान की बिक्री नहीं कर पा रही हैं। इस तरह ध्यान देने की जरूरत है।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अपने राज्य बोर्डों की देख-रेख में इसके लिए विपणन केंद्र गठित करने का भी प्रस्ताव है। इनका संचालन सक्षम और अनुभवी स्वयंसेवी संगठन दिन-प्रतिदिन के आधार पर करेंगे। जिला स्तर के केंद्र सूचना उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे।

मानवी सम्मान भोज

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिलाओं को समुचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से 'मानवी सम्मान भोज' नाम की एक नई अवधारणा प्रायोजित की है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर, 2001 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर समूचे भारत में की गई। 'मानवी सम्मान भोज' एक सामुदायिक भोज कार्यक्रम है, जिसमें भोजन की कच्ची सामग्री एकत्र की जाती है और जन सहयोग से तैयार करके वितरित की जाती है। इसकी एक खास बात यह है कि भोजन सबसे पहले महिलाओं को दिया जाता है।

आज समय आ गया है कि धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भी राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए और एक मंच पर एकजुट किया जाए। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड इस प्रयास में बखूबी तालमेल कायम कर सकता है। बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, बड़े और छोटे औद्योगिक घरानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए भी अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। बोर्ड को उम्मीद है कि इसी तरह के समन्वित और निरंतर प्रयासों से वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा और प्रधानमंत्री के स्वप्न को भी साकार करने में इससे मदद मिलेगी। ❑

(श्रीमती मृदुला सिन्हा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष हैं।)

IAS 2003/04

D.KUMAR'S Moduler G.S. & History

Next batch of

Indian Economy

From 10th Aug.

Courses Available :

IAS Mains 2003
PCS U.P. & Rajasthan
Foundation Course 2004

Both in Hindi & English

ORIGIN

IAS STUDY CENTRE
2041, OUTRAM LINES, DELHI-9
PH : 32347048, 9811599917, 27444189
Email : dkumarorigin@hotmail.com

Abhivyakti

सुरक्षा और मानव-विकास दृष्टि—2050 (भारत)

○ राजीव शर्मा

शांतिपूर्ण वातावरण में ही मानव विकास संभव है। अत: सामाजिक शांति मानव विकास के लिए अति आवश्यक है और हम मानव विकास को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर लोग इस शांति से वंचित हैं और ऐसे लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही हो तो एक दिन पूरा समाज खतरे में पड़ सकता है।

सुरक्षा के बगैर विकास की सोच निराधार है। यह कहना व्यर्थ होगा कि मानव विकास सिर्फ सुरक्षा के वातावरण में ही फलित हो सकता है। अफ्रीकी देशों में जहां उद्यम वास्तव में एक स्थायी गुण है वहां मानव विकास बहुत धीमा है। यद्यपि कुछेक देश जैसे—श्रीलंका ने लंबे आंतरिक कलह के बावजूद मानव विकास के अपने ढांचा को बनाए रखा है। यहां यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि श्रीलंका ने अपनी समस्याओं को निर्धारित किया और विकास की गति को कम नहीं होने दिया।

मानव विकास के दृष्टिकोण से सुरक्षा के कई आयाम हैं जैसे—पर्यावरण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा।

- **पर्यावरण सुरक्षा** साफ वातावरण देता है जिसकी वजह से लोग अच्छे जीवन का आनंद उठाते हैं। बताने के क्रम में यहां यह उल्लेखित करना जरूरी होगा कि पर्यावरण-कानून की सख्त बाध्यता और पुनर्वास पैकेज वातावरण की प्रगति के लिए आवश्यक है। परिस्थितकी समस्याएं जिसका पूर्ण सहयोग पर्यावरण-क्षय में है को इंगित करने के लिए यह एक बेहतर नीति भी होगी। अच्छे परिणाम के लिए सम्मिलित योजना और निम्न-स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन जरूरी है। भारत में योजनाओं की परिकल्पना अपने आकार एवं प्रकार की वजह से असफल रही हैं।
- **खाद्य सुरक्षा** जब हम अपने समाज की उच्च पूंजीगत सम्पत्ति के रूप में परिकल्पना करते हैं तो हम सिर्फ रोटी की जरूरत पर बहस नहीं करते। हमें अपने समाज को पोषण-सुरक्षा देनी चाहिए जो वास्तविक रूप में ज्यादा प्रभावशाली हैं। खाद्य वितरण और प्राप्ति की लागत की वजह से पोषण में अनुदान देना सरकार के लिए संभव नहीं है। अत: एक अच्छा विकल्प यह होगा कि हम सक्रिय रहें ताकि जीने के लिए जरूरी संसाधनों की नई संभावनाएं जन्म ले सकें।
- **सामाजिक सुरक्षा** भी मानव विकास के लिए जरूरी है। हर एक को यह निश्चिंतता होनी चाहिए कि असमय आए संकट के वक्त सामाजिक सुरक्षा का जाल उसका बचाव करेगी। अत: शारीरिक रूप से अक्षम, अभावग्रस्त एवं वरिष्ठ नागरिक भी अच्छे जीवन का आनंद उठा सकते हैं। सामाजिक योजना के इस पहलू पर वर्तमान की अपेक्षा और अधिक बल देना होगा। अस्थायी बेरोजगारों के लिए भी सुरक्षा-जाल की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य समस्या जैसे—दवाईयों का दुरुपयोग एवं एचआईवी/एड्स पर सामाजिक स्तर पर उचित ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सरकार सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों के बीच नजदीकी संबंध आवश्यक है। यह दो समस्याएं बहुत गंभीर हो सकती हैं और इसका निराकरण युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
- **व्यक्तिगत सुरक्षा** का सीधा संबंध जीवन की विशेषता अथवा गुण से हमें जिंदगी कभी भी सुगम नहीं हो सकती यदि व्यक्तिगत सुरक्षा में खतरा घात लगाकर बैठा हो। इसमें कानून व्यवस्था के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक नीति की भी आवश्यकता होती है जहां कानून बिना किसी डर अथवा पक्ष के लागू हो।

सुरक्षा, शासन का एक मुद्दा है और यह समय शासन के ऊपर एक बार पुन: व्यापक दृष्टिपात की है। शासन सरकार के विभिन्न साधन—जैसे वैधानिक, अधिशासी और

न्यायपालिका में अनुशासन लाती है। यह अनुशासन समाज को वास्तविकता और स्वार्थयुक्ता प्रदान करती है। अनुशासन कार्यों में पारदर्शिता और व्यापार में ईमानदारी देता है। इन 50 वर्षों में हमारी कई संस्थाएं नीचे आई हैं। फलत: जन-सामान्य में इस तंत्र के प्रति विश्वास घटा है। परिणामस्वरूप हम लोग एक नरम देश के रूप में विचारे जाते हैं जो लंबी दौड़ में नुकसानदेह साबित हो सकता है।

शासन का सबसे सही तंत्र है—लोकतंत्र, जो मानव विकास को बढ़ावा देता है। हमें यह प्रजातंत्र विरासत में मिला है। जिसे बचाए रखना हमारा कर्त्तव्य है। अत: हमें इसे एक बेहतर सामाजिक संस्था के रूप में बढ़ाना चाहिए। यदि हम लगातार ऐसी कोशिश करते रहें तो अगले पांच दशकों के बाद कोई भी हमें उन देशों की कतार में शामिल होने से नहीं रोक सकता जिसकी मानव-विकास दर .9 से ज्यादा है।

उच्च मानव-विकास दर की प्राप्ति के लिए आवश्यक है—दृढ़ता, विस्तृत-योजना, समयबद्ध कार्यान्वयन और कार्यों में पारदर्शिता। विकास नीति का निर्धारण ध्यानपूर्वक उसके आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों पर करना चाहिए। स्रोतों का इस्तेमाल भी ध्यानपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से ही करना चाहिए। ऐसे स्रोत जिसका नवीनीकरण संभव नहीं है महज मानव-लिप्सा की संतुष्टि हेतु उनकी बर्बादी अथवा अतिशोषण नहीं होना चाहिए।

शांतिपूर्ण वातावरण में ही मानव विकास संभव है। अत: सामाजिक शांति मानव विकास के लिए अतिआवश्यक है और हम मानव विकास को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर लोग इस शांति से वंचित हैं और ऐसे लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही हो तो एक दिन पूरा समाज खतरे में पड़ सकता है।

आने वाला पांच दशक हमारे प्रशासनिक तंत्र, न्यायपालिका और राजनैतिक तंत्र परीक्षा लेगा। अगले 50 वर्षों में हमारा ध्येय पश्चिमी देशों के बीच स्वयं को सर्वोत्तम साबित करने का होना चाहिए। हम आने वाले हर दशक को एक मार्का के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे बीते कल की उपलब्धियों पर नजर रखने के साथ ही आने वाले दशकों के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा। प्रत्येक पांच साल में हमें अपनी प्रगति और उसके असर का मध्यावधि आकलन करना चाहिए और हर वर्ष हमें यह देखना चाहिए कि हमने समस्याओं के क्षेत्र को उसके सही समाधान हेतु कितना पहचाना है। यह मानव-विकास की दिशा में किया गया एक नया प्रयास होगा। ❑

(लेखक कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव और एक राजनीति विज्ञानी हैं। इन्होंने गत वर्ष चार दृष्टि-वक्तव्य लिखे हैं। यह लेख उनके दृष्टि-2050 के दस्तावेज से लिया गया है।)

☎ 2331560, 2757086

हिन्दी एवं इतिहास का टॉपर संस्थान

एकेडमीशियन्स IAS

C-50, अलकापुरी, अलीगंज, लखनऊ

Total Selections - IAS - 129, PCS - 327

IAS - 2002 - 12, 1 in Top 10, 4 in Top 100

इतिहास रहीस सिंह द्वारा।

विशेषताएं– ❖ 12 वर्षों का अध्यापन अनुभव।

❖ 6 अत्यन्त लोकप्रिय पुस्तकों *(हड़प्पा सभ्यता, दिल्ली सल्तनत, मुगल, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संघर्ष)* के लेखक।

❖ प्रारम्भिक परीक्षा में 75% से अधिक एवं मुख्य परीक्षा में 81% परिणाम (तथा 75.4% तक अंक) दिलाने में सफल।

❖ विषय की विशेषज्ञता के संदर्भ में आप परिणाम देखकर या छात्रों से जानकारी ले सकते हैं।

हिन्दी डा0 सुशील सिद्धार्थ

विशेषताएं– ❖ 20 वर्षों का अध्यापन अनुभव ❖ लेखक, सम्पादक (सहायक सम्पादक 'तद्भव' एवं 'कथाक्रम')।

❖ बेहतर अंक (IAS में 70% तक, PCS में 75% तक)।

❖ समग्र पाठ्यक्रम का पाठ्य सामग्री सहित अध्यापन।

General Studies

विशेषज्ञों की टीम द्वारा, सटीक एवं बेहतर अध्यापन एवं 15 दिन पर एक सेमिनार जिसमें (IAS, PCS प्राध्यापक एवं पत्रकार) अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

LAW, PCS(J) APO डा. पी.पी. सिंह

एवं अन्य (गेस्ट फैकल्टी के रूप में रिटायर्ड जज, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक)।

दर्शन शास्त्र

श्रेष्ठ प्राध्यापकों (लखनऊ एवं इलाहाबाद) द्वारा।

Sociology Faculty from LU

COURSES : Foundation Course (1 yr.), Main, Main-cum-Pre & Pre

BATCHES : Cycle Batch (from 1st Week of each Month)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय नेतृत्व की भूमिका

○ राजेन्द्र प्रभु

जनवरी, 2003 में बंगलोर में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 90वें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था—'भारत को एक विकसित देश बनाने के अपने स्वप्न को साकार करने के लिए मेरा मानना है कि ईमानदारी की भावना से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए।'

'विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत के नेतृत्व' की बातें करना अगर राजनीतिक लफ्फाजी न भी लगे तो भी पहली नजर में एक दिवास्वप्न अवश्य लगती है। लेकिन केवल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मानव संसाधन विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी जैसे राजनीतिक ही दावा नहीं कर रहे हैं कि यह लक्ष्य हमारी पहुंच के भीतर है। देश-विदेश के चोटी के वैज्ञानिक भी हमारे राजनीतिक तथा औद्योगिक नेतृत्व के इस दावे के समर्थन में कहते हैं कि भारत थोड़े से ही समय में यह लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

जनवरी, 2003 में बंगलौर में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 90वें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था—'भारत को एक विकसित देश बनाने के अपने स्वप्न को साकार करने के लिए मेरा मानना है कि ईमानदारी की भावना से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए'। एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का भारत के राष्ट्रपति के रूप में चयन, एक तरह से इसी मान्यता को ठोस रूप में पुष्टि करता है। इस प्रकार राष्ट्र को एक वचन दिया गया था कि एक तरफ उच्चतम स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा दूसरी तरफ विकास की नीतियों में तालमेल बनाया जाएगा। स्वयं राष्ट्रपति, डा. एपीजे अब्दुल कलाम ने हर मौके पर जोर देकर कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत न केवल अग्रणी बन सकता है बल्कि इसे बनना भी चाहिए। यह सोच भारत की सभ्यता के मूल चिंतन से भी मेल खाती है। डा. जोशी भी इसी बात को दुहराते हैं 'भारतीय सभ्यता उन गिनी-चुनी सभ्यताओं में से एक है जिसके लिए ज्ञान की वैज्ञानिक जिज्ञासा एक मूल विशेषता रही है'।

इन दिनों अग्रणी वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक भारत के लिए नेतृत्व की इस भूमिका का खाका तैयार करने में लगे हैं। वर्ष 2000 में पुणे में भारतीय विज्ञान कांग्रेस में सम्मेलन के अध्यक्ष डा. आर.ए. मंशेलकर ने अगले 20 वर्षों के भारत की कल्पना करते हुए कहा था कि आधा दर्जन विभिन्न शाखाओं में हमारे वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका होगा। तीन वर्ष बाद पिछली जनवरी में बंगलोर में हाल के विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष डा. के. कस्तूरीरंगन ने घोषणा की 'विश्व अनुसंधान एवं विकास मंच पर भारत को मजबूती के साथ स्थापित करने और उद्योगों तथा अनुसंधान एवं विकास प्रणाली के बीच अभूतपूर्व स्तर पर पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने की घड़ी आ पहुंची है। पिछले पांच वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुने हुए क्षत्रों में सहस्त्राब्दी कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती स्कालरशिप तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में व्यापक सुधार और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उनकी नेटवर्किंग जैसी कई पहलों ने इस विश्वास को और भी मजबूत किया है।

मार्च, 2003 में अमेरिका की साल्क इंस्टीट्यूट के डा. इंदर वर्मा और मानव जीनोम को क्रमबद्ध करने वाले वैज्ञानिक दल के प्रमुख डा. क्रेज वेंटर जैसे चोटी के विदेशी अनुसंधानकर्ताओं सहित वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों की एक जमात ने यह पूछे जाने पर कि क्या भारत विश्व अनुसंधान एवं विकास की धुरी बन सकता है, स्पष्ट सकारात्मक उत्तर दिया था। डा. वर्मा ने ऐसोचेम द्वारा आयोजित एक चर्चा में भाग लेते हुए कहा था 'ऐसा तो हो ही रहा है'। उन्होंने हेपेटाइटिस-बी के भारत में तैयार और बने टीके के निर्यात में भारत की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां पर बना टीका, विदेशों में बने टीके से कहीं अधिक सस्ता है। इसी चर्चा के दौरान

अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में विश्व नेतृत्व की भारत की संभावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप में उजागर किया था। उन्होंने कहा था—'पिछले पांच वर्षों में 100 से भी अधिक विदेशी कंपनियों ने यहां अपने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित किए हैं'। इन कंपनियों में अमेरिका की विश्वव्यापी कंपनी जीई भी है जिसका अनुसंधान एवं विकास बजट तीन अरब डालर का है जो हमारे संपूर्ण राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास बजट से भी अधिक है। इसी कंपनी के कार्याधिकारियों का कहना है कि अपेक्षाकृत कम निवेश से भारत के अनुसंधान एवं विकास के परिणाम अद्भुत हैं।

यह भी एक कारण है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए भारत को आधार बना रही हैं। लेकिन इससे भी बड़े तथा ठोस कारण हैं। नैनो विज्ञान ऊर्जा प्रचुरता, जीनोम अनुसंधान, औषधियों और प्रतिरक्षण विज्ञान में भावी प्रवृत्तियों तथा परिवहन प्रणालियों जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों पर किए जाने वाले विश्व व्यय के लिहाज से 10वीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए की जाने वाली 24,000 रुपये की व्यवस्था नगण्य-सी लग सकती है। लेकिन यह 9वीं पंचवर्षीय योजना के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर किए गए खर्च की एकदम दोगुनी है। दरअसल डा. कस्तूरीरंगन तथा दूसरे लोग विज्ञान नीति क्रियान्वयन क्षेत्रों में जिस बात पर जोर दे रहे हैं वह इन अग्रणी विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्थापित होने वाली क्षमताएं हैं। वे आलोचकों को अपने इस दावे को विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों के नेटवर्क और उद्योग के साथ मिलकर काम करने तथा पेटेंट व्यवस्था के फायदों के बारे में उनके हाल के बोध के संदर्भ में देखने का आग्रह कर रहे हैं।

इस नेटवर्क में अब छह बड़े वैज्ञानिक विभाग, 400 राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, 231 विश्वविद्यालय और उद्योग की अपनी लगभग 1300 अनुसंधान एवं विकास इकाइयां आती हैं। डा. कस्तूरीरंगन के अनुसार यह 'रचनात्मक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए विश्व की एक विशालतम प्रणाली है'। जिन्होंने इन्हीं संस्थानों अतीत में व्यक्तियों की टकराहट, वरिष्ठता को लेकर नौकरशाही विवादों और स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के प्रति उदासीनता से ग्रस्त देखा है, उन्हें इनमें से अधिकांश में आए बदलाव निश्चित ही बड़े ही उत्साहवर्द्धक लगे होंगे। स्वयं प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में बहने वाली बदलाव की बयार' की चर्चा की है जिससे डॉ. मंशेलकर के नेतृत्व में स्थानीय उद्योग की जरूरतों के साथ एक जीवंत साझेदारी का दौर आरंभ हुआ है। हाल ही में परिषद को 100वां अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ है और यह स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की एक डिजिटल डायरेक्टरी बनाने में जुटी हुई है जिससे हल्दी के उत्पादों को पेटेंट करवा लेने के प्रयासों जैसी हाल की घटनाएं न घटें। परिषद के अधीन हरेक प्रयोगशाला को स्थानीय उद्योग या समाज को अपनी सेवाएं बेचकर अपने रख-रखाव का कुछ खर्चा निकालना होगा।

पिछले पांच वर्षों में 100 से भी अधिक विदेशी कंपनियों ने यहां अपने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित किए हैं। इन कंपनियों में अमेरिका की विश्वव्यापी कंपनी जीई भी है जिसका अनुसंधान एवं विकास बजट तीन अरब डालर का है जो हमारे संपूर्ण राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास बजट से भी अधिक है।

उद्योग के साथ प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और आकलन परिषद (टाइफैक) की कई परियोजनाओं में साझेदारी की गई है। परिषद की बागडोर डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और उनके कार्यकारी निदेशक वाई.एस. राजन जैसे मूर्धन्य वैज्ञानिकों के हाथ में रह चुकी है। इन परियोजनाओं से मानव और पशु रोग निदान विज्ञान, विशिष्ट हाईवैल्यू सामग्रियों से लेकर कम रेंज वाले नागरिक विमान जैसे विविध उत्पाद निकले हैं। हाल ही में टाइफैक, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय और कई औद्योगिक उपक्रमों ने नैनो प्रौद्योगिकियों पर काम करने तथा सेंटीमीटर इसआरवें स्तर पर भविष्य के उत्पादों के विकास के लिए (दस-बीस सालों में सभी विनिर्माण इसी ढंग से होने लगेंगे) सिंगापुर के एक संस्थान के साथ हाथ मिलाया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन 40 प्रयोगशालाओं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कई केन्द्रों परमाणु ऊर्जा विभाग में आने वाले भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क), टीआईएफआर, सीएटी, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थानों तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अधीन चल रहे विभिन्न अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों को एक विशाल तथा विविधतापूर्ण नेटवर्क की उपस्थिति ही इनसे विश्वस्तरीय गतिविधियों की गारंटी है। इस बात से आशा बंधती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए धन की व्यवस्था दुगुनी करने से विश्वस्तर की वैज्ञानिक गतिविधियां उत्पन्न होंगी और यह बात इसका भी संकेत है कि सरकार के अलावा वैज्ञानिक बिरादरी ने भी अपनी कमजोरियों को समझा है।

हाल ही में विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विज्ञान और नीति के बीच असम्बद्धता, अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों में नौकरशाही का बोलबाला जैसी कुछ कमजोरियों का उल्लेख किया था।

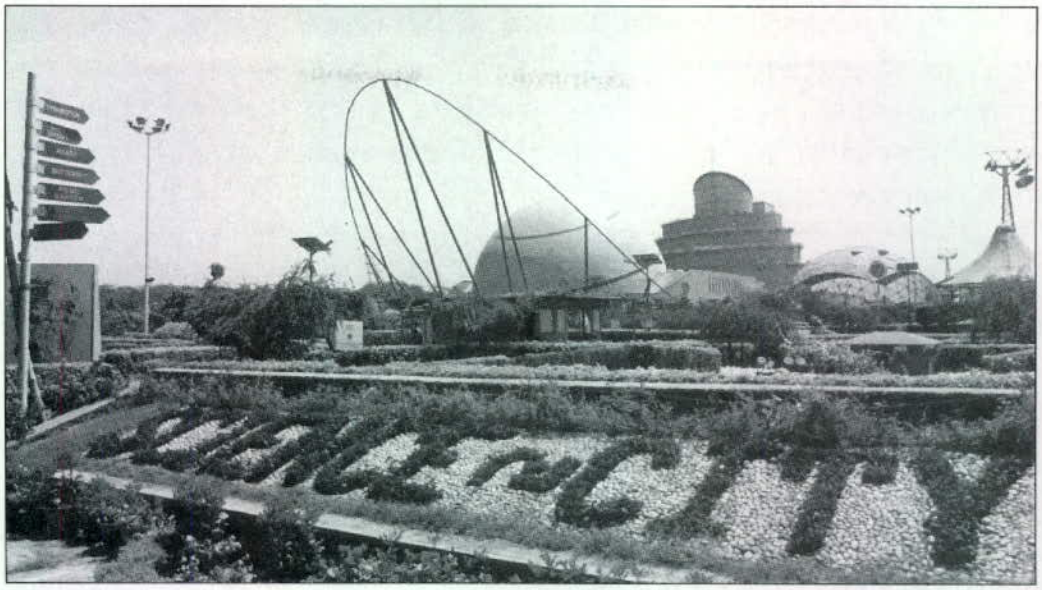

कोलकाता साइंस सिटी

अंदरूनी कमजोरियों का यह बोध इस बात का आश्वासन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व की भूमिका की तलाश महज लफ्फाजी बन कर नहीं रह जाएगी।

डा. कस्तूरीरंगन ने सुधार की कार्यसूची की चर्चा की है। इनमें गतिशील आकलन और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त माहौल बनाने, प्रगति के मुद्दों की समय-समय पर समीक्षा, बीच में ही सुधार कर सकने के महत्व, पुरानी पड़ चुकी गतिविधियों को बंद करने के फैसले के साहस को शामिल किया गया है। उम्मीद इस बात से और बंधती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उद्योग के साथ मिलकर काम करना होगा, ऐसा बदलाव उद्योग की सोच में भी आया है। अब, चूंकि विदेशी प्रौद्योगिकीधारक भारतीय उद्यमों के साथ संयुक्त उपक्रम लगाने में हिचक रहे हैं, इसलिए भारतीय उद्योग अनुसंधान बिरादरी से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना केवल इस बात को ध्यान में रखकर ही की है कि इन केन्द्रों के साथ लंबे समय तक अनुसंधान के लिए साझेदारी बनाए रखने के लिए उद्योग तैयार हैं। उभरती विश्व अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी योग्यता के लिए प्रौद्योगिकी एक बड़ा आधार बन गई है।

भारतीय उद्योग को अब यह अनुभव होने लगा है कि प्रौद्योगिकी आयात करने के दिन अब खत्म हो गए हैं और इस बात के एक नहीं बल्कि कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। विदेशी कारों की गलाकाट प्रतियोगिता के माहौल में देश में डिजाइन और बनाई गई इंडिका और स्कार्पियो कारों की सफलता, ऐसा ही एक उदाहरण है। उदारीकृत इस माहौल में भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अपनी प्रौद्योगिक शक्ति बनानी ही होगी क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में प्रौद्योगिकी एक बहुत बड़ा कारण है। इस प्रकार आज विज्ञान की आवश्यकता वाले उद्योग और उद्योग की तलाश में स्थानीय वैज्ञानिक प्रतिमाओं का समागम बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डा. कलाम ने सहस्त्राब्दी जैव-प्रौद्योगिक सम्मेलन में कहा भी था, 'हमारे राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को प्रतिस्पर्धात्मकता से ही ताकत मिलेगी और प्रतिस्पर्धात्मकता को ज्ञान की शक्ति से बल मिलेगा।' जब जीई, आईबीएम और मात्सुसुशिता जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हमारे अनुसंधान एवं विकास द्वार पर दस्तक दे रही हैं, तो भारतीय उद्योग कैसे पीछे रह सकता है?

इस उभरते परिदृश्य में तीसरी बात है, जिसकी चर्चा डा. मुरली मनोहर जोशी ने की है। उन्होंने 'सामाजिक सरोकारों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी समन्वय की दिशा में जिस उत्प्रेरण' की बात कही थी, वह नई विज्ञान नीति में स्पष्ट परिलक्षित हो रही है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। इसके पीछे यह एहसास है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्षमताओं वाले गरीब देशों की अपनी विशेष जरूरतों के अनुसार उत्पादों को स्वयं ही विकसित करना होगा भारत में ही कम कीमत वाले सिम्प्यूटर का विकास हो सकता है, जिसका इस्तेमाल लगभग अनपढ़ देहाती भी डाटा डालने और निकालने के लिए कर सकता है क्या आई.बी.एम. या एच.जी. जैसी अंतर्राष्ट्रीय महारथी कंपनियां ऐसे यंत्र को विकसित करने की कभी सोच भी सकती हैं? अस्थमा की कम कीमत वाली दवा, आस्मोल या आदमी और जानवरों के लिए कई वैज्ञानिक किटें या एंटी सेरेब्रल मलेरिया औषधि, कुष्ठरोधी टीका या फिर हेपेटाइटिस-बी टीका, ये सब सामाजिक सरोकारों के साथ विज्ञान के सहयोग के हमारे प्रयासों का परिणाम ही तो है। 200

से अधिक अपनी सभी भाषाओं और बोलियों के लिए कम्प्यूटर की बोर्ड की तलाश तथा उन्हें एक दूसरी भाषा में अनुवाद करने की क्षमता हासिल करना सामाजिक जरूरतों का एक और उदाहरण है, जिसमें केवल भारतीय अनुसंधान एवं विकास तंत्र को ही रुचि हो सकती है। मीडिया लैब एशिया की इस बहुभाषाई प्रयास में कदम, अनुसंधान और सामाजिक सरोकारों के बीच तालमेल का एक और उदाहरण है।

सौर ऊर्जा उत्पन्न करने, थोरियम के अपने प्रचुर भंडारों से ऊर्जा प्राप्त करने या हाईड्रोजन आधारित सचल ऊर्जा पैकों का आविष्कार और तटवर्ती समुद्र में छिपे संघनित मिथेन भंडारों की खोज जैसे हाई टैक माने जाने वाले अनुसंधान हमारे लिए कहीं अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि अभी भी हम ऊर्जा की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, जिसकी हमें पूर्ति करनी है। हम 7 करोड़ टन से भी अधिक तेल तथा तेल उत्पादों का आयात करते हैं। वर्ष 2050 तक हमारी जनसंख्या के डेढ़ अरब तक पहुंच जाने की संभावनाओं को देखते हुए इस कमी के और भी बढ़ जाने की संभावना है। अच्छी खबर यह है कि इन सभी क्षेत्रों में हम आज बराबरी पर हैं और कुछ में तो हम आगे भी हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डा. अनिल काकोदकर ने विज्ञान कांग्रेस में बताया था कि थोरियम उपयोग की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उन्नत देशों द्वारा इन क्षेत्रों में किए जा रहे अग्रणी प्रौद्योगिकी काम की तुलना में हम आगे हैं। हाल की विज्ञान कांग्रेस के दौरान प्रोटीन डीएनए सूचना विनिमय, थोरियम उपयोग, फ्यूजन और ईंधन कोशिका प्रौद्योगिकियों तथा प्रतिरक्षण विज्ञान में प्रगति और विमान तथा डिलीवरी प्रणालियों के क्षेत्रों में की गई प्रस्तुतियों ने इसकी पुष्टि की है। सुपर कंप्यूटरों या क्रायोजेनिक्स या कम्पोजिटस जिन क्षेत्रों में हमें कभी टेक्नोलॉजी या उपकरणों के लिए भीख मांगनी पड़ी थी, उनमें आज हम दूसरों को बेहतर तथा कहीं अधिक सस्ती प्रौद्योगिकियां प्रदान करने की स्थिति में हैं।

हमारा विज्ञान किस सीमा तक सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ सकता है, इसको एक हृदय रोग सर्जन ने विज्ञान कांग्रेस में स्पष्ट किया। अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों, दूरसंचार, स्वास्थ्य, रक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी में हमारी क्षमताएं बंगलोर के हृदय रोग सर्जन, डा. देवी शेटटी द्वारा की गई नेटवर्क व्यवस्था में सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ गई हैं। इस नेटवर्क व्यवस्था के जरिए इस डाक्टर की विशेषज्ञ सलाह असम में तिनसुकिया और पश्चिम बंगाल में बांकुरा, त्रिपुरा इस विशाल देश के दूसरी जगहों तक पहुंच सकती है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सक्रिय सहायता से डॉ. शेटटी अपने हृदय रोगियों का इलाज करते हैं, जिन्हें वे अपने बंगलोर के क्लीनिक में बैठे-बैठे ही दूरदराज के इलाकों में किसी स्थानीय डाक्टर की मदद से दूर चिकित्सा के माध्यम से देखते हैं। दूर के लोगों को हृदय रोग संबंधी देखभाल ही नहीं उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि जब बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तब वे रोगियों को बंगलौर आने को कहते हैं, जहां गरीबों के लिए इलाज एकदम मुफ्त होता है। कर्नाटक में यह नेटवर्क व्यवस्था पसंद की गई है तथा डा. कस्तूरीरंगन की अंतरिक्ष प्रणाली के माध्यम से डा. शेटटी की सेवाएं 27 जिला मुख्यालयों तक पहुंचाने की योजना है। हर साल करीब 25 लाख लोगों को हृदय रोग संबंधी डाक्टरी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, जबकि साल में केवल 10 हृदय रोग विशेषज्ञ तैयार होते हैं इसलिए दूर चिकित्सा ही एक ऐसा जरिया है, जिससे थोड़े ही समय में उपलब्ध मानव संसाधनों की पहुंच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत की उल्लेखनीय प्रगति ने चार महानगरों से दूर-दूर के स्थानों तक ऐसी पहुंच उपलब्ध कराने का एक आधार तैयार करने में मदद की है। चाहे औद्योगिक तथा स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र में नैनो टैग बनाने की बात हो या दूर शिक्षा की मदद से निरक्षरता पर हमला करने की बात हो या फिर वनों के क्षरण का पता लगाना हो या भाभा परमाणु अनुसंधान (बार्क) जैसे हाई टैक संस्था में दूरदराज के गांवों के लिए बेजोड़ परमाणु ऊर्जा पैक और तटवर्ती बस्तियों के लिए पानी का खारापन दूर करने वाले संयंत्रों के निर्माण की बात हो, कहानी सब जगह एक जैसी है। हम चाहेंगे कि आज विज्ञान प्रौद्योगिकी का नेतृत्व ऐसा हो जो हमें विभिन्न शाखाओं में ऐसी समर्थ प्रौद्योगिकियां उपलब्ध करा सके, जो ऐसे उत्पाद व सेवाएं विकसित कर सकें, जो देश में गरीबों तथा वंचितों तथा विश्वभर में हमारे जैसे ग़रीबों के लिए उपयोगी हों। हो सकता है कि भारत एक लाख लाइनों वाले स्विच न बेच पाए, लेकिन ग्रामीण इलाकों तक बेतार टेलीफोन लाइनें पहुंचाने के लिए सी-डॉट या कोर-डेक्ट के 512 लाइनों के स्विचों के लिए अफ्रीका में और लातीनी अमेरिका में खरीददार अवश्य मिल सकते हैं। दूरदराज के इलाकों के लिए 'बार्क' में विकासाधीन परमाणु ऊर्जा पैक से निश्चित ही दुनियाभर के दूरदराज के ऐसे समुदायों को मदद मिलेगी, जो ऊर्जा के किसी भी प्रकार के स्रोत से वंचित रह रहे हैं। हमारी हाई-टेक सेवाओं से समाज के सबसे निचले वर्ग को मदद मिलेगी। आज हमारे वैज्ञानिकों को इस बात का गर्व है।

नए नीति दस्तावेज के विमोचन के अवसर पर डा. जोशी ने कहा, 'पहले के उदाहरणों की क्रमबद्धता के विपरीत, अब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति को अधिक संपूर्णता में देखते हैं। हमारा विश्वास है कि राष्ट्रीय जीवन के हर पहलू तक विज्ञान का पहुंचना जरूरी है।' नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति में सभी क्षेत्रों में चाहे कृषि हो, उद्योग, व्यापार, कारोबार या सेवाएं तथा संचालन

हों, सब में विज्ञान को समस्या-समाधान माध्यम देखने पर जोर दिया गया है। अत: जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व की भूमिका की बात करते हैं, तब हम किसी ऊंचे दर्जे की उत्कृष्टता की बात नहीं करते, बल्कि हम यह सोचते हैं कि हमारे लोगों का जीवन और उनके रहन-सहन के ढंग को किस प्रकार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रभावित कर सकती है और बदल सकती है।

जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यापक पैमाने पर जीने के ढंग को बदलती है, तब डा. कस्तूरीरंगन जैसे विज्ञान नेता जिस 'महाद्वीपीय अनुपात' की बात करते हैं उस अनुपात में इसमें निवेश करने के सरकार के इरादों को सहज जन समर्थन मिलता जाता है। इससे विज्ञान और नीति के उस असंतुलन को दूर करने में भी मदद मिलती है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने की थी।

पांच साल पहले वो बातें लगभग एक साथ हुई थीं। मई 1998 में बने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने अपने ही बूते पर राजस्थान में पोखरण में परमाणु प्रौद्योगिकी पर अपनी महारत का प्रदर्शन किया। उसी समय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रमुख और विज्ञान प्रशासक बंगलोर में मानव संसाधन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करके एक दल बना रहे थे, जिसे डा. मंशेलकर ने 'टीम इंडिया नाम दिया। इस दल ने भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने तथा विज्ञान को आर्थिक तथा नीतिगत संवाद के लिए प्रेरित करने का खाका बनाया। अगले वर्ष आई एक राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति, जिसने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया। यह लक्ष्य 50 अरब डालर मूल्य के निर्यात (आज भारत से सूचना प्रौद्योगिकी को होने वाले निर्यात का 5 गुना) तथा 80 अरब डालर के कुल सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार का था। संचार और जैव प्रौद्योगिकी खाके भी तैयार कर लिए गए हैं। बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लगभग प्रत्येक क्षेत्र के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं।

पिछले पांच सालों पर यदि दृष्टिपात करें, तो 1998 से सरकार के नेतृत्व में एक निरंतरता हमें देखने को मिलती है, जिस व्यक्ति ने परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन को संभव बनाया, विज्ञान दल का वही नेता, देश का नया राष्ट्रपति बना तथा लगभग हर महीने, किसी न किसी विश्व उद्योग नेतृत्व का प्रतिनिधि भारत की प्रतिभा के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग काम करने के लिए भारत आता रहता है। इन विकास क्रमों से यह उजागर होता है कि दुनिया जानने लगी है कि दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्ध नेतृत्व वाले भारत ने विश्व को एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केन्द्र बनने की दिशा में कूच का बिगुल बजा दिया है। ❑

(विज्ञान विषयों के वरिष्ठ लेखक।)

(पसूका से साभार)

IAS INNOVATION PCS
I.A.S Study Circle

GEOGRAPHY
By
-GOPAL TIWARI-
(A man who believe in hard labour & innovative approach)

Botany
By Eminent Scientist
R.K Singh

General Studies
By
Group of Experts
(Mostly Selected)

Admission Open

Special Features :-
* Weekly Test Series:- for best approach analysis, expression and balanced answer .
* Special exhaustive classes for evaluation of your test series answers.
* Correspondence Course/test series also available for students of remote areas
* Special Classes for state P.C.S :-
(U.P., Uttch., Raj, HR. M.P., Jhar. Bihar, Chh.)

For Detail Contact :
B-10, IInd Floor, Commercial Complex above ICICI Bank ATM, Mukherjee Nagar, Delhi-110009,
Ph.: 011-27655796, 9810428956
E-mail-innovation-ias@yahoo.com

Abhiyukti

तेल सुरक्षा की दिशा में आत्मनिर्भरता

○ राम नाईक

1974 में मुंबई हाई में भारत को तेल का एक महत्वपूर्ण भंडार मिला जिससे इसके स्वावलंबन का आधार और मजबूत हो गया था। इस क्षेत्र का आत्मनिर्भरता का प्रतिशत पहले 70 था जो घटकर 30 प्रतिशत पर आ गया है।

ऊर्जा से आर्थिक विकास की गति में तेजी तो आती है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका काफी महत्व होता है। कोयला, जल और परमाणु शक्ति के अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने के प्रमुख स्रोत हाइड्रोकार्बन संसाधन होते हैं। भारत ने देश के भीतर अन्वेषण और उत्पादन और आवश्यकता पड़ने पर आयात के जरिए हाइड्रोकार्बन संसाधनों के प्रयोग का एक मजबूत आधार बना लिया है। प्रत्येक देश हाइड्रोकार्बन की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वावलंबी होने के भरसक प्रयत्न करता है। लेकिन हो सकता है कि उसकी भौगोलिक और भौतिक परिस्थितियां उसके स्वावलंबी होने में अड़चन पैदा करती हों। 1974 में मुंबई हाई में भारत को तेल का एक महत्वपूर्ण भंडार मिला जिससे इसके स्वावलंबन का आधार और मजबूत हो गया था। इस क्षेत्र का आत्मनिर्भरता का प्रतिशत पहले 70 था जो घटकर 30 प्रतिशत पर आ गया है। वक्त का तकाजा यही था कि इस प्रवृत्ति को न केवल रोका जाए, बल्कि इसे उल्टाया जाए। और, हुआ भी यही। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अपनी नीतिगत पहलों से यही कुछ किया है।

घरेलू उत्पादन में गिरावट और बढ़ती खपत को देखते हुए वाजपेयी सरकार ने तेल सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। देश के अंदर तेल और गैस खोजने के कामों में तेजी लाने के साथ-साथ विदेशों में तेल क्षेत्र में शेयर खरीदने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई तथा तेलशोधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई। ईंधनों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार आया। उत्पाद वितरण व्यवस्था का दायरा बढ़ाया गया और इसमें आने वाले सेवा केन्द्रों को बाजार अनुकूल बनाया गया। साथ ही साथ उच्च कोटि के ईंधन भी उपलब्ध कराए गए। तेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इथोनल, बायो-डीजल और कोल बैड मीथेन गैस, जैसे ऊर्जा के नए वैकल्पिक साधनों पर बल दिया गया।

नई अन्वेषण लाइसेंस नीति

घरेलू उत्पादन बढ़ाने और तेल खोज और उत्पादन में निवेश आकर्षित करने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) बनाई गई। इस नीति में निवेशकों के अनुकूल शर्तें रखी गई थीं, जिनकी तुलना विश्व की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं से की जा सकती थी। अब तक अंतर्राष्ट्रीय बोलियों के तीन चक्र आयोजित किए जा चुके हैं। परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान 70 ब्लॉकों के ठेके दिए जा चुके हैं, जबकि पिछले 10 वर्षों के दौरान ऐसे ठेकों की संख्या केवल 22 थी। अब बोली लगाने की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरी कर ली जाती है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। अब एक बेहतर प्रणाली प्रचलन में है। ब्लॉक दिए जाने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर अब साढ़े तीन महीनों में हो जाते हैं, जबकि कि पहले इस काम में 2-3 साल जाया करते थे। यह नई अन्वेषण लाइसेंस नीति की सफलता ही है कि एन ई एल पी-1 और एन ई एल पी-2 के ब्लॉकों में काफी गैस खोजी गई। इनमें कृष्णा-गोदावरी थाल की गहराइयों में एनकेएलपी-1 में हुई गैस की खोज शामिल है, जिसे विश्व की सबसे बड़ी गैस खोज माना जाता रहा है। यह खोज रिलायंस नीको रिसोर्सिज के संयुक्त प्रयासों से संभव हुई। ब्रिटेन के यू के केयर्न एनर्जी ने भी इसी इलाके के एन ई एल पी-1 ब्लॉक में गैस की खोज की। इनके बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के डेढ़ वर्ष बाद कनाडा की नीको रिसोर्सिज ने एन ई एल पी-2 ब्लॉक में सूरत के पास गैस खोजी। हाल ही में केयर्न एनर्जी ने राजस्थान के एम ब्लॉक में गैस खोज निकाली है। इस ब्लॉक को ठेका पहले ही दिया जा चुका था। इसी प्रकार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम तट पर वसई में गैस खोजी है। इन दोनों प्रयासों को तेल सुरक्षा की दिशा में बढ़ते कदम माना जा रहा है। अनुमान है कि रिलायंस और केयर्न एनर्जी द्वारा कृष्णा-गोदावरी गहन समुद्र में की गई गैस की खोज से करीब 1000 अरब घन फुट गैस का भंडार मिला है। इन अन्वेषणों से देश को प्रतिदिन 3 करोड़ घन मीटर गैस प्राप्त हो सकती है। इस समय देश में 650 लाख घन मीटर गैस उपलब्ध है, जबकि मांग 1500 लाख घन मीटर है। इन नए अन्वेषणों से कुल वर्तमान

उपलब्धता में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए कोल बैड मीथेन गैस के उत्पादन के लिए 8 ब्लॉकों के ठेके दिए गए हैं। अमेरिका, चीन और आस्ट्रेलिया के बाद, भारत ऐसा चौथा देश है, जो कोल बैड मीथेन गैस की खोज कर रहा है।

विदेशों में हिस्सेदारी

तेल क्षेत्र में सुरक्षा की दिशा में सरकार की नीतियों को एक अन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। यह तेल सुरक्षा, भारत ने विदेशों में तेल क्षेत्रों में इक्विटी प्राप्त करके की है। ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड ने सूडान के 120 लाख टन वार्षिक उत्पादन करने वाले तेल क्षेत्र में 25 प्रतिशत शेयर हासिल किए हैं, जिनकी कीमत करीब 3600 करोड़ रुपये हैं। इसी प्रकार 8100 करोड़ रुपये की लागत से, तेल कंपनी ने रूस के सखालीन तेल क्षेत्रों में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। इनसे 2005 से देश को प्रति वर्ष 40 से 80 लाख टन कच्चा तेल मिलने लगेगा, जबकि 2008 से 50 से 80 घन मीटर गैस मिलनी आरंभ हो जाएगी। वियतनाम गैस क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत है। तेल क्षेत्र में 980 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसके कारण 18 दिसंबर, 2002 से उपभोक्ताओं को गैस मिलनी शुरू हो गई है। ओ एन जी सी विदेश निगम लिमिटेड ने 2003 में अमेरिका, म्यांमा, इराक और लीबिया में आकर्षक अन्वेषण ब्लॉकों में हिताधिकार प्राप्त किए हैं।

प्राकृतिक गैस वितरण

ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका उपयोग फीड बैंक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा का सस्ता और स्वच्छ साधन है। प्राकृतिक गैस की मांग के एक बड़े हिस्से की पूर्ति अभी नहीं हो पाई है। प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और विदेशों में हिस्सेदारी हासिल करने के अलावा पाइप लाइनों द्वारा तरलीकृत प्राकृतिक गैस के रूप में गैस आयात करने के प्रयास चल रहे हैं। जिन देशों में अतिरिक्त गैस उपलब्ध है वहां से तरलीकृत प्राकृतिक गैस के रूप में इसे लाने की कोशिश जारी है। देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में पाइपों द्वारा गैस आयात करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एन एन जी) परियोजना ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। 2004 के शुरू में ही कतार से गुजरात के प्रथम आयात टर्मिनल, दाहेज में करीब 50 लाख टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस मिलनी शुरू हो जाएगी। पेट्रोनेट एल एन जी के माध्यम से, इस परियोजना को बी पी सी एल, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, गैल (इंडिया) और भारतीय तेल कंपनी (आईओसी) द्वारा चलाया जा रहा है। कोच्चि (केरल) में 25 लाख टन की क्षमता वाला एक और आयात टर्मिनल निकट भविष्य में बनाने की योजना है। हजीरा गुजरात में 25 लाख टन आयात टर्मिनल गेल (इंडिया) द्वारा निर्मित किया जा रहा है। आशा है 2004 के आखिर तक यह टर्मिनल काम करना शुरू कर देगा। देश में गैस की खोज, सखालीन, वियतनाम परियोजना और म्यांमा में एक ब्लॉक के तेल क्षेत्रों में हिताधिकार प्राप्त करने के बाद पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस की सुरक्षित आपूर्ति होने लगी है।

पेट्रो-कृषि क्षेत्र में क्रांति

1931 से ब्राजील और अमेरिका सहित अनेक देशों में पेट्रोल में ईथानोल का मिश्रण किया जाता रहा है। भारत में भी 1977 से इस विषय पर काफी विचार-विमर्श और अध्ययन हो रहा है। लेकिन यह योजना वाजपेयी सरकार के सत्ता संभालने के बाद ही फलीभूत हो पाई है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र में मनमाड, हजारवाडी और उत्तर प्रदेश के बरेली शहरों में तीन प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गईं। इन परियोजनाओं से यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय परिस्थितियों में पेट्रोल के साथ इथानोल की मिश्रण सफल सिद्ध होगा। परिणामस्वरूप पहले चरण में 9 गन्ना उत्पादक राज्यों और उनके निकटवर्ती चार केंद्र प्रशासित प्रदेशों में पहली जनवरी, 2003 से पेट्रोल में ईथानोल का 5 प्रतिशत मिश्रण अनिवार्य बनाया गया है। इस तरह से पेट्रो क्षेत्र में एक नई क्रांति की लहर दौड़ गई है। जून 2003 से जिन सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में पूरी तरह 5 प्रतिशत इथानोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति होने लगेगी वे राज्य हैं—उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, जबकि इनके निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश हैं—चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव और पांडिचेरी। देश में कुल पेट्रोल की खपत 70 लाख टन है। इसमें से 46 लाख टन पेट्रोल की आवश्यकता पहले चरण के इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को होगी। इस तरह पेट्रोल में मिश्रण के लिए 32 से 35 करोड़ लीटर इथानोल की जरूरत पड़ेगी और गन्ने के शीरे का सदुपयोग हो सकेगा, जो अन्यथा बेकार चला जाया करता था। दूसरे चरण में इथानोल का मिश्रण पूरे देश में लागू किया जाएगा। तीसरे चरण में मिश्रण का प्रतिशत 5 से बढ़कर 10 कर दिया जाएगा। डीजल में ईथानोल के मिश्रण के बारे में अध्ययन हो रहा है। यातायात के लिए प्रयोग किए जाने वाले ईंधन में ईथानोल के मिश्रण से गन्ना उत्पादकों को फायदा पहुंचेगा। साथ ही यह दुर्लभ हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पूरक सिद्ध होगा। बेहतर कम्बश्चन की इसकी विशेषताओं से प्रदूषक तत्वों में कमी आएगी। यह ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत भी है।

सुधार

संचालित कीमत तंत्र को एक अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दिया गया है, ताकि विपणन क्षेत्र में निजी कंपनियों को अनुमति दिए जाने से प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जा सके। यह व्यवस्था 1975 से परिवहन ईंधन, एलपीजी तथा मिट्टी के तेल की कीमतों

को संचालित करती आ रही थी। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी तथा उड्डयन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के रुख के अनुरूप बढ़ेगी-घटेगी। एलपीजी और मिट्टी के तेल अगले तीन से पांच वर्षों तक सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी के साथ सुलभ रहेगा। इस व्यवस्था को भंग करने तथा निजी कंपनियों को अनुमति देने की नीति के परिणामस्वरूप, रिलायंस इंडस्ट्री (5,849 पंप), एस्सार आयल (1,700 पंप), ओएनजीसी (600 पंप), नुमालीगढ़ रिफाइनरी (510 पंप) को विपणन अधिकार आवंटित किए गए हैं। इससे रिटेल आउटलेटों की मौजूदा संख्या में 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

देश में पेट्रोलियम क्षेत्र की निगरानी के लिए सरकार ने पेट्रोलियम नियामक बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके गठन में सुविधा के लिए सरकार ने 6 मई, 2001 को लोकसभा में पेट्रोलियम नियामक बोर्ड विधेयक, 2002 पेश किया। प्रस्तावित बोर्ड के मुख्य कार्यों में उपभोक्ताओं में हितों की रक्षा, देश में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्विघ्न आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। विधेयक के पारित होने तक यह कार्य पेट्रोलियम मंत्रालय कर रहा है।

एकमात्र विपणन कंपनी आईबीपी का रणनीतिक विनिवेश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा किया गया। इसमें सरकार की 33.58 प्रतिशत इक्विटी/साझेदारी थी, जिसके विनिवेश से सरकार को 1153 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। सरकार ने एचपीसीएल में अपने शेयरों की भी रणनीतिक बिक्री का फैसला किया और बीपीसीएल में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के जरिए विनिवेश का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को 1/3 कीमत पर पांच प्रतिशत पर शेयर दिए जाएंगे।

एलपीजी उपलब्धता

पर्याप्त उत्पादन का अर्थ ही तेल सुरक्षा नहीं होता इसके लिए यह भी जरूरी है कि बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाए जाएं और वे उपलब्ध भी हों। इस क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि अब एलपीजी कनेक्शन हासिल करने के लिए 4-5 वर्ष प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। देश भर में अब मांग पर यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इन 5 वर्षों में घरेलू गैस के 3.5 करोड़ नए कनेक्शन जारी किए गए जबकि पिछले 40 वर्षों में केवल 3.37 करोड़ एलपीजी कनेक्शन ही जारी किए गए थे।

पूरे देश में अब घरेलू गैस कनेक्शन आसानी से उपलब्ध हैं। इसलिए घरों में रसोई गैस (एलपीजी) के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक नई रणनीति बनाई गई। नए इलाकों तक अपनी पहुंच का दायरा बढ़ाने के लिए 16 अगस्त, 2002 को शिमला में घरेलू खपत के लिए 5 किलोग्राम वजन के रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में सिलेंडरों को पहुंचाने और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को कम कीमत वाले रसोई गैस कनेक्शन दिलाने के लिए 5 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर शुरू किए गए। अगले दो वर्षों में इस नीति द्वारा सरकार, 50 प्रतिशत घरों तक गैस पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। अभी घरेलू गैस लगभग 37 प्रतिशत घरों में ही उपलब्ध है। धीरे-धीरे अब, 5 किलोग्राम गैस सिलेंडर अभी 16 राज्यों में उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसे दुबारा भरने के लिए 100 रुपये से भी कम की लागत आती है, जबकि 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर को भरने के लिए 250 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के लिए जमा राशि 900 रुपये से घटाकर 650 रुपये कर दी गई है, क्योंकि सरकार ने सिलेंडर प्राप्त करने के लिए निविदा प्रणाली शुरू की, जबकि पहले लागत प्रणाली अपनाई जाती थी। इस प्रकार घरेलू इस्तेमाल के लिए रसोई गैस को बढ़ावा देने से खाना पकाना भी आसान और धुंआ रहित हो गया है और साथ ही खाने पकाने के लिए अब लकड़ी के प्रयोग न करने से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हुआ है और फिर, यह प्रयास सरकार की महिला सशक्तीकरण नीति का भी एक हिस्सा है।

तेलशोधन में आत्मनिर्भरता

कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात जैसे औपनिवेशिक शासन के सिद्धांत को वाजपेयी सरकार ने अपने शासनकाल में देश में ही कच्चे तेल के शोधन से निरस्त कर दिया। देश ने कच्चे तेल के शोधन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। इस समय 11.65 करोड़ टन वार्षिक तेलशोधन हो रहा है, जो एक अप्रैल, 1998 के 6.22 करोड़ टन वार्षिक तेल शोधन से लगभग दुगना है। 2001-02 में 10 करोड़ टन का सालाना तेलशोधन हुआ था। देश को पेट्रोल तथा डीजल जैसे महंगे उत्पादों को आयात न करने से ही नहीं बल्कि देश में ही कच्चे तेल के स्थानीय मूल्य संवर्द्धन के जरिए महंगे उत्पादों में बदलने से काफी लाभ होता रहा है। दो नई ग्रासरूट तेलशोधन शालाएं चलाई गईं। पहली रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने जामनगर, गुजरात में लगाई और दूसरी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा असम के नुमालीगढ़ में लगाई गई, जिनकी क्षमता क्रमशः 270 लाख टन और 30 लाख वार्षिक है। पारादीप (उड़ीसा) में भारतीय तेल निगम लि. (90 लाख टन), भटिंडा (पंजाब) में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (60 लाख टन) की तीन परिष्करणशालाओं का निर्माण कर रहे हैं। इन तीनों नई परिष्करणशालाओं पर कुल निवेश अब लगभग 25,000 करोड़ रुपये का है। तेलशोधन क्षेत्र में लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई। शत-प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है।

स्वच्छ ईंधन सप्लाई

उपभोक्ता के दृष्टिकोण से तेल सुरक्षा का अर्थ ईंधन की मात्र प्रचुर और निर्विघ्न सप्लाई नहीं होता बल्कि वह बेहतर गुणवत्ता वाले ईंधन की भी अपेक्षा करता है। इन

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के सतत प्रयत्नों के आशाजनक परिणाम सामने आए। अधिकतम 0.5 प्रतिशत सल्फर वाला विश्व स्तर का पेट्रोल और डीजल—जिसमें अधिकतम सल्फर वाला है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगरों में उपलब्ध कराया गया है। अब यह सिकंदराबाद और हैदराबाद में भी उपलब्ध है। एक अप्रैल, 2003 से यह ईंधन अहमदाबाद, बंगलोर, कानपुर और पुणे में भी बेचा जाएगा। यहां गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण प्रदूषण फैल रहा है। अमेरिका, कनाडा, जापान और सिंगापुर में उपलब्ध गुणवत्ता वाला डीजल (0.05 प्रतिशत सल्फर) अब देश में भी वितरित हो रहा है। फरवरी, 2002 और जनवरी, 2002 से सीसा रहित पेट्रोल और 0.25 प्रतिशत सल्फर पेट्रोल/डीजल क्रमशः पूरे देश में बिक रहा है। विकसित देशों की श्रृंखला में देश को लाने के लिए तेलशोधन क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया ताकि ईंधन की गुणवत्ता में सुधार आ सके। ईंधन गुणवत्ता को पूरे देश में भारत-2 और 7 बड़े शहरों में यूरो-3 मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। हाइड्रोकार्बन ईंधन से पर्यावरण को हो रहे खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति बनाई जा रही है। यह नीति प्रख्यात वैज्ञानिक और केंद्रीय विज्ञान और उद्योग अनुसंधान के महानिदेशक डा. आर.ए. मंशेलकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित होगी। 2010 तक पूरे देश में यूरो-3 गुणवत्ता वाला ईंधन उपलब्ध कराने के लिए 12,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ेगी।

सरकार को सीएनजी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए थोड़े से ही समय में दिल्ली में सीएनजी सप्लाई का एक बड़ा ढांचा तैयार करने का श्रेय जाता है। इससे सीएनजी के लिए लगने वाली लंबी लाइनें खत्म हो गईं। यह व्यवस्था मार्च, 2001 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप की गई। हाल ही में सीएनजी की 23 किलोमीटर लंबी गोलाकार पाइपलाइन के शुरू हो जाने से सीएनजी स्टेशनों को गैस की सप्लाई में सुविधा हुई है। मार्च, 2001 के 68 की तुलना में आज 101 सीएनजी स्टेशन हैं, जो लगभग 7200 बसों और 4000 मिनी बसों की गैस संबंधी जरूरत पूरी करते हैं। शहर में इन्हें मिलाकर लगभग 75000 सीएनजी वाहन हैं। दिल्ली की सीएनजी बस बेड़ा दुनिया का सबसे बड़ा सीएनजी बस बेड़ा है। भारत के बाद सीएनजी के मामले में अगला स्थान बीजिंग का है, जहां 1600 बसें हैं, इसके बाद सियोल में 1000 सीएनजी बसें हैं, मुंबई में भी सीएनजी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है तथा वहां पर सीएनजी बिक्री केंद्रों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है।

मुंबई में भी सीएनजी की सप्लाई बढ़ायी जा रही है, जिसके लिए सीएनजी बिक्री केंद्रों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई है। उपभोक्ताओं के सामने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के साथ-साथ स्वच्छ ईंधन के अन्य विकल्प कराने के लिए आटो एलपीजी डिस्पैंसिंग स्टेशन चालू किए जा रहे हैं ताकि एलपीजी गैस का उपयोग आटो ईंधन के रूप में हो सके। पहले चरण में ऐसे 228 स्टेशन शुरू करने की योजना है। अभी तक 54 ऐसे स्टेशन विभिन्न शहरों में खोले जा चुके हैं। 97 स्टेशन चालू किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

शहीद परिवारों का पुनर्वास

किसी भी समाज का सबसे बड़ा कर्त्तव्य होता है कि वह देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों के हितों की रक्षा करे। तेल क्षेत्र ने अपना यह कर्तव्य भलीभांति निभाया है—चाहे वह उड़ीसा का चक्रवात हो, गुजरात में भूकंप हो या फिर राजस्थान में सूखा। राष्ट्रीय कर्त्तव्य पूरा करने के लिए कारगिल युद्ध में शहीद हुए 439 सैनिकों की विधवाओं अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदारों को खुदा आउटलेट डीलरशिप तथा एलपीजी वितरण केंद्र आवंटित किए गए। तेल कंपनियां प्रति खुदरा आउटलेट के लिए 40 लाख रुपये और प्रति एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 20 लाख रुपये खर्च करती है ताकि वितरण सुचारू रूप से हो। इसके अतिरिक्त 13 दिसंबर, 2002 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को 9 रिटेल आउटलेट डीलरशिप प्रदान की गईं। वर्तमान सरकार द्वारा विवेकाधीन कोटा योजना के अंतर्गत यह पहला आवंटन है। यह योजना अपने कर्त्तव्य का वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र सेना/अर्द्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों अथवा निकटतम संबंधियों को रिटेल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विवेकाधीन आवंटन के लिए बनाई गई थी।

निःसंकोच पिछले पांच वर्षों के दौरान तेल क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह कई तरह से ऐतिहासिक है। इस दौरान जो कदम उठाए गए, उनमें से कुछ के परिणाम अत्यंत आशाजनक रहे हैं। बाकी प्रयासों के कार्यान्वयन से प्रतीत होता है कि नतीजे बेहतर ही होंगे। उदाहरण के लिए एनईएलपी के अंतर्गत 2002 में विश्व का सबसे बड़ा गैस भंडार खोजा गया और पिछले पांच वर्षों के दौरान 350 करोड़ नए एलपीजी गैस कनेक्शन संभव हुए जबकि इससे पहले 40 वर्षों में केवल 3.37 करोड़ रुपये के कनेक्शन जारी हुए। तेलशोधन क्षेत्र में हमने जो आत्मनिर्भरता प्राप्त की है वह अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी की अध्यक्षता में सरकार ने तेल क्षेत्र में जो नई पहल की है और जो परियोजनाएं शुरू की हैं, उनके पूरा होने में समय भले ही लगे लेकिन उनके पूरा होते ही सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्रयासों के लाभ हर नागरिक को मिलेंगे, इसमें शंका नहीं। ❑

(केंद्रीय मंत्री, तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।)

(पसूका से साभार)

2003 के परिणाम

हिन्दी माध्यम में शीर्षस्थ स्थान (पाँचवा)
महिलाओं में शीर्षस्थ स्थान (तीसरा)
भूगोल में सर्वोच्च अंक (418/600)
सर्वोच्च दस (10) में चार (4) स्थान
सर्वोच्च सौ (100) में उन्नीस (19) स्थान
कुल 286 में इक्यावन (51) सफल परीक्षार्थी

अजय कुमार मिश्र
पाँचवें स्थान के साथ
हिन्दी माध्यम में शीर्षस्थ

आदरणीय गुरुजी,

हिन्दी माध्यम से पाँचवें स्थान पाना और हिन्दी के प्रतियोगियों में सर्वोच्च स्थान पाना मेरे लिए अकल्पनीय बात है। आपने मेरी प्रतिभा को सही दिशा दिखाया, वो आज साकार हो गया।

आज मैं जिस स्थान पर हूँ, वह आपके निर्देशन के कारण है और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के कारण ही मैं इस मंजिल पर हूँ। मेरी मान्यता है भूगोल की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है और भूगोल की वजह से मैंने सामान्य अध्ययन में भी अच्छे अंक प्राप्त किया। आपके इस मार्गदर्शन के बारे में मुझे यह कहते हुए कोई हिचक नहीं हो रही है कि आप सिविल सेवा परीक्षा हेतु भूगोलविषय में भारत में सर्वश्रेष्ठ हैं।

भविष्य में मुझ जैसे कई विद्यार्थी इसी तरह आपका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आपके से मार्गदर्शन में आने वाले समय में कोई विद्यार्थी दो-दो माध्यम से परीक्षा देकर सिविलसेवा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा।

Ajay Kumar Mishra
(अजय कुमार मिश्र)

2002 के परिणाम

8	श्रीनिवास के.	101	राहुल कुमार	248	अतीक अहमद
26	निखिल कुमार	115	अर्चना	284	सुनील कुमार यादव
32	समीर वर्मा	131	संजीव कुमार यादव	290	भारत लाल मीणा
33	प्रकाश गुप्ता	136	दिबंजन रॉय	292	वोरूवुरू रजिता
34	संजय कुमार	138	सत्येन्द्र कुमार	306	बालकृष्णन वी.
36	जीतेन्द्र पाल सिंह	143	प्रीतीन्द्र सिंह	329	राजेश कुमार
38	एन मेरी बेबी	162	सतीश सेठी	346	वी. कृष्णा मूर्ति
46	मनीशा त्रिघाटिया	164	शालिनी वर्मा	354	श्रीकांत टी.
47	सोनिया नारंग	180	अभय सिंह	358	केशव कुमार
49	सौरभ भगत	196	आरती दिवान	372	रणविजय
59	संजय पुगलिया	198	वैभव बजाज	377	प्रद्युम्न पी. एस.
77	बोरकार चन्द्रशेखर नामदेव	203	पंकज पांडे	379	एस. सुरेश
89	पंकज कुमार	228	कार्तिकेय सिंह	383	वरूण,
90	अमितेन्द्र नाथ सिन्हा	231	धर्मवीर		

2001 के परिणाम

शीर्षस्थ 100

23	संजीव वर्मा
32	सिद्धार्थ जैन
33	डा0 अकुन सब्रवाल
35	शालीन
41	अनिल कुमार राय
60	प्रेम आनन्द सिन्हा
88	श्री प्रकाश दूबे
89	राजेश कुमार
97	रूपक कुमार

अन्य सफल प्रत्याशी

मयंक, हरीश कुमार, बी. विजयबाबू, सुयेश नारायण, राकेश कुमार रोशन, वी. चन्द्रशेखर यशस्वी यादव, विक्रम कपाली पौरवाल, एन. वेंकटेश, अवनीश वर्मा, वोरूयुरू रजीथा, वी एल. सुरेश, जी. नटराजन, अर्चना, सी. एम. टी. भी. वर्मा

IAS/PCS 2003-04

परिणाम, पिछले तीन (3) वर्षों के, जो साक्षी हैं कि हर आठवाँ-नवाँ सफल प्रतियोगी हमारी संस्था का है! यह मात्र संयोग नहीं

ये परिणामं प्रतिलक्षित करते हैं–

- हमारे शिक्षण के उच्च स्तर एवं अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता को
- हमारे शिक्षकों के अनुभव और निष्ठा को
- हमारी संस्था का विद्यार्थियों के प्रति उत्तरदायित्व बोध को, और
- हमारी संस्था का भारत में सर्वश्रेष्ठ बने रहने की अदम्य इच्छा एवं सामर्थ्य को

क्लासरूम कोर्स एवं दूरस्थ शिक्षा

सामान्य अध्ययन

देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम के मार्गदर्शन में देश की सर्वाधिक विस्तृत नौ (9) माहों की आधारशिला कक्षाएँ, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अपनी तैयारी प्रारम्भ भी नहीं की है।

के. सिद्धार्थ के निर्देशन में

भूगोल

पाँच (5) माहों की प्रारंभिक–मुख्य समन्वयित कक्षाएँ। **गैर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए** विशेषकर रचा हुआ पाठ्यक्रम, जिसका प्रारम्भ मौलिक भूगोल से हो रहा है। साथ ही संपूर्ण रुप से परिमार्जित अध्ययन सामग्री भी। ऐसा संरचित, विस्तृत पाठ्यक्रम जो विद्यार्थियों को किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं छोड़ता है और जिसके अध्ययन से 360–380 अंक आसानी से पाये जा सकते हैं।

के. सिद्धार्थ के निर्देशन में

दर्शनशास्त्र – अरुण सिंह
समाजशास्त्र – प्रवीण किशोर
इतिहास – आनन्द वर्द्धन

कक्षाएँ 14 जून एवं 28 जुलाई से

ENSEMBLE

संपर्क: 2574, हडसन लाइन्स, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली–110009
फोन न.: 011–27418242

मोबाइल: 0–9811506926.

इलाहाबाद कार्यालय: 485, मम्फोर्डगंज, फव्वारा चौराहा, शिवाजी पार्क के निकट, इलाहाबाद–2. मोबाईल: 9415217610

विवरणिका के लिए 50रु/– का मनीऑर्डर/ड्राफ्ट संबंधित पते पर भेजें।

नई बुलन्दियों की ओर

○ के. राजेन्द्र नायर

भारत विश्व में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, कपास और सेलूलासिक रेशों/धागों के उत्पादन में तीसरा और कृत्रिम रेशों/धागों के उत्पादन में पांचवां है। अतीत में भारतीय कपड़ा उद्योग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1985 की कपड़ा नीति और 1991 की आर्थिक नीति के बाद कपड़ा क्षेत्र अपने भावी विकास के प्रति आशावान है।

भारतीय कपड़ा उद्योग विशाल और विविधता से पूर्ण है। यह इस दृष्टि से अनुपम है कि इसमें कच्चे माल का उत्पादन करने से लेकर उपभोक्ताओं को उच्च मूल्य के उत्पाद जैसे 'कपड़ा और सिले' सिलाए कपड़े उपलब्ध कराता है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंशदान, रोजगार के अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के रूप में इसका योगदान उल्लेखनीय है। कपड़ा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 4 प्रतिशत और कुल निर्यात आय में 25 प्रतिशत का योगदान करता है। अनुमानों के अनुसार 9 करोड़ 30 लाख लोग इस क्षेत्र से अपनी जीविका अर्जित करते हैं।

हमारे कपड़ा उद्योग का आधार प्राकृतिक रेशे जैसे—कपास, पटसन, सन, रेशम, ऊन और नारियल-जटा और मनुष्य निर्मित रेशे जैसे—पालिएस्टर, विस्कोज, एक्रिलिक, पालीप्रापीलीन और नायलोन हैं। भारतीय कपड़ा उद्योग की व्यापक शृंखला में शामिल हैं। हाथ की कती, हाथ की बुनी खादी, हाथ का बुना (हथकरघे का) कपड़ा, हाथ की दस्तकारी से निर्मित कपड़े और विकेन्द्रित क्षेत्र में शाकी चालित करघों पर निर्मित कपड़ा और संगठित क्षेत्र में तकनीकी दृष्टि से उन्नत अति आधुनिक कपड़ा मिलों में तैयार कपड़ा और बिनाई क्षेत्र में तैयार उत्पाद जैसे—बनियान, अंडरवियर स्वेटर आदि। कपड़ा उद्योग के सभी कार्य यानी कपास और पटसन की खेती, रेशम पालन, भेड़ पालन, नारियल-जटा का उत्पादन और कृत्रिम एवं मनुष्य निर्मित रेशों के निर्माता के लिए आवश्यक रसायनों और मध्यवर्तियों का निर्माण सहित कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी गतिविधियां जैसे कि कपास की ओटाई, कताई, बुनाई, संसाधन और वस्त्र (पोशाक) निर्माण देश में ही होती हैं। भारतीय कपड़ा उद्योग उतना ही मिला-जुला है, जितना हमारा देश; यह आसानी से इस अपरिमित विविधता को एकता में मिला लेता है। संभवत: यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह मिला-जुला है, स्वत: संपूर्ण और आत्मनिर्भर, कच्चे माल से लेकर पहनने के लिए तैयार वस्त्रों तक और रेशों से फैशन तक।

हमारा कपड़ा उद्योग विश्व की कपड़ा उत्पादन की क्षमता और रेशों की आपूर्ति में उल्लेखनीय अंशदान करता है। कतुओं की संख्या की दृष्टि से भारत का योगदान 21 प्रतिशत और घूर्णकों की दृष्टि से 6 प्रतिशत है। हथकरघों सहित देश में करघों का कुल प्रतिशत 57 है, जो विश्व में सबसे अधिक है। हथकरघों को अलग कर देने के बाद करघों की दृष्टि विश्व को भारत का अंशदान 33 प्रतिशत है।

भारत विश्व में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, कपास और सेलूलासिक रेशों/धागों के उत्पादन में तीसरा और कृत्रिम रेशों/धागों के उत्पादन में पांचवां है।

अतीत में भारतीय कपड़ा उद्योग के अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें शामिल थी—कपास की कम उत्पादकता, कपास की ओटाई के समय गुणवत्ता की ओर ध्यान न दिया जाना, पुराने ढंग की मशीनें, श्रमिकों की कम उत्पादकता, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के प्रोत्साहनों का अभाव, उद्योग में बीमारी निवेश आकृष्ट करने में कठिनाई और अतर्कसंगत कर ढांचा, जिसकी वजह से विश्व बाजार में भारतीय कपड़ा उद्योग अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर सकता था।

सरकार ने इस स्थिति को बदलने के

कपड़ा बुनती एक महिला श्रमिक

उपाय किए। 1985 की कपड़ा नीति और 1991 की आर्थिक नीति के बाद कपड़ा क्षेत्र अपने भावी विकास के प्रति आशावान है। इस क्षेत्र के उद्यमियों की मेहनत और बदली स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की उद्योग की क्षमता के कारण पिछले दस वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। फिर भी, जनवरी 2005 में विश्व व्यापार संगठन के नियमों के लागू होने के बाद उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए उद्योग को सक्षम बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने कपड़ा उद्योग के विकास के लिए अनेक उपाय किए और अनेक योजनाएं-कार्यक्रम लागू किए। इनके परिणामस्वरूप कपड़ा उद्योग में निवेश बढ़ा है और वह विश्व बाजार में प्रतियोगिता में ठहरने योग्य हो गया है।

राष्ट्रीय कपड़ा नीति, 2000

सरकार ने 2 नवम्बर, 2002 को नई कपड़ा नीति की घोषणा की। इसमें लक्ष्यों और उद्देश्यों को फिर से परिभाषित किया गया और कपड़ा उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया। उद्देश्य यह था कि उद्योग की प्रौद्योगिकी को आधुनिकतम बनाकर उसे विश्व स्तर पर प्रतियोगिता में ठहरने और आगे बढ़ने के योग्य बनाया जाए। इसी के साथ उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाकर उद्योग के कच्चे माल के आधार को व्यापक किया जाए, उद्योग में विशेष रूप से विकेन्द्रित और परंपरागत क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की कुशलता को बढ़ाया जाए, मिश्रण को बढ़ावा देकर तैयार माल में विविधता लाई जाए, विपणन में नई रणनीति अपनाई जाए और निर्यात पर सर्वोच्च जोर दिया जाए। इस नीति का भावी स्वरूप संबंधी वक्तव्य एक मजबूत और उत्साह से परिपूर्ण उद्योग का निर्माण करना है, जो जनता की बढ़ती हुई जरूरतों के अनुसार मुनासिब दामों पर अच्छे किस्म का कपड़ा तैयार करे, रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करे, देश के आर्थिक विकास में योगदान दे और विश्व बाजार में अधिकाधिक हिस्से के लिए विश्वास के साथ प्रतियोगिता करे।

कपड़ा उद्योग के लिए पैकेज

वित्त मंत्री के बजट भाषण 2001 में कपड़ा उद्योग के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई। इसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित प्रस्ताव थे : एकीकृत वस्त्र पार्क की स्थापना; 2.5 लाख साधारण करघों को स्वाचालित करघों में बदलना और उद्योग द्वारा वर्ष 2004 तक कम से कम 50,000 नए शटललेस करघे प्राप्त करना। इसके लिए वित्त व्यवस्था टेक्नालाजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम (टीयूएफएस) से प्राप्त की जानी थी; कपड़ा क्षेत्र की गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधान में वृद्धि; आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए टीयूएफएस के अंतर्गत मिलों में लगाई गई मशीनों आदि पर मूल्यह्रास की दर में बढ़ोत्तरी 50 प्रतिशत प्रति वर्ष; कपड़ा और कपड़ा

मिलों की मशीनों आदि पर लगे शुल्क को नया रूप देना, 10 प्रतिशत अधिभार की समाप्ति और कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कमी।

वित्त मंत्री के बजट भाषण, 2002 में घोषित कपड़ा पैकेज में यह सुविधा की गई थी कि धूसर कपड़ा बुनने वाले बुनकर भी उत्पादन कर दें और सेनवाट (सीईएनवीएटी) स्कीम के लाभ प्राप्त करें; कपड़ों पर उत्पादन कर को तर्कसंगत और निश्चित बना दिया गया और हथकरघे से बने कपड़ों को उत्पादन कर से मुक्ति प्रदान की गई। कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आटोमेटिक शटललेस करघों पर उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया गया। निर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनों और निर्दिष्ट सिल्क रीलिंग और वीविंग और ट्रियस्टिंग मशीनों पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। जूट मिलों की निर्दिष्ट मशीनों को भी उत्पादन शुल्क से छूट दी गई।

मार्च 2000 में निर्यात स्कीम के लिए अपैरल (पोशाक) पार्क शुरू किए गए। इसका उद्देश्य संभावित विकास केन्द्रों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पोशाक बनाने वाली यूनिटों को बढ़ावा देना था। सरकार अब तक विभिन्न राज्यों में नौ पार्क परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी दे चुकी है।

मार्च 2002 में देश के प्रमुख कपड़ा केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'कपड़ा केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाओं के विकास की स्कीम' (दि टेक्सटाइल सेन्टर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट स्कीम) शुरू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत दो परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

पहली अप्रैल 1999 को कपड़ा और पटसन उद्योग को आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में बढ़ावा देने के लिए 'दि टेक्नालाजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम' (टीयूएफएस) शुरू की गई। लघु उद्योग क्षेत्र की यूनिटें टीयूएफएस का लाभ ले सकें, इसके लिए एक खुली 12 प्रतिशत ऋण-जुड़ी पूंजी सब्सिडी का विकल्प भी प्रदान किया गया। इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2002 के अंत तक 1430 आवेदकों को 4202.60 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके थे।

कपास पर टेक्नोलाजी मिशन

देश में कपास का उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसके अनुसंधान विकास, विपणन और माल तैयार करने की प्रक्रिया के संपूर्ण क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए सरकार ने कपास पर एक टेक्नालाजी मिशन फरवरी 2002 में शुरू किया। इस मिशन का लक्ष्य देश के विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों में 250 मार्केट यार्ड विकसित करना है। मिशन पहले ही 94 परियोजनाएं अपने हाथ में ले चुका है। इनमें से 51 पूरी की जा चुकी हैं। इससे मंडियों में बिक्री के लिए आने वाली 30 प्रतिशत कपास संदूषण-मुक्त होगी। आशा है कि 2006-2007 तक नव आधुनिक सुविधाओं से युक्त सभी 250 मार्केट विकसित हो जाएंगे। 80 प्रतिशत से अधिक भारतीय कपास संदूषण मुक्त होकर मंडियों में पहुंचेगी। जहां तक ओटाई और प्रोसेसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण का प्रश्न है मिशन ने 600 मिली-जुली जीएंडपी यूनिटों का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक 142 कारखानों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। 2006-07 के अंत तक कम से कम 600 जी और पी कारखाने देश में पैदा 50 प्रतिशत कपास को संसाधित करने लगेंगे।

कपड़ा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी पहल का सकारात्मक प्रभाव हुआ है। कपास और मनुष्य निर्मित रेशों का उद्योग देश का अकेला संगठित क्षेत्र का उद्योग है जो लगभग 10 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। अनेक सहायक उद्योग इस पर निर्भर करते हैं। यह कम से कम 50 लाख लोगों को जीविका प्रदान करता है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान तकुवों की संख्या में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी हुई है। उनकी संख्या 1997 में 3 करोड़ 31 लाख 50 हजार से बढ़कर अगस्त 2002 में 3 करोड़ 58 लाख 40 हजार हो गई। इसी अवधि में घूर्षणों की संख्या 2.76 लाख से बढ़कर 3.75 लाख हो गई। जहां तक कपास के धागों का संबंध है, भारतीय कताई उद्योग विश्व में सर्वोच्च स्थिति में है और विश्व बाजार 25 प्रतिशत से अधिक धागों का योगदान करता है। पालिएस्टर और विस्कोज धागों में भी उत्पादन का आधार विशाल है और तेजी से बढ़ रहा है।

कते हुए धागे का उत्पादन 1996-97 में 279.4 करोड़ किलोग्राम से 2001-02 में बढ़कर 310.1 करोड़ कि.ग्रा. हो गया। कते हुए धागे के उत्पादन में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग 7 प्रतिशत है। तथापि, संगठित क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान करघों की संख्या में कमी आई है। परिणामस्वरूप संगठित क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन 1996-97 में 195.7 करोड़ वर्गमीटर से घटकर 2001-02 में 154.6 करोड़ वर्गमीटर रह गया। कुल कपड़ा उत्पादन में संगठित क्षेत्र का उत्पादन सभी क्षेत्रों के उत्पादन को हिसाब में लेने पर 1996-97 में 5.6 प्रतिशत से 2001-02 में कम होकर 3.68 प्रतिशत रह गया।

शक्तिचालित करघा

विकेन्द्रित शक्तिचालित करघा क्षेत्र देश की कपड़े की आवश्यकता पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर और कपड़े का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 1996-97 में इस क्षेत्र ने 1935 करोड़ 20 लाख वर्गमीटर कपड़े का उत्पादन किया था। कुल कपड़े के उत्पादन में इस

(शेष पृष्ठ 56 पर)

महत्वपूर्ण क्षेत्र में आशा भरे संकेत

○ रबीन्द्र सेठ

उप-महाद्वीपीय आकार का विशाल देश, एक अरब की जनसंख्या, भाषा, संस्कृति, खान-पान और धरोहर की विविधता वाले भारत के लिए पर्यटन का खास महत्व राष्ट्रीय एकता बढ़ाने और इसकी वनस्पति, जीव-जंतु, कला, शिल्प-कला, वास्तुकला और परंपरा के संरक्षण में है।

पर्यटन की परिकल्पना मूल रूप से भुगतान संतुलन के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। आज इसे सामाजिक-आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। विकासशील देशों के लिए यह तेजी से और कम खर्च पर नौकरियां उपलब्ध कराने का विश्वसनीय तरीका बन गया है, समाज के पिछड़े वर्गों, खासकर युवाओं और महिलाओं के आगे बढ़ने का रास्ता तथा गरीबी उन्मूलन का पक्का तरीका बन गया है। उप-महाद्वीपीय आकार का विशाल देश, एक अरब की जनसंख्या, भाषा, संस्कृति, खान-पान और धरोहर की विविधता वाले भारत के लिए पर्यटन का खास महत्व राष्ट्रीय एकता बढ़ाने और इसकी वनस्पति, जीव-जंतु, कला, शिल्प-कला, वास्तुकला और परंपरा के संरक्षण में है। इसे अब पर्यावरणात्मक पुनरुत्थान के छत्र के नीचे लाया गया है। सतत पर्यटन विकास अब एक बहुप्रचलित शब्द बन गया है।

यह एक अलग बात है कि पर्यटन शेष विश्व में तो सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योग के रूप में उभरा है मगर भारत के विकास एजेंडा में इसे उतना महत्व नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। यह बात योजना आयोग ने नौवीं योजना के मध्यावधि आकलन में कही है। नतीजा पर्यटन की तलाश में भारत विकसित पश्चिमी विश्व और अपने एशियाई पड़ोसियों से भी पीछे छूट गया है।

स्थिति

संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी विश्व पर्यटन संस्था द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002 में 71.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने देश की सीमाएं लांघी। उसमें से केवल 24 लाख भारत आए जबकि विश्व के पहले नंबर के गंतव्य फ्रांस में करीब 8 करोड़ लोग गए। उसके बाद अमेरिका और स्पेन का स्थान रहा जहां 5 करोड़ लोग गए। सर्वोच्च गंतव्य स्थलों में चीन का स्थान अब पांचवा है जहां 3.7 करोड़ लोग गए। मलेशिया और थाईलैंड जैसे छोटे देशों में पर्यटकों का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। भारत की विश्व बाजार में हिस्सेदारी 0.38 प्रतिशत है जो कई सालों से इसी स्तर पर बनी हुई है। यह बताने की आवश्यकता है कि इतनी छोटी बाजार की हिस्सेदारी के बावजूद भारतीय परिदृश्य के अनेक महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला, विश्व पर्यटन के पायदान में नीचे होने के बावजूद यह क्षेत्र देश के लिए 13 हजार करोड़ के बराबर की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है जिसमें से केवल 6-7 प्रतिशत बाहर जाती है। दूसरा, हस्तशिल्प और कीमती पत्थरों और जवाहरात के बाद कुल विदेशी मुद्रा अर्जित करने में पर्यटन का दूसरा स्थान है जबकि अधिशेष रूप में यह केवल हस्तशिल्प के बाद आता है। तीसरा, भारत में एक पर्यटक औसतन 30 दिन के लिए रुकता है जोकि विश्व में सर्वाधिक है।

कमियां

यदि विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रदर्शन को देखें, तो हमसे कहां चूक हो गई, इसके उत्तर के लिए हमें बीते समय पर नजर डालनी होगी। दशकों से पर्यटन को धनाढ्य वर्ग की गतिविधि माना गया, खासकर समाजवाद प्रेरित वर्ग द्वारा। जब रोजगार अवसर पैदा करने में पर्यटन की क्षमताओं की काफी जानकारी थी, तब भी सार्वजनिक रूप से इसको समर्थन देने से वे कतराते रहे ताकि कहीं उन्हें गरीब विरोधी न करार दिया जाए। उनका सामान्य मत था कि 'गरीबी के बीचों-बीच धनाढ्य वर्ग के द्वीप (स्टार होटल) हम कैसे रख सकते हैं।' यह कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि पर्यटन कभी भी राष्ट्रीय एजेंडा पर नहीं उभरा, ज्यादा से ज्यादा इसे केवल बर्दाश्त भर किया जाता था।

हमारे संविधान का संघात्मक स्वरूप और पर्यटन से संबंधित क्षेत्रों का दोनों संघ और राज्य सूचियों में बंट जाना (किसी का भी समवर्ती सूची में न होना) भी समन्वित प्रयासों की दिशा में बाधा बना विमानन और रेल केंद्र के विषय है जबकि सड़क परिवहन और होटल राज्यों के पास है। प्राचीन स्मारक तो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है मगर इन इलाकों में कानून और व्यवस्था राज्य देखते हैं। योजना आयोग भी पर्यटन के विकास में मदद नहीं कर पाया। योजना दर योजना, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में भेदभाव करता रहा, केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की जिम्मेदारी देता रहा और घरेलू सैलानी राज्यों के हिस्से आए। इससे भी पर्यटन के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार करने में बाधा आई।

हालांकि 1967 से ही अलग पर्यटन मंत्रालय काम कर रहा है और कुछ कदम भी उठाए गए जैसे—भारत पर्यटन विकास निगम ने आधारभूत सुविधाओं और प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों के विकास में उत्प्रेरक का काम किया और समुद्र तट (बीच) एवं जंगली जीवों वाले गंतव्य स्थलों को खोला गया, मगर पैसे की कमी और राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव में क्षेत्र बढ़ न सका। राज्य अपने पर्यटन विकास निगमों को बढ़ावा देकर ही संतुष्ट थे और उन्होंने आधारभूत सुविधाओं में केंद्र से भी कम निवेश किया। उद्योग में एकता का अभाव, ऐसी कमी जोकि आज भी कायम है, पर्यटन के हितों के लिए दबाव डालने में आड़े आया। कुछ समय पहले तक मीडिया ने भी इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं किया था सरकार द्वारा गठित समितियों की सराहनीय सिफारिशों को भी अमल में नहीं लाया गया।

पर्यटन की उपेक्षा की इस बेला के दौरान ही हमें अपने पड़ोस से सफलता की गाथाएं सुनने को मिली। 1978 में भारत के समतुल्य रहे चीन (दोनों ही देशों में 7.5 लाख पर्यटक हर वर्ष आते थे) ने जब अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ जोड़ने का फैसला किया तो 1990 के मध्य तक वहां 2.3 करोड़ लोग आने लगे। छोटा-सा सिंगापुर 50 लाख आगंतुकों का स्वागत कर रहा था और इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में यह आंकड़ा 70 लाख को पार कर गया था। दिलचस्प बात है कि पर्यटन की संभावनाओं के प्रति जागृति 1996 आम चुनावों से पहले आई जबकि इस उद्योग के शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी को इस विषय को अपने चुनाव घोषणा-पत्र में शामिल करने के लिए प्रेरित कर पाए। इस पहल को बाद में अन्य पार्टियों ने भी अपनाया। इस प्रकार एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसके चलते दसवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन पर एक बड़ा अध्याय शामिल किया गया। इससे इस क्षेत्र को राष्ट्रीय एजेंडा में स्थान मिला, नौवीं योजना से पांच गुणा से भी ज्यादा राशि आवंटित की गई और 2007 तक भारतीय बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाकर 0.62 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को यदि संख्या में बदला जाए तो अर्थ होगा कि 56 लाख विदेशी पर्यटक आएंगे जोकि वर्तमान संख्या से दुगुने से भी ज्यादा हैं। यह संख्या फिर भी हमारे पड़ोसियों और अन्य सफल गंतव्य स्थलों से काफी कम है।

हालांकि 1967 से ही अलग पर्यटन मंत्रालय काम कर रहा है और कुछ कदम भी उठाए गए जैसे—भारत पर्यटन विकास निगम ने आधारभूत सुविधाओं और प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों के विकास में उत्प्रेरक का काम किया और समुद्र तट (बीच) एवं जंगली जीवों वाले गंतव्य स्थलों को खोला गया, मगर पैसे की कमी और राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव में क्षेत्र बढ़ न सका।

दिलचस्प बात है कि सरकार के हिस्से के रूप में योजना आयोग ने ही दर्दनाक धीमी प्रगति से पर्यटन को निकालने का पहला कदम उठाया। मध्यावधि आकलन में इसने माना कि पर्यटन को जरूरी महत्व नहीं मिल पाया। भारतीय पर्यटन की कमियों की जो पहचान आयोग ने की, वह विशेषज्ञों, व्यापार संघों और सरकारी तौर पर नियुक्त समितियों द्वारा कही गई बातों के काफी नजदीक है। आयोग के अपने शब्दों में 'कम प्रदर्शन के लिए दिए गए कारणों से व्यावसायिक दृष्टिकोण का अभाव, अस्वच्छ परिस्थितियां, आसानी से उपलब्ध सूचना की कमी, सुरक्षा का अभाव, आगंतुकों का खराब अनुभव, प्रतिबंधात्मक वायु परिवहन नीति, सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले सेवाओं की कमी, अनेक प्रकार के करों का प्रचलन और पर्यटन को कम प्राथमिकता दिया जाना है।

इसे ठीक करने के उपायों में भी आयोग की सोच उद्योग से मेल खाती है। अंतर्राष्ट्रीय वायु सीटों की क्षमता को बढ़ाना, बिना वीजा अथवा आने पर वीजा देने की शुरुआत करना, करों का युक्तिकरण अथवा कमी तथा ग्रामीण पर्यटन को धरोहर इमारतों के पुनरुत्थान के साथ जोड़कर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना।

संभावनाएं

लगभग इसी समय उद्योग के शीर्ष नेताओं के विश्व समूह, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद (डब्ल्यू टी टी सी) ने सरकार को एक अध्ययन पेश किया जिसमें सरकार को एक नई दिशा बताई गई। इसे उसने पर्यटन

जरूरत का नाम दिया। परिषद ने पाया कि विश्व में पर्यटन सेवाओं की मांग सबसे ज्यादा भारत में बढ़ रही है। इसका एक मुख्य कारण घरेलू पर्यटन में तेजी है जो पिछले दशक में 6.4 करोड़ से बढ़कर 17.6 करोड़ हो गया है। नवीनतम आंकड़ा 23.4 करोड़ का है। मगर अध्ययन के अनुसार मांग की अधिकता के ज्यादा मायने नहीं है। इस मांग को पूरा करने के लिए आधारभूत सुविधाओं, आवास और अन्य सुविधाओं की भी पर्याप्त आपूर्ति होना आवश्यक है। इसलिए उसने आगाह किया है कि आपूर्ति की कमी के कारण अत्यधिक गड़बड़ी हो जाएगी, मौजूदा सुविधाओं पर भीड़ बढ़ जाएगी और भारत से बाहर जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी। 40 लाख भारतीय विदेश जाते हैं जबकि 24 लाख विदेशी भारत आते हैं।

प्रोत्साहन

हालांकि योजना आयोग की चेताने वाली आवाज और डब्लू टी टी सी द्वारा घरेलू पर्यटन सेवाओं की बढ़गी मांग की ओर इशारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, मगर इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त, 2001 को अपने लालकिले के भाषण में पर्यटन के बारे में बोला जाना। ऐसा पहली बार हो रहा था कि सरकार का मुखिया एक ऐतिहासिक स्थल से और ऐतिहासिक मौके पर इस क्षेत्र के पक्ष में बोल रहा था। उन्होंने जो कहा वह फिर से दोहराए जाने योग्य है। 'पर्यटन, रोजगार, सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जन का बड़ा स्रोत है। वास्तव में यह विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है।' ये केवल खोखले शब्द नहीं है। इनके पीछे निष्ठापूर्वक कार्य करने की भावना थी। यह उन कार्यवाहियों और विभिन्न पहलुओं से स्पष्ट होता है जो उसके बाद से शुरू किए गए हैं। एक व्यापक पर्यटन नीति तैयार की गई है जिस पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले सम्मेलन में सभी राज्यों के पर्यटन मंत्रियों ने विचार किया। दसवीं योजना के पर्यटन पर 11 पृष्ठों के अध्याय को शामिल करके तथा 2003 के बजट में अनेक रियायतें देकर तथा आधारभूत सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देकर भारतीय पर्यटन के भविष्य में विश्वास को और मजबूत किया है।

दृष्टिकोण

पर्यटन पर दसवीं योजना में ध्यान केंद्रित किए जाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वित्त मंत्री के तौर पर बहुत कम उपस्थित होने वाले मौकों में से एक सीआईआई द्वारा आयोजित पर्यटन पर संगोष्ठी में बोलते हुए श्री जसवंत सिंह ने स्पष्ट रूप से माना कि समाजवाद के रंग में डूबे दिनों में इस क्षेत्र को अमीर वर्ग से जोड़ने जाने से इसका विकास नहीं हो पाया। उन्होंने वायदा किया कि इस त्रुटि को दसवीं योजना में एक नए अध्याय को शामिल कर सुधारा जाएगा। इसलिए अध्याय के शुरू में ही यह स्पष्ट किया गया है कि पर्यटन के प्रति दसवीं योजना का दृष्टिकोण 'पहली योजनाओं के मुकाबले बिल्कुल अलग रहेगा।' इसमें 'पर्यटन द्वारा रोजगार सृजन की क्षमताओं और योजना के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को बेहतर रूप से हासिल करने में इसकी भूमिका' को स्वीकार किया गया। पहले आकलन की तरह इस बार भी पर्यटन विकास में पांच बाधाओं की पहचान की गई मगर शायद उन्हें ज्यादा विस्तार से कहा गया: पर्यटन की भूमिका पर आम सहमति का अभाव, इसकी क्षमताओं की जानकारी के अभाव के कारण इसे प्राथमिकता न मिल पाना, निवेश का अपेक्षाकृत कम स्तर, राज्यों द्वारा इसमें दिलचस्पी न दिखाना और इस क्षेत्र के प्रति गैर व्यावसायिक तथा 'चलता है' रवैया अपनाना। इसलिए दसवीं योजना में इस क्षेत्र को रुपये 2,900 करोड़ दिए गए जोकि पूरी राशि का 0.72 प्रतिशत है जबकि पिछली योजनाओं का औसत 0.16 प्रतिशत था। भारतीय बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ-साथ दसवीं योजना पर्यटन द्वारा प्रति वर्ष 36 लाख नए रोजगार तैयार करने की आशा रखती है।

2003-04 का बजट भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। होटल व्यय कर की समाप्ति मेहमाननवाजी क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है। आयकर अधिनियम की धारा 72(अ) और 10(23 जी) को होटलों पर लागू किया जाना भी अच्छा है। मगर इन सबसे ज्यादा असर आधारभूत सुविधाओं पर किए गए अतिरिक्त रुपये 60,000 करोड़ के खर्च से होगा। यही तो पर्यटन की जीवन रेखा है—सड़कें, रेल, हवाई अड्डे तथा समुद्री बंदरगाह। चार महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व-पश्चिम एवं उत्तर-दक्षिण गलियारों से संपर्कता जोकि हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए चल रही प्रक्रिया से भी प्रभावित होगी। मुंबई और कोच्चि बंदरगाहों के विकास का विशेष महत्व है क्योंकि ये भारत से समुद्र के जरिए विशेष जहाजों के आवागमन को बढ़ावा देंगे। कोच्चि में आधुनिक यात्री टर्मिनल के साथ-साथ गोल्फ के मैदान और मेरीना पर शांपिग पॉल के निर्माण की भी योजना है। बजट में दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कनवेंशन केंद्र स्थापित के लिए राशि आवंटन एक अन्य ऐसी पहल है जोकि आकर्षक सम्मेलन और प्रदर्शनी व्यापार को बढ़ावा देगी। चूंकि सरकार इन कन्वेंशन केंद्रों की अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिशों को मदद देगी, इससे उद्योग को इस परियोजना को सहयोग देने को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यटन के क्षेत्र में दो अन्य समस्याओं-दूरसंचार और यातायात का निवारण आर्थिक सुधारों के कारण पहले से ही हो चुका है। बेहतर बसों का निर्माण देश में ही होने लगा है।

एक ऐसी बाधा जिसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता होगी, वे हैं—होटल और अन्य पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराना। भूमि उपयोग के प्राचीन कानूनों, निर्माण के उप-नियमों और विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के चलते होटल निर्माण एक जोखिम भरा काम हो गया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका निवारण केन्द्र सरकार, नगर और यहां तक कि पंचायत स्तर पर किया जाना है। इसके लिए जितनी जल्दी प्रयास किए जाएं उतना अच्छा है। 50 लाख विदेशी पर्यटकों की ही मेजबानी के लिए हमें मौजूदा 80,000 कमरों की संख्या को दुगुना करना पड़ेगा। अभी जिस प्रकार से केवल 3,500 कमरे हर वर्ष जुड़ रहे हैं, उससे तो लक्ष्य को हासिल करने में दसियों वर्ष लग जाएंगे। वैसे चीन के पास 9 लाख कमरे हैं।

एक अन्य सुझाव पर्यटन के ढांचे को इस प्रकार पुनर्गठित करने का है ताकि यह विमानन, रेल, सड़क परिवहन, वित्त, गृह तथा विदेशी मामलों जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ चल सके। डब्लू टी टी सी का मानना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यटन की मंत्रिमंडलीय समिति का गठन एक अच्छा कदम होगा। एक अन्य धारणा है कि मौजूदा मंत्रियों के समूह वाला इंतजाम ज्यादा प्रभावी है जो भी रास्ता चुना जाए इससे केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही मामले सुलझेंगे। राज्यों से समन्वय के बारे में राष्ट्रीय पर्यटन नीति का सुझाव है कि पर्यटन को समवर्ती सूची में शामिल करने पर यह संभव हो पाएगा। वास्तव में अधिकांश राज्य ने इस मत का अनुमोदन कर दिया है मगर कुछ बड़े राज्यों को इस बारे में चिंताए हैं। इस बारे में संवैधानिक संशोधन में कुछ समय जरूर लगेगा। दसवीं योजना में भी इस मामले को समझा गया है। इसमें राज्यों द्वारा जोर दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है क्योंकि वे ही वास्तव में पर्यटन योजनाओं को नियंत्रित करते हैं। राज्यों को केंद्रित, अत्यधिक व्यावसायिक तथा परिणाम-उन्मुखी दृष्टिकोण की सलाह दी गई है और निजी पूंजीनिवेश को बढ़ावा देने के लए उचित माहौल तैयार करने को कहा है इसमें कहा गया है 'यह अहसास करना जरूरी है कि यात्रा और पर्यटन उद्योग अंर्तक्षेत्रीय नीतियों में परस्पर तालमेल के कारण पूरी तरह प्रभावित होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के जरिए जोरदार प्रयास किए जाएंगे कि राष्ट्र के विकास एजेंडा में पर्यटन की भूमिका पर आम सहमति बन सके।'

एक अच्छी बात यह है कि राज्यों में भी हालांकि अब तक केवल दो या तीन में, गतिविधियां शुरू हो गई हैं। केरल एक ऐसा चमकता हुआ उदाहरण है जहां राज्य अपने को विश्व स्तर पर 'भगवान का अपना देश' के रूप में बेचने का प्रयास कर रहा है। आधारभूत सुविधाओं और प्रोत्साहन पर काफी राशि खर्च की जा रही है। महत्वपूर्ण है कि सरकारी निजी भागीदारी बढ़ती जा रही है जैसाकि हाल में ही कोच्चि में आयोजित दो सफल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मार्टस से स्पष्ट होता है।

आंध्र प्रदेश एक अन्य राज्य है जहां मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने न केवल पर्यटन को प्राथमिकता देने का बल्कि सबसे ज्यादा सरकार की ओर से खर्च और सबसे कम करों का भी उदाहरण रखा है। राजस्थान को अब चिंता है कि वह कहीं अपना विशेष स्थान न खो दे जो उसने जयपुर, आगरा और दिल्ली के स्वर्णिम त्रिभुज के तीसरे बिंदु के तौर पर हासिल किया है। इसके लिए जरूरी सुधारों को किया जा रहा है। गोवा पहले से ही भारत के बीच (समुद्र तट) छुट्टी गंतव्य स्थल के रूप में लोकप्रिय है, यह घरेलू सैलानियों में भी लोकप्रिय है। पर्यटन के लिए यह अच्छी बात है कि श्री जगमोहन जैसा व्यक्ति नेतृत्व प्रदान कर रहा है जिसकी अच्छे प्रशासन के प्रति वचनबद्धता का सबको पता है। हमारे महान स्मारकों जैसे 'अजंता और एलोरा' की सफाई से न केवल हमारी धरोहर का संरक्षण हुआ है, बल्कि सैलानियों को भी बेहतर अनुभव हासिल हुआ है। श्री जगमोहन के प्रयासों को राष्ट्रीय अभियान में बदले जाने की जरूरत है और भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक धरोहर न्यास जैसी संस्थाएं इसमें सहायता का हाथ बढ़ाने को तैयार है। उनकी टीम में इस समय भारत की पहली महिला पर्यटन सचिव श्रीमती रति विनय झा है जिनके पास भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संस्थान और राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान में काम करने का अनुभव है। संयुक्त सचिव श्री अभिताभ कांत केरल से आए हैं जहां उन्होंने भगवान का अपना देश ब्रांड को बढ़ावा देने की सक्रिय भूमिका निभायी है। केंद्र में वे अब हैरतपूर्ण भारत ब्रांड तैयार करने पर काम कर रहे हैं जिसे हाल ही में रुपये 10 करोड़ के मीडिया अभियान के साथ विदेश में शुरू किया गया है।

श्री जगमोहन और पर्यटन विभाग ऐसे चुनिंदा पर्यटन स्थलों पर ध्यान दे रहा है जहां आधारभूत सुविधाओं की भविष्य में बढ़ोत्तरी होने वाली है। विश्वभर में पर्यटन को बड़ी चुनौतियां मिल रही है। 9/11 की घटना हुई, अफगान युद्ध और इराक युद्ध हुआ और फिर आया सार्स। भारत में हमारी अपनी समस्याएं थीं—आर्थिक मंदी, गुजरात और सीमा पर तनाव। मगर पूरे विश्व की तरह हमें भी पर्यटन की मजबूती में विश्वास है जोकि थोड़ी देर बाद फिर से उभरकर आगे आता है। हाल की घटनाओं से विभाग और उद्योग को दो मुख्य सीख मिली है कि घरेलू और अंतर्क्षेत्रीय पर्यटन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए कुछ समय तक ही ये ही मूलमंत्र रहेंगे। भारतीय पर्यटन ने लंबी यात्रा पर आखिरकार पहला कदम रख लिया है। ❑

(पर्यटन संबंधी विषयों के लेखक।)

राष्ट्रीय रेल विकास योजना

○ नीतीश कुमार

राष्ट्रीय रेल विकास योजना के तहत अगले पांच सालों में 15,000 करोड़ रुपये के निवेश से रेल-नेटवर्क के महत्वपूर्ण खंडों में क्षमता संबंधी सभी अवरोधों को दूर किया जाएगा जिससे कि रेलवे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां तथा मालगाड़ियां चला सकेंगी।

सरकार ने भारतीय रेल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बजट-भिन्न निवेश कार्यक्रम तैयार किया है। 'राष्ट्रीय रेल विकास योजना' नामक इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 26 दिसंबर, 2002 को किया गया।

इस योजना के तहत अगले पांच सालों में 15,000 करोड़ रुपये के निवेश से रेल-नेटवर्क के महत्वपूर्ण खंडों में क्षमता संबंधी सभी अवरोधों को दूर किया जाएगा। इन परियोजनाओं में स्वर्ण चतुर्भुज को मजबूत करना शामिल होगा, जिससे कि रेलवे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां तथा मालगाड़ियां चला सकेंगी। इस पर 8,000 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपये की लागत से बंदरगाहों को रेलमार्गों से जोड़ने और देश के भीतरी हिस्सों में बहु माध्यम वाले गलियारे विकसित करने का काम किया जाएगा। 3,500 करोड़ रुपये की लागत से 4 बड़े पुल बनाए जाएंगे, जिनमें से दो गंगा नदी पर और एक-एक ब्रह्मपुत्र और कोसी नदी पर बनेगा।

स्वर्ण चतुर्भुज परियोजनाएं

चार महानगरों—दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में और तिरछे जोड़ने वाले घने यातायात वाले नेटवर्क को 'स्वर्ण चतुर्भुज' के नाम से जाना जाता है। हालांकि पूरे नेटवर्क का यह केवल 16 प्रतिशत हिस्सा है लेकिन इस पर 65 प्रतिशत माल यातायात और 55 प्रतिशत सवारी यातायात का आवागमन होता है। इसलिए यह भारतीय रेल नेटवर्क की मुख्य धमनी माना जाता है। लेकिन यह नेटवर्क कई स्थानों पर अपनी क्षमता से अधिक बोझ ढो रहा है। कुछ खंड इकहरी लाइन के हैं, कुछ विद्युतीकृत नहीं हैं, जबकि कुछ रेल पटरियों का ऐसा ढांचा है जिन पर तेज रफ्तार से माल गाड़ियां चलाना संभव नहीं है। कुछ खंडों पर और लाइनें बिछाकर अतिरिक्त क्षमता बनाने की जरूरत है।

भारतीय रेल की स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग को मजबूती प्रदान करने की योजना है जिसके लिए इकहरी लाइनों वाले खंडों को दोहरा किया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी, वहां कई लाइनें बिछाई जाएंगी। खास तौर से महानगरों में दाखिल होने वाली रेल लाइनों पर इस लिहाज से अधिक महत्व दिया जाएगा ताकि उप-नगरीय और लंबी दूरी के यातायात को अलग-अलग किया जा सके और मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा करके यात्री और मालगाड़ियों के बीच रफ्तार के अंतर को खत्म किया जा सके। इसके लिए बेहतर किस्म के रेल इंजन और डिब्बे, विद्युतीकरण, पटरियों—जैसे नियत ढांचे में आदान, ओवर हैड उपकरण और सिग्नलिंग ग्रेड, रेल फाटकों पर विभाजन, व्यस्त जंक्शन स्टेशनों और यात्री टर्मिनल स्टेशनों पर ग्रेड बाईपासों का निर्माण, धीमी गति वाली सवारी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने तथा ऐसे ही दूसरे विकल्पों की योजना बनाई गई है। टर्मिनलों और जंक्शनों में सुधार करने का भी प्रस्ताव है।

स्वर्ण चतुर्भुज पर अतिरिक्त क्षमता निर्माण की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए यह जरूरी है कि निर्माणाधीन तथा नए कार्यों को अगले पांच वर्षों में पूरा कर लिया जाए। इसे सुनिश्चित करने तथा बाजार से धन राशि जुटाने के लिए एक विशेष उद्देश्य माध्यम (स्पेशन पर्पज व्हीकल) बनाने का प्रस्ताव है, जिसे घरेलू बाजार और बहुराष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय वित्तीय एजेंसियों से संसाधन जुटाने, परियोजना विकास तथा निर्माण कार्य करने, यदि आवश्यक और व्यावहारिक हो तो परियोजनाओं का वाणिज्यीकरण करने और अलग-अलग कार्यों के लिए

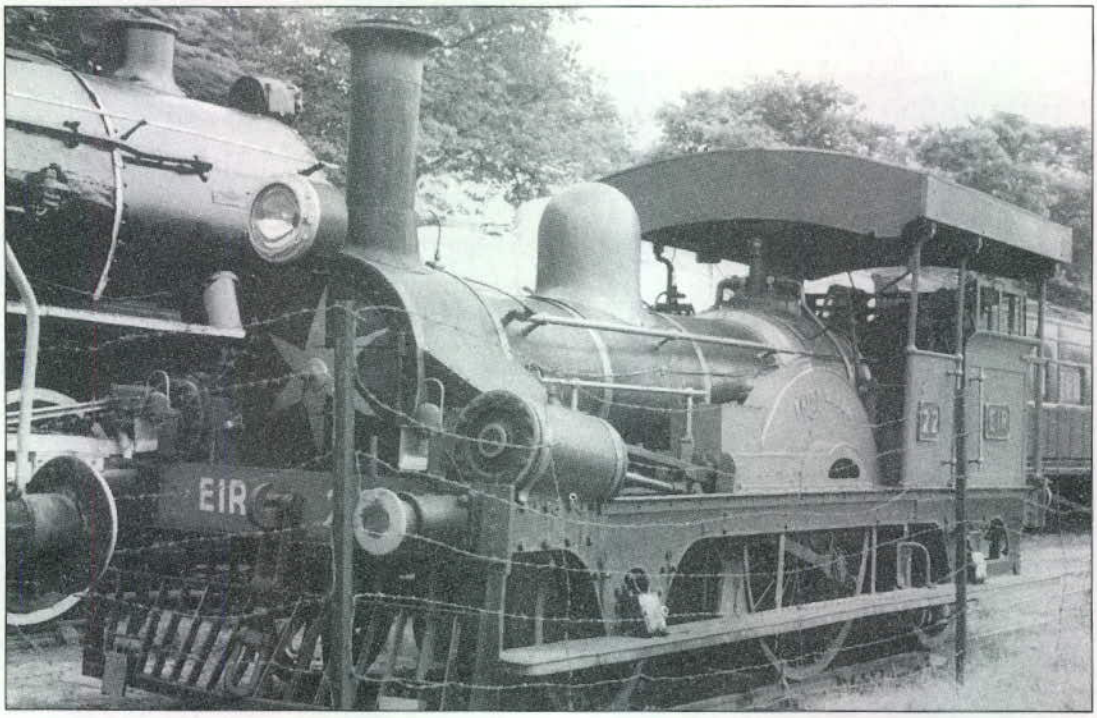

रेल नेटवर्क के सभी अवरोधों को 'राष्ट्रीय रेल विकास योजना' द्वारा दूर किया जाएगा

परियोजना-विशेष विशेष उद्देश्य माध्यम बनाने पर जोर दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रेल विकास योजना पर अमल करने के लिए एक संपूर्ण विशेष उद्देश्य माध्यम को मंजूरी दे दी है। 24 जनवरी, 2003 को रेल विकास निगम लिमिटेड के नाम से एक कंपनी पंजीकृत की गई है।

बड़े पुल

भारतीय रेलों का चार बड़े पुल बनाने का प्रस्ताव है। इनमें से दो पुल गंगा नदी पर मुंगेर और पटना में एक पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील में और एक पुल कोसी नदी पर निर्मली पर बनेगा। इन चारों पुलों के निर्माण पर कुल मिलाकर 3500 करोड़ रुपयों की लागत आएगी।

गंगा पर बनने वाला रेल पुल बिहार में दीघाघाट को सोनपुर से जोड़ेगा और यह मेन लाइन तथा पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमांत रेलों के मार्गों के बीच एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क साबित होगा। मुंगेर में गंगा पर बनने वाले रेल-सड़क पुल से दक्षिण और उत्तर बिहार तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच संपर्क उपलब्ध हो जाएगा। निर्मली और भाप्तीआही को जोड़ने वाला कोसी नदी का रेल पुल उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क सिद्ध होगा। ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील में बनने वाले रेल-सड़क पुल से उत्तरी असम क्षेत्र के साथ एक महत्वपूर्ण संपर्क कायम होगा।

इन सभी चारों पुलों का अपना आर्थिक और सामाजिक महत्व है, क्योंकि इनसे इस क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने में उल्लेखनीय सुधार आएगा। इन बड़े पुलों को एक विशेष उद्देश्य माध्यम व्यवस्था के जरिए समयबद्ध तरीके से निर्मित किया जाएगा और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था बाजार से की जाएगी। यह भी महसूस किया गया है कि सड़क और राजमार्ग मंत्रालय भी इस विशेष उद्देश्य माध्यम में रेल मंत्रालय के साथ-साथ पूंजी लगाए क्योंकि दो पुलों पर सड़कों का निर्माण भी होना है। सड़क का इस्तेमाल करने वालों से ली जाने वाले टोल और रेल उपयोगकर्ताओं से वसूले जाने वाले अधिभार इस विशेष उद्देश्य माध्यम के राजस्व का आधार बनेंगे। कर्जा उतारने के लिए देनदारियों को पूरा करने में राजस्व की अगर कमी होगी तो विशेष उद्देश्य माध्यम के लिए एक पारदर्शी सब्सिडी की व्यवस्था पर वित्त मंत्रालय को विचार करना होगा।

विशेष उद्देश्य माध्यम के लिए वित्त पोषण और निवेश की ब्यौरेवार बैंकिंग रिपोर्ट तैयार की गई है। रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकनोमिक्स सर्विसेज (राईट्स) की पहले की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक पुल से साल में लगभग 20-30 करोड़ रुपये की राशि टोल और अधिभार के रूप में उगाही जा सकेगी। राईट्स ने पुलों पर अनुमानित यातायात और उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए जा सकने वाले टोल और अधिभार दोनों के आंकड़ों का फिर से मूल्यांकन कराने का ठेका देने का फैसला किया है। परियोजना की भारी लागत और इसमें लगने वाले लंबे समय को देखते हुए निर्माण अवधि के

दौरान परियोजना की कुल लागत में ब्याज का हिस्सा काफी होगा और मूल्य, ऋण तथा पूंजी के अनुपात पर निर्भर करेगा। इसलिए ऋण-पूंजी के अनुपात को तय करना है।

बंदरगाहों को जोड़ना

बंदरगाहों पर बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि बंदरगाहों को रेल मार्गों से बेहतर ढंग से जोड़ा जाए। इसलिए सभी बड़े बंदरगाहों को रेल मार्ग से जोड़ने और भीतरी इलाके के लिए बहु-माध्यम गलियारे विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत मौजूदा मार्गों को मजबूत करने के साथ-साथ नए मार्गों के साथ पटरियां बिछाने का काम करना होगा।

देश के भीतरी भागों के लिए बहु माध्यम गलियारे विकसित करने का काम किया जा रहा है। इन गलियारों का इस्तेमाल बहु- माध्यम परिवहन प्रणाली द्वारा किया जाएगा, जिसमें दुमंजिले कंटेनरों और खुले लौह अयस्कों को उनके उद्गम स्थलों से बड़े बंदरगाहों तक ले जाने का काम शामिल होगा।

इस रणनीति के अनुरूप 3,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं की पहचान की गई है।

धन की व्यवस्था

एशियाई विकास बैंक के साथ 1500 करोड़ रुपये के ऋण की बातचीत की गई है। बैंक ने वर्ष 2006 और 2008 में क्रमशः दूसरा और तीसरा ऋण देने का संकेत भी दिया है। यह ऋण पहले ऋण की शर्त संबंधी जरूरतों को पूरा करने के आधार पर दिए जाएंगे। सकल बजट सहायता से भी 1500 करोड़ रुपये की राशि मिलने की उम्मीद है।

बड़े पुलों तथा राष्ट्रीय रेल विकास योजना से जुड़ी अन्य परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के वास्ते विश्व बैंक से बातचीत शुरू हो गई है। विश्व बैंक ने भारतीय रेलों के सुधार एजेंडे को स्वीकार कर लिया है। ❑

(केंद्रीय रेल मंत्री।)

(पसूका से साभार)

(पृष्ठ 49 का शेष)

क्षेत्र का योगदान 55.55 प्रतिशत था। 2001-02 के दौरान शक्तिचालित करघा क्षेत्र ने 2519 करोड़ 20 लाख वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन किया। यह देश में सभी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित कपड़े का 59.9 प्रतिशत था।

सन 1996-97 के दौरान शक्तिचालित करघों की संख्या 14.16 लाख थी। यह संख्या सितम्बर 2002 में बढ़कर 16.76 लाख हो गई।

शक्तिचालित करघा क्षेत्र को सहायता उपलब्ध कराने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर 44 शक्तिचालित सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र शक्ति चालित करघों के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, उनको डिजाइन उपलब्ध कराते हैं और उनके नमूनों की जांच करते हैं। वे प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करते हैं। अप्रैल 2001 और सितम्बर 2002 के दौरान इन सेवा केन्द्रों ने 1705 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया, 3608 नए डिजाइन तैयार किए, 58,459 नमूनों की जांच की और 183 प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया। शक्तिचालित करघा क्षेत्रों को विकसित करने की सरकार की नई पहल में 2004 तक उनका आधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम शामिल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मुख्य साधन टफस (टीयूएफएस) है, जिसे संशोधित करके अब लाभ प्राप्तकर्ताओं को ब्याज का पांच प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने या 12 प्रतिशत ऋण से जुड़ी अपफ्रंट सब्सिडी प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

पावरलूम सेवा केन्द्रों के आधुनिकीकरण और उन्हें मजबूत बनाने का एक कार्यक्रम भी हाथ मे लिया गया है। नौवीं योजना के दौरान सरकार ने 21 सेवा केन्द्रों के आधुनिकीकरण और उन्हें मजबूत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इसके लिए 16.09 करोड़ रुपये स्वीकार किए गए। शेष सेवा केन्द्रों का दसवीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण किया जाएगा। वर्ष 2002-2003 के दौरान 8 अतिरिक्त सेवा केन्द्रों का 4 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण किया जाएगा। सेवा केन्द्र शक्तिचालित करघा केन्द्रों के उद्यमियों को आधुनिक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इसके लिए केन्द्र सरकार ने सेवा केन्द्रों की वर्तमान प्रयोगशालाओं का स्तर ऊंचा करने का निश्चय किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10.70 करोड़ रुपये की लागत से 14 सेवा केन्द्रों की 14 प्रयोगशालाओं का स्तर उठा दिया गया है। शक्तिचालित हथकरघों के श्रमिकों के कल्याण के लिए एक परिवर्तित समूह बीमा स्कीम तैयार की गई है। कार्यस्थल और आवास योजना का भी संशोधन किया जा रहा है ताकि शक्तिचालित करघों के श्रमिक अपने करघे समूह कार्यस्थलों में या औद्योगिक कार्यस्थलों या अपेरल (वस्त्र) पार्कों में लगा सकें। ❑

(लेखक कपड़ा मंत्रालय में सचिव पद पर कार्य कर चुके हैं।)

श्री वाजपेयी का पांच साल का कार्यकाल

○ के.जी. जोगलेकर

पिछले पांच वर्षों और दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रयासों के पीछे प्रेरणा किसकी है? पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों का, भारत को वर्ष 2020 तक विकासशील देशों की जमात से विकसित देशों की बिरादरी में बैठाने का आह्वान किया था। निस्संदेह यह बड़ा ही भगीरथ प्रयास है। लेकिन अतीत की सराहनीय उपलब्धियों, कुशल प्रबंध और सबसे अधिक, एक अरब लोगों के संकल्प के बूते पर यह संभव हो जाएगा।

पिछले पांच वर्ष, भारत के लिए और प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बड़े ही गहमागहमी के वर्ष रहे हैं। देश, घर में और बाहर कई तूफानों का सामना करने में कामयाब रहा और इसका श्रेय लोगों के संकल्प तथा वाजपेयी के नेतृत्व को जाता है। यह प्रशंसा कुछ अजीब-सी लग सकती है, लेकिन हमें 1998 को याद करना होगा, जब श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। दो साल से भी कम की अवधि में केन्द्र में तीन सरकारें बन चुकी थीं और गिर भी चुकी थीं। इनमें से एक सरकार, श्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली भी थी, जिसने आखिरी क्षण पर एक राजनीतिक दल द्वारा पाला बदल लेने के कारण अपना इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा में सरकार केवल एक वोट से विश्वास मत खो बैठी थी। समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों और उनके परिणामस्वरूप होने वाली अस्थिरता ने लोगों के मन में इस बात को लेकर संदेह उत्पन्न कर दिए थे कि देश के लिए लोकतंत्र की उपयोगिता कहीं खत्म तो नहीं हो गई। इससे विदेशों में भी भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में भी ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बातें, दोनों ही खतरनाक थी क्योंकि इनके कारण न केवल गरीबी और अज्ञानता हटाने के अभियान में बाधा आई थी, बल्कि राजनीतिक प्रणाली के ताने-बाने को भी खतरा उत्पन्न हो गया था।

कार्यप्रणाली

1998 में श्री वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सत्ता में आने के साथ अस्थिरता का यह खतरनाक दौर खत्म हो गया। 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए इसे जनादेश मिला। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के हरेक क्षेत्र में शुरू किए गए महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की बदौलत भारत ने विकास की अपनी यात्रा आरंभ कर दी। कभी-कभी तो एक राजनीतिक दल के लिए अपने सभी मनवांछित कार्यक्रमों को लागू कर पाना भी कठिन हो जाता है, भले ही उसका बहुमत क्यों न हो। और जब विविधता वाली और कभी-कभी तो विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियों से मिलकर कोई गठबंधन बना हो तो उसके लिए ऐसा कर पाना तो और भी कठिन हो जाता है। यह श्री वाजपेयी के नेतृत्व का ही कमाल है कि वे अपने समूचे गठबंधन को एकसूत्र में बांधे रखने में कामयाब रहे। गठबंधन में वरिष्ठ भागीदार के रूप में श्री वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी को, दूसरों के मुकाबले अधिक समझौते करने पड़े। उनकी पार्टी के कट्टरपंथियों ने अक्सर कुछ विवादास्पद मुद्दों पर उनके ढीले रवैये की आलोचना की है, लेकिन अब तक दूसरी पार्टियों की तरह वे उनको भी संतुष्ट करने में कामयाब रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनतांत्रिक गठबंधन के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करना है।

उन्हें आम सहमति प्राप्त करने और अपने विचारों के लिए दूसरों का समर्थन प्राप्त करने की गरज से अक्सर समझौते करने पड़े। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि समझौते इस बात को लेकर हुए हैं कि कितना जोर दिया जाना है और कितनी प्राथमिकता दी जानी है। विचारधारा

को लेकर समझौते कभी नहीं हुए। उन्होंने अपने आलोचकों को जीतने के लिए अधिकतम रियायत देने की कोशिश की है। उन्होंने किसानों की मांग मानने और उर्वरकों की कीमत न बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री को राजी किया। लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि उन्होंने किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।

शैली

न केवल गठबंधन में शामिल दलों बल्कि विपक्षी दलों के साथ भी आम सहमति कायम करने के हर संभव प्रयास करना और जब यह संभव न हो तो चुनौतियों का सामना करना उनकी विशेषता रही है। संसद के शरद सत्र के दौरान दोनों सदनों ने 42 विधेयक पारित किए जो विपक्ष के साथ तालमेल का ही नतीजा था। इन सभी विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार पिछले वर्ष कई विधेयक लाने में सफल रही। इनमें से 93 विधेयक पारित किए जा चुके हैं। पिछले 25 वर्षों में पहली बार और आजादी के बाद तीसरी बार ऐसा हुआ है जब इतनी अधिक संख्या में विधेयक पारित किए गए हैं। इन आंकड़ों का महत्व तब और भी बढ़ जाता है, जब यह ध्यान में आता है कि देश में विधायिका के कार्यों में उन सदस्यों द्वारा अक्सर व्यवधान डाला जाता है, जो उन अन्य मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं जिन्हें वे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। इस प्रकार विधायिका का कार्य पटरी से उतर जाता है। इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो पिछले वर्ष विधाई कार्य की प्रगति निश्चय ही प्रशंसनीय रही है। यह गठबंधन सरकार और विपक्ष के बीच सूझ-बूझ से ही संभव हो सका है। स्पष्ट रूप से झूठे आरोप लगाए जाने के बावजूद, श्री वाजपेयी ने शायद ही कभी अपना नियंत्रण खोया हो। उन्होंने हमेशा आरोपों का गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर दिया है।

भारत के अपने पड़ोसी देशों से हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। केवल पाकिस्तान ही एक अपवाद है। पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाहौर तक बस यात्रा की। उन्होंने राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा में शिखर वार्ता भी की। लेकिन जल्दी, ही यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की भारत के साथ दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब श्री वाजपेयी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के साथ हाथ मिला रहे थे, तब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान सेना के प्रमुख की हैसियत से, करगिल के संवेदनशील इलाके में घुसपैठ की योजना बना रहे थे। उन्होंने आगरा शिखर वार्ता का उपयोग भारत के विरुद्ध निंदनीय आरोप लगाने के लिए किया। वैसे इसे समझा भी जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति मुशर्रफ ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान का कोई भी शासक तभी तक सत्ता में रह सकता है, जब तक कि वह कश्मीर का मुद्दा उठा कर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काता रहे। सभी भारतीय नेताओं ने पाकिस्तानी नेतृत्व की इस बाध्यता को समझा है और वाजपेयी जी भी अपवाद नहीं रहे हैं। इसीलिए, शायद ही कभी उन्होंने पाकिस्तान के अपशब्दों का जवाब उसी की भाषा में दिया हो। एक बार उन्होंने कहा था कि आप अपना मित्र चुनने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन हम इसे पसंद करें या न करें, हमें अपने पड़ोसियों को स्वीकार करना ही होगा। इसीलिए वे पाकिस्तान के साथ शांति और मित्रता बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अनर्गल प्रलाप को तो सहन किया, लेकिन लद्दाख में मौजूद भारतीय सैन्य टुकड़ियों को अलग-थलग करने के उद्देश्य से पाकिस्तान द्वारा करगिल में घुसपैठ को सहन करना श्री वाजपेयी के लिए और देश की जनता के लिए संभव नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान द्वारा पहले पंजाब में और अब कश्मीर में जारी छद्म युद्ध को कैसे सहन किया जा सकता है!

इस छद्म युद्ध को चलते 20 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण, हथियार, उपकरण और धन मुहैया कराता रहा है। एक अनुमान के अनुसार इन आतंकवादियों द्वारा लगभग 50,000 निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या की जा चुकी है। यह एक विडंबना है कि इनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं और इनक हत्या जिन आतंकवादियों ने की है, उन्हें उस देश ने भेजा है जो इस्लामिक राष्ट्र होने का दावा करता है। भारत पाकिस्तान को समझाने का प्रयास करता रहा है कि वह सीमापार के इस आतंकवाद को समाप्त करे, लेकिन उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आतंकवादियों ने भारत की राजनीतिक संप्रभुता के केन्द्र संसद भवन और जम्मू कश्मीर राज्य की श्रीनगर स्थित विधानसभा भवन को निशाना बनाया। कुछ समय के लिए भारत ने पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर और जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र सेनाओं को तैनात कर दिया था। आतंकवादियों ने गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर और जम्मू में रघुनाथ मंदिर में निर्दोष श्रद्धालुओं की हत्या की और जम्मू के नजदीक कालू चक में सेना शिविर में सोती हुई निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्या की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में भेजना बंद नहीं करेगा।

ऐसे हालात में, मजबूरन भारत को कड़ा रुख अपनाना पड़ा और कहना पड़ा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार के आतंकवाद को समाप्त नहीं करता, भारत उसके साथ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेगा। श्री वाजपेयी और अन्य नेताओं ने बार-बार

यही बात दोहराई है। श्री वाजपयी के लिए, जिसने पाकिस्तान को शांति और मैत्री के रास्ते पर लाने में कोई कसर न छोड़ी हो, लेकिन हार गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए यह एक कड़वा घूंट नहीं तो और क्या था! राष्ट्रपति मुशर्रफ भी स्वीकार कर चुके हैं कि अगर कोई भी शासक पाकिस्तान में सत्ता में बने रहना चाहता है तो उसके लिए कश्मीर का मुद्दा उछालना और नफरत के शोलों को हवा देना निहायत ही जरूरी है।

श्री वाजपेयी ने अपनी निराशा को व्यक्त करते हुए कहा है कि अमेरिका दावा तो विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने का करता है लेकिन भारत के खिलाफ चलाए जा रहे सीमापार के आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान पर जरूरी दबाव नहीं बना रहा है। ऐसा लगता है कि आतंकवाद के प्रति वाशिंगटन का रवैया मनमर्जी वाला है। जब अमेरिका में लक्ष्यों को या इसके दूतावासों को निशाना बनाया जाता है तब तो उसे आतंकवाद मानता है, लेकिन दूसरी जगहों पर आतंकवाद के कहर से यह आंखें बंद कर लेता है।

विकास

महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पिछले वर्ष अक्तूबर में जम्मू और कश्मीर के लोग आतंकवाद से जूझ रहे थे, तब वहां विधान सभा के लिए आम चुनाव कराए गए। राज्य के लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में उत्साह से भाग लेकर पाकिस्तान-प्रशिक्षित आतंकवादियों की गोलियों का जवाब वोटों से दिया। आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की अकारण हत्या के विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन किए गए। केन्द्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा चुनी गई राज्य की मौजूदा सरकार के साथ मिलकर शांति स्थापित करने, सामान्य स्थिति कायम करने और राज्य के आर्थिक विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 6000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और स्कीमों की घोषणा की है। राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, आतंकवाद की वजह से विस्थापित लोगों को राहत पहुंचाने और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जब राज्य का भारत में विलय हुआ, उस समय रेल लाइन केवल पठानकोट तक थी, जो जम्मू से 100 किमी. है। अब रेल लाइन जम्मू में उधमपुर और उससे भी आगे तक जाती है। 3500 करोड़ की लागत से एक बड़ी परियोजना के जरिए रेल लाइन को दक्षिणी कश्मीर में बारामूला तक ले जाया जाएगा। इससे न केवल क्षेत्र का विकास होगा बल्कि इस क्षेत्र को देश के अन्य भागों से भी जोड़ा जा सकेगा। आशा है कि कश्मीर घाटी में पहली ट्रेन 15 अगस्त, 2007 से पहले चलने लगेगी।

कूटनीति

चूंकि भारत अपने ही बूते पर आतंकवाद का मुकाबला कर रहा था, इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान शासन को उखाड़ फेंकने की मुहिम में उसकी दिलचस्पी होना स्वाभाविक ही था। तालिबान शासन में लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे और वे अफगानिस्तान को मध्ययुग की ओर ले जाने के प्रयास कर रहे थे। भारत की दिलचस्पी इसलिए और भी ज्यादा थी क्योंकि वहां के लोग भारत के नेताओं और जनता के साथ मैत्री को काफी सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इसके बावजूद भारत की भूमिका ढीली ही रही। फिर भी दमनकारी तालिबान शासन के खिलाफ लड़ने में जो भी मदद हो सकती थी, भारत ने दी और अब भी उस देश के पुनर्निर्माण में हर संभव मदद भारत दे रहा है।

खाड़ी क्षेत्र का भारत के लिए काफी महत्व है। भारत द्वारा आयात किया जाने वाला अधिकतर कच्चा तेल यहीं से आता है। भारत और इस क्षेत्र के देशों की व्यापार और निवेश में काफी भागीदारी है। 35 लाख से भी ज्यादा भारतीय खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं। इन देशों में आपस में भले ही न बनती हो, पर भारत के साथ सभी के संबंध दोस्ताना हैं। इसलिए भारत का इराक में उत्पन्न अप्रिय स्थिति के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है। हालांकि इराक भारत का पक्का दोस्त रहा है, फिर भी भारत वक्त के तकाजे से आंखें नहीं मूंद सकता। प्रधानमंत्री ने संसद को संबोधित करते हुए भारत के दृष्टिकोण को बड़े ही सही ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जो भी कार्यवाही की जाए वह संयुक्त राष्ट्र की अनुमति से की जाए। किसी भी देश द्वारा की जाने वाली एकतरफा कार्रवाई का मतलब इस विश्व संगठन की समाप्ति होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी किसी दूसरे देश पर अपनी मनमर्जी की सरकार थोप नहीं सकता। और यदि सरकार बदलती भी है, तो इसके लिए वहां के लोगों की इच्छा का होना निहायत जरूरी है।

कुछ संसद सदस्य चाहते थे कि सरकार को अपना पक्ष और ज्यादा स्पष्ट रूप से रखना चाहिए और इकतरफा कार्रवाई की धमकी देने वाले देश का नाम लिया जाना चाहिए। लेकिन वे दो महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज कर गए। पहली यह कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। फिर भी कई अन्य देशों की तरह उस क्षेत्र की घटनाओं के प्रति वह चिंतित है। दूसरी, भारत विश्व की एकमात्र महाशक्ति की इतनी ही आलोचना कर सकता है। भारत तो इतना ही चाहता है कि इस क्षेत्र में युद्ध नहीं होना चाहिए। खाड़ी क्षेत्र में युद्ध से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल सप्लाई में बाधा आएगी और देश, जो मंदी के दौर से उभर रहा है फिर मंदी के दौर में घिर जाएगा। युद्ध का मतलब यह भी होगा कि

नब्बे के दशक के खाड़ी युद्ध की तरह लाखों की संख्या में शरणार्थी देश में वापस आएंगे। इसलिए, भारत युद्ध नहीं चाहता।

अफगानिस्तान में युद्ध, आतंकवाद का खतरा और देश के 14 राज्यों में भयंकर सूखे ने पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, साथ ही खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के खतरे का डर भी बना हुआ था। इन सभी कारणों को मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति की रफ्तार को प्रभावित करने की आशंकाएं निर्मूल नहीं थीं। अधिकांश देशों में आर्थिक मंदी के दौर के बावजूद श्री वाजपेयी के 5 वर्षीय कार्यकाल का अंतिम वित्त वर्ष 2002-2003 भारत के लिए काफी अच्छा रहा। भारत की गिनती विश्व में सबसे तेज गति से विकास की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्थाओं में होती रही। वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान निर्यात में 20 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई और यह 38 अरब अमरीकी डालर तक पहुंच गया। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से कुल राजस्व में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान मुद्रास्फीति की दर सामान्य स्तर पर बनी रही। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 73 अरब अमरीकी डालर यानि 348,429 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि केन्द्र को सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अनाज भेजना पड़ा, लेकिन अनाज भंडार भरे हुए हैं और कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रही हैं।

अर्थव्यवस्था

पहले चार वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में निराशाजनक स्थिति बने रहने के पश्चात् पिछले वर्ष अर्थव्यवस्था ने करवट ली। यद्यपि खाड़ी युद्ध होने की स्थिति में देश को आपातकालीन योजनाएं बनानी पड़ीं, लेकिन अब स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं है, जितनी कि आशंका की जा रही थी। आशा की यह किरण, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित 10वीं पंचवर्षीय योजना में साफ झलकती है। योजना का लक्ष्य रोजगार सृजन और समानता पर जोर देकर तीव्र आर्थिक विकास हासिल करना है। बहुतों के लिए यह आश्चर्य की बात है कि योजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। और भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि इस वृद्धि दर से रोजगार और स्वरोजगार के 5 करोड़ अवसर सृजित होंगे।

इसमें कोई शक नहीं कि ये लक्ष्य बड़े ही महत्वाकांक्षी हैं और आलोचकों ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर तरह-तरह के संदेह व्यक्त किए हैं। लेकिन इस दस्तावेज में इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की तरफदारी करते हुए पिछली योजनाओं के विपरीत, दसवीं पंचवर्षीय योजना को मात्र एक संसाधन योजना नहीं, बल्कि एक सुधार योजना बताया गया है। अर्थव्यवस्था में सुधारों के क्षेत्र को व्यापक बनाना है। राज्य सरकारों को सुधार लागू करने के लिए प्रोत्साहन देने हैं। आर्थिक विकास के रास्ते में आने वाले गैर-वित्तीय अवरोधों को दूर करना है, जिसके लिए सिविल सेवाओं, न्यायपालिका, शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार करने हैं लेकिन सबसे बड़े सुधार तो केन्द्र, राज्य और पंचायती राज संस्थानों के स्तरों पर प्रशासन के क्षेत्र में करने होंगे। प्रशासन के अंतिम क्षेत्र यानि पंचायती राज्य संस्थान का देहातों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष महत्व है। योजना दस्तावेज में चीजों को अस्पष्ट नहीं छोड़ा गया है। इसमें जमीनी हकीकतों को देखते हुए लक्ष्यों और उद्देश्यों को हकीकत में बदलने के लिए विधाई और प्रशासनिक उपायों की ब्यौरेवार सूची दी गई है।

कल्पना, सभी स्तरों और क्षेत्रों में एक संपूर्ण क्रांति की, की गई है। क्षेत्र चाहे कृषि के हों, या फिर उद्योग, शिक्षा और बिजली पैदा करने के हों, सभी में क्रांति की बात कही गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व दिया गया है और ऐसा ही महत्व बुनियादी ढांचे के विस्तार और मजबूती को भी दिया गया है। आजादी के पहले पचास वर्षों में भारत में चार और छह लेनों के केवल 556 किलोमीटर मार्गों का निर्माण हुआ था। लेकिन आज प्रतिदिन ऐसे 5 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। विश्व स्तर के राजमार्गों वाले स्वर्णिम चतुर्भुज का काम समय से आगे चल रहा है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाले इस स्वर्णिम चतुर्भुज से न केवल रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, बल्कि देश के सीमेंट और इस्पात उद्योग को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। 6000 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का मतलब है कि हर साल ईंधन और वाहनों के रख-रखाव की लागत के रूप में 8,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। सड़कों के विकास के साथ-साथ 15,000 करोड़ रुपये की लागत से एक रेल विकास योजना भी आरंभ की गई है जो देश के प्रमुख परिवहन ढांचे को फास्ट ट्रैक पर लाने में मदद करेगी। भारत में दूरसंचार सेवाओं की अविश्वसनीय प्रगति के चलते टेलीफोन, आम आदमी के लिए अधिकारिता का एक ऐसा माध्यम बन गया है, जो उसकी पहुंच की दायरे के भीतर है।

पिछले पांच वर्षों और दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रयासों के पीछे प्रेरणा किसकी है? पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों का भारत को वर्ष 2020 तक विकासशील देशों की जमात से विकसित देशों की बिरादरी में बैठाने का आह्वान किया था। निस्संदेह यह बड़ा ही भगीरथी प्रयास है। लेकिन अतीत की सराहनीय उपलब्धियों, कुशल प्रबंध और सबसे अधिक, एक अरब लोगों के संकल्प

के बूते पर यह संभव हो जाएगा। राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा है कि हमें दो मंत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला तो जनसहयोग से कारगर ढंग से अमल और दूसरा जनसहयोग के लिए कारगर संवाद।

भविष्य

स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत के शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। 1981 में देश के शहरों की जनसंख्या 15.9 करोड़ थी जो 1991 में 21.8 करोड़ हो गई और इसमें तब से लगातार वृद्धि होती आ रही है। गांवों से लोग नौकरी और बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की ओर दौड़ते हैं। शहरों की हालत यह है कि उन पर जरूरत से कहीं ज्यादा अधिक दबाव पड़ रहा है और वे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने के पानी या बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से नहीं जुटा पा रहे हैं। नतीजा यह हुआ है कि शहरों में कुकुरमुत्तों की तरह जगह-जगह मलिन बस्तियां उग आई हैं और उधर, नौजवानों के विशेषकर शिक्षित और हुनरमंद नौजवानों के रोजगार की तलाश में शहरों में चले जाने के कारण गांव और गरीब हो गए हैं। पहले यह सोचा गया था कि भारी उद्योग विकास का माध्यम सिद्ध होंगे और सहायक उद्योगों तथा दूसरी गतिविधियों को बढ़ावा देकर आसपास के इलाकों को गरीबी से निकालकर समृद्धि की ओर ले जाएंगे। जितना होना चाहिए था उतना इस दिशा में नहीं हुआ है। अधिकांश भारी उद्योग केन्द्र गरीबी के बीच समृद्धि के छोटे-छोटे द्वीप बन कर रह गए हैं। असमानताएं बढ़ी हैं, जिससे सामाजिक तनाव और हताशा ने जन्म लिया है। एक के बाद एक योजनाओं ने इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन सफलता आंशिक रूप से ही मिली है। गांव अभी भी गरीब हैं और शहर झुग्गी-झोपड़ियों के एक विशाल सैलाब में बदलते जा रहे हैं।

समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। यही नजर आता है कि शहरों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वैसे ही सुविधाएं गांवों में उपलब्ध कराई जाएं, जहां देश की दो तिहाई आबादी रहती है। वहां रहने वाले लगभग 2 करोड़ 60 लाख लोग लगभग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और वे राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें खैरात नहीं चाहिए। वे मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार हैं और मेहनत मजदूरी करके ही खुद को समुद्ध करना चाहते हैं। जरूरत उनको अधिकार संपन्न बनाने के एक व्यापक अभियान की है। इस ओर इशारा करते हुए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने फरवरी के महीने में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि गांवों में रहने वाले लोगों को चार महत्वपूर्ण तरीकों से जोड़ा जा सकता है। पहला, उन्हें अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी परिवहन सेवा और बढ़िया बिजली की जरूरत है। दूसरे, भौतिक रूप से संपर्क के साथ-साथ गांव को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्हें विश्वसनीय संचार सुविधाएं मिलनी चाहिए। तीसरे, अधिकांश पेशेवर संस्थान और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, देहातों में खोले जाने चाहिए, ताकि वे वहां के लोगों को ज्ञान के सूत्र से जोड़ सकें। और अंत में, बाजार-संपर्क से उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं का अच्छे से अच्छा मूल्य मिलना चाहिए तथा उन्हें रोजगार के बढ़ते अवसर उपलब्ध होने चाहिए।

विजन-2020

इस देश के लोगों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। और यही अभिव्यक्ति दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के प्रावधान में झलकती है। लोगों का संकल्प इस स्वप्न को यथार्थ में बदल सकता है। और, दोनों ही श्री वाजपेयी के सपने को साकार रूप देने में कामयाब हो सकते हैं। ❑

(वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार)

(पसूका से साभार)

लेखकों से अनुरोध

कृपया अपने लेख टाइप करा कर दो प्रतियों में भेजें जिनमें एक मूल प्रति हो तथा साथ में टिकट लगा लिफाफा अवश्य संलग्न करें। लेख पर दो से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। सभी रचनाएं 'संपादक, योजना' के नाम प्रेषित करें।

स्थिर राजतंत्र से विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी

○ एस. सेथुरमन

दुनिया-भर के वित्त बाजारों में अस्थिरता के दौरों के बावजूद भारत की विनिमय दर काफी हद तक स्थिर रही और मौद्रिक नीति के फलस्वरूप विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों को और भारी मात्रा में ऋण प्रवाह बना रहा है। 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में मुद्रा-स्फीति के घटने से भी ब्याज दरों को कम करने में मदद मिली है। ऋण दरों में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बहु-दलीय गठबंधन सरकार ने देश को स्थिर प्रशासन प्रदान किया है। लगातार पांच वर्ष तक (1998-2003) सफलतापूर्वक देश की बागडोर संभालना निश्चय ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के शुरुआती दशकों में केवल एक ही पार्टी के खाते में ऐसी उपलब्धि है। विभिन्न विचारधाराओं और सिद्धांतों वाले दलों को एक साथ लेकर सरकार चलाना, बेशक चुनौती पूर्ण कार्य रहा है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अपने सौम्य व्यक्तित्व, व्यापक राजनीतिक अनुभव और उत्कृष्ट सांसद के रूप में अपनी भूमिका के बूते पर श्री वाजपेयी ने आंतरिक और बाह्य चुनौतियों के बावजूद, देश का सफल एवं कुशल नेतृत्व किया और भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचाया।

भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते उनकी विचारधारा और आस्था भले ही कितनी भी मजबूत रही हो, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप से हट कर, विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश की बागडोर संभालना, श्री वाजपेयी की उदार विचारधारा और उनके प्रति राष्ट्र के व्यापक समर्थन का परिचायक है। सभी बड़े राष्ट्रों के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को श्री वाजपेयी की जिस बात ने प्रभावित किया है वह है—आर्थिक सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। जिसके बूते पर वे देश को गरीबी के शिकंजे से निकालने और हर साल कम से कम एक करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का वायदा कर सके हैं। उन्होंने योजना आयोग को दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान घरेलू सकल उत्पाद में आठ से नौ प्रतिशत की वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं जैसे अर्थव्यवस्था के गतिशील क्षेत्रों की मदद से सामाजिक विकास की रफ्तार में तेजी आए। इस तरह की आर्थिक प्रगति तथा संतुलित विकास से संसाधनों की वृद्धि होगी और सरकार भारी ऋणों से उत्पन्न वित्तीय घाटे की स्थिति में सुधार ला सकेगी। साथ ही वास्तविक और सामाजिक ढांचे में सार्वजनिक निवेश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

जैसे-जैसे देश की अर्थव्यवस्था उच्च-विकास मार्ग पर आगे बढ़ती है, इसके व्यापार का दायरा विस्तृत होता चला जाता है और भारी संख्या में बाहरी निवेश जुटाया जाता है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार को सुदृढ़ किया जा सकता है। राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी का भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरते देखने का सपना इसी प्रकार साकार हो सकेगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगले दो-तीन दशकों में भारत और चीन एशिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियों के रूप में उभरेंगे, जिनका विश्व व्यापार और वित्त प्रवाह में एक अच्छा-खासा हिस्सा होगा और वे विश्व अर्थव्यवस्था में पूरी तरह समन्वित हो जाएंगे।

परमाणु, अंतरिक्ष तथा अन्य क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियों वाले प्रौद्योगिक रूप से विकासशील राष्ट्र की छवि को बरकरार रखते हुए, 1998 में श्री वाजपेयी ने पोखरण-2 में अनेक भूमिगत परीक्षणों के साथ ही

भारत को परमाणु शक्ति घोषित करने का अपना पहला बड़ा कदम उठाया। सुरक्षा परिवेश और खतरे की संभावनाओं को देखते हुए यह बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन उन्होंने यह भी यकीन दिलाया कि भारत कभी भी परमाणु हथियारों के प्रयोग में पहल नहीं करेगा।

इन परमाणु परीक्षणों पर अनेक देशों, विशेष रूप से पश्चिमी देशों की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के बावजूद, भारत मजबूती से डटा रहा। इन देशों ने भारत पर और चोरी-छिपे अपनी परमाणु शक्ति विकसित कर लेने वाले, पाकिस्तान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन भारत ने अपने मजबूत इरादों से इन अल्पकालिक परेशानियों पर काबू पा लिया। 1992-93 से शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के दौर की विकास प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावटें नहीं आई।

1970 के दशक के आखिर में, गैर कांग्रेसी सरकार में विदेश मंत्री के रूप में श्री वाजपेयी ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपनी पकड़ बना ली थी, जिसकी वजह से वे भारत की परमाणु नीति की आलोचना करने वाले सभी मित्र राष्ट्रों के साथ, विशेषकर अमेरिका के साथ संबंध सुधारने में समर्थ हुए।

अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया, जिसके बाद भारत-अमेरिका के संबंधों में स्पष्ट बदलाव आया और दोनों की दोस्ती पहले से कहीं अधिक प्रगाढ़ हुई। यह श्री वाजपेयी के नेतृत्व का ही कमाल था। परिणामस्वरूप बाद में भारत पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध और उच्चकोटि की प्रौद्योगिकी तथा संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटा ली गईं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोत्तरी हुई। प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ और भारत को एक उभरती हुई सुदृढ़ ताकत के रूप में मान्यता मिली।

श्री वाजपेयी ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के पारंपरिक दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसके अनुसार भारत शांति का हिमायती है और विकासशील देशों के लिए बेहतर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचों तथा अधिक समतापूर्ण व्यापार व्यवस्था के निर्माण के लिए बहुराष्ट्रीय मंचों और विचार-विमर्श में एक सक्रिय भागीदार के रूप में भाग लेता है। समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी भारत और रूस की दोस्ती को और पुष्ट करते हुए, वाजपेयी सरकार ने चीन के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। वैसे उसके साथ लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद अभी तक सुलझ नहीं पाया है।

श्री वाजपेयी की सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम यात्राओं ने 'लुक ईस्ट' नीति को एक नई दिशा दी है। भारत को उम्मीद है कि दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) के साथ मुक्त व्यापार व्यवस्था शुरू हो जाएगी। सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ पड़ोसी संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में श्री वाजपेयी ने पहल की है। इनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो कश्मीर मसले को लेकर शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए है और जिसकी तरफ से सीमापार घुसपैठ लगातार जारी है।

उपमहाद्वीप में शांति और सौहार्द्र बनाए रखने की श्री वाजपेयी की उत्सुकता का एक उदाहरण पाकिस्तान के तत्कालीन शासनाध्यक्ष से मुलाकात के लिए उनकी लाहौर की बस यात्रा थी। यह दूसरी बात है कि यह कोशिश बाद में एक गलत शुरुआत साबित हुई, क्योंकि कुछ ही समय के बाद भारत को करगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तानी फौज की विश्वासघाती घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देना पड़ा। जब हमने घुसपैठियों को उनकी सीमा में खदेड़ दिया, तो हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण की सर्वत्र प्रशंसा हुई। करगिल घटना के बावजूद श्री वाजपेयी ने 2001 में पाकिस्तान के सैनिक शासक जनरल परवेज मुर्शरफ को शिखर सम्मेलन के लिए आगरा आमंत्रित किया।

कश्मीर सहित सभी विषयों पर बातचीत की भारत की इच्छा के बावजूद, इस बातचीत के कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। लेकिन वर्ष के अंत में पाकिस्तान ने तब एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी, जब उसने पूरी भारत-पाक सीमा पर अपनी सेना को तैनात कर दिया। भारत को भी इसका जवाब देना पड़ा। इससे पूर्व, सीमापार से आतंकवादी हमले किए गए। यहां तक कि भारतीय संसद को भी निशाना बनाया गया। कई महीनों तक दोनों देशों की फौजें आमने-सामने बनी रहीं, जिससे तनाव बढ़ता गया। यहां तक कि ढके-छुपे तौर पर पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध परमाणु हथियार प्रयोग करने की धमकी भी दे डाली। लेकिन अमेरिका और अन्य देशों द्वारा दबाव डाले जाने पर पाकिस्तान पीछे हट गया।

जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी की कुछ महत्वपूर्ण पहलों में आतंकवादियों के साथ बातचीत का रास्ता खोलने और उन्हें हथियार छोड़ कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए। प्रेरित करने के इरादे से कई बार सुरक्षा बलों द्वारा युद्धविराम शामिल है। वर्षों से आतंकवाद से जूझ रहे राज्य में साफ-सुथरे चुनाव करवाना और सभी विचारधाराओं के लोगों को प्रजातांत्रिक मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर प्रदान कराना उनकी महत्वपूर्ण पहलें थीं। जनादेश प्राप्त एक नई सरकार राज्य में काम कर रही है। सीमापार आतंकवाद के सिलसिले के जारी रहने के बावजूद केंद्र सरकार वहां के लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अनेक बार यकीन दिलाने के बाद भी वह आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहा है।

अल्पसंख्यकों पर अक्सर हमलों, आंतरिक राजनीतिक शत्रुता, तनाव और हिंसा के दौरान अंदरूनी राजनीतिक शत्रुताओं, समय-समय पर होने वाले टकरावों और हिंसा तथा कभी-कभार धार्मिक अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों में जख्मों पर मरहम लगाने का श्रेय श्री वाजपेयी को जाता है, जो उनकी परिपक्वता का परिचायक है। हाल ही में प्रधानमंत्री पद पर पूरे किए अपने 5 साल के कार्यकाल में श्री वाजपेयी ने जो राजनीतिक स्थिरता प्रदान की है, उसका कारण उनकी सरकार की आर्थिक नीतियां और सुधार रहे हैं तथा वह भारतीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की बढ़ती रुचि का कारण रही है।

मार्च 2003 के अंत में भारत की अर्थव्यवस्था पर वृहद दृष्टिपात किया जाए, तो बड़ी ही मिली-जुली-सी तस्वीर सामने आती है, जिसमें प्रगति के उतार-चढ़ाव तो हैं, लेकिन सुदृढ़ मूलभूत ढांचा भी उसमें एकदम स्पष्ट नजर जाता है। वाजपेयी सरकार ने न केवल वृहद आर्थिक स्थायित्व को बरकरार रखा है, बल्कि बिना इसकी परवाह किए कि सुधार और पुनर्निर्माण की गति धीमी रही है, उन्होंने सुधार के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।

ऐसा नहीं है कि खुद श्री वाजपेयी ने और उनकी सरकार ने वार्षिक बजट में अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के बड़े ही जरूरी साहसिक प्रस्ताव नहीं रखे हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रस्ताव ऐसे थे, जिनका पूर्ण राजनीतिक आम सहमति के बिना पारित होना संभव नहीं था। राजकोषीय जिम्मेदारी और वित्तीय घाटे में कमी को बनाए रखने, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन और श्रम सुधार जैसे महत्वपूर्ण विधेयक काफी अर्से से लंबित पड़े हैं और आम सहमति के बिना इन्हें पारित नहीं किया जा सकता। श्री वाजपेयी प्रगति और विकास के आर्थिक मुद्दे को रोजमर्रा की राजनीति से दूर रखने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं। बावजूद इसके आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियां कम नहीं हैं।

लंबी अवधि में लाभ देने वाली नीतियों के परिणाम धीरे-धीरे ही सामने आते हैं। कृषि हो, औद्योगिक पुनर्गठन हो अथवा आधारभूत संरचना, हर जगह यह बात सही साबित होती है।

भारत में आर्थिक वृद्धि की गति खासतौर से हाल के कुछ वर्षों में कम रही है। इसके कई कारण हैं। इनमें ढांचागत सीमाएं, निवेश में कमी, कमजोर बुनियादी ढांचा, सेवाएं प्रदान करने में अकुशलता और व्यापार और वित्तीय प्रवाह पर सीधा असर डालने वाले बाहरी झटके शामिल हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर सुधारों पर जोर दिया गया है, ताकि सभी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय निष्पादन से देश को लाभ प्राप्त हो सकें और विकास की संभावनाएं बढ़ें।

वर्ष 1997-98 से ही उद्योग और निर्यात की मंदी, अर्थव्यवस्था का एक निराशाजनक पहलू रहा है और मांग तथा निवेश के अभाव में बजट राहतों का इन पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन वर्ष 2002-03 के उत्तरार्द्ध में जाकर इनमें सुधार के स्पष्ट लक्षण दिखने शुरू हुए। औद्योगिक विकास में भी स्पष्ट मंदी का अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सुधारों के पहले दौर (1992-97) में औसत वृद्धि दर छः प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी, जो मार्च 2003 को समाप्त छह वर्ष की अवधि में घटकर 5.4 प्रतिशत पर आ गई।

किन्तु वाजपेयी सरकार के प्रथम दो वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। कृषि पैदावार के यदा-कदा पिछड़ने के कारण वृद्धि दर में गिरावट आई और न्यूनतम विकास दर 2002-2001 में दर्ज की गई, जो 4.4 प्रतिशत थी। एक बार फिर यह गिरावट 2003-04 (पूर्वानुमान) में देखी गई। घरेलू बचतों और निवेश दरों में भी स्थिरता बनी रही। यह स्थिति कुछ तो सरकारी क्षेत्र में बचत की कमी की वजह से भी थी। 1998-99 में बचत की दर ऋणात्मक हो गई थी।

1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सरकार का वित्तीय और राजस्व घाटा बढ़ता रहा है। वित्तीय घाटा 1998-99 के 5 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 के दौरान 6 प्रतिशत हो गया और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष अधिक कर्ज की जरूरत होती गई। ब्याज भुगतान जो 45-50 राजस्व प्राप्तियों को खा जाते हैं। रक्षा, खाद्य और उर्वरकों पर सब्सिडी जैसे योजना-भिन्न-भिन्न प्रतिबद्ध खर्चों को कम करने की संभावनाएं काफी कम हैं। अगर इन खर्चों में वित्त मंत्री ने मामूली सी कमी करने की कोशिश की है तो उसका भी सभी राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध किया है। नतीजा यह हुआ कि सरकार का केंद्र और राज्यों में भी खर्चा बढ़ा है जो भारी घाटे की स्थिति से गुजर रहे हैं।

इसके विपरीत, बाहरी भुगतान की स्थिति में पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वैसे तो वर्ष 1992 से विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन 2001-02 में उसमें काफी वृद्धि हुई और 2002-03 में यह वृद्धि और भी अधिक रही और भंडार 74 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंच गया। इस वृद्धि के प्रमुख कारण विदेशों में काम करने वाले श्रमिकों से अधिक प्राप्तियां, साफ्टवेयर निर्यातों और इक्विटी तथा पोर्टफोलियो से बढ़ी आमदनी है। बीस से भी अधिक सालों में, पहली बार, 2001-02 में लघु चालू खाता अधिशेष देखा गया और संभावना है कि 2002-03 का अंत भी इससे बेहतर

RATE CARD OF DPD JOURNALS
(From 01-4-2002)

Name of Journals		Inside Text Pages (Coloured)		B/W		Back Cover	2nd & 3rd Cover
		Full Page	Half Page	Full Page	Half Page		
Group A	Yojana (E)	8000/-	5000/-	4000/-	2500/-	+ 40%	+ 25%
	Yojana (H)						
Group B	Kurukshetra (E)	5000/-	3000/-	2500/-	1500/-	+ 40%	+ 25%
	Kurukshetra (H)						
	Ajkal (H)						
	Bal Bharti						
Group C	Yojana – (Urdu,	No -		1000/-	600/-	+ 40%	+ 25%
	Punjabi, Oriya,	Colour -					
	Assamese,Tamil,	Page					
	Telugu, Marathi,						
	Bengali,Gujarati,						
	Kannada,Malayalam)						
	Ajkal (Urdu)						

For Special Issues

Yojana – (Republic Day and Independence Day) Kurukshetra – (October Annual Number)

	Colour	B/W
Half Page	7000/-	4000/-
Full Page	12000/-	6000/-
2 & 3 cover	16000/-	9000/-
Back Cover	19000/-	10000/-

Rate Card for India/Bharat

	India		Bharat	
	Colour	B/W	Colour	B/W
Full Page	10000/-	5000/-	6000/-	3000/-
Double Spread Inside Back Cover	25000/-	12500/-	13000/-	6500/-
Double Spread Inside Front Cover	30000/-	15000/-	16000/-	8000/-

Note:
1. For 3 or more insertions - **10% Discount**
2. Full year (12 insertions) - **20% Discount**
3. For Colour Advts. positives of advts. to be supplied by the advertisers or Rs. 500/- will be charged extra.

Mechanical Details :

	Yojana	Ajkal/Kurukshetra	Bal Bharti	India/Bharat
Overall size	19.5 x 27 cms	21 x 28 cms	18 x 24 cms	16.5 x 24 cms
Print area	17 x 23 cms	17 x 24 cms	15 x 19.5 cms	12 x 20 cms

Ad. Material Artpull/Artwork/Positives
Payment by DD in favour of Director, Publications Division.
Material & Payment to be sent to :
Circulation & Advt. Manager, Publications Division, East Block-4,
Level-7, R.K. Puram, New Delhi – 110066.
Tel: 011- 6105590; Fax: 011- 6100207.

अधिशेष के साथ होगा। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से भारतीय रिजर्व बैंक को विभिन्न निवेशों और अन्य उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को उदारतापूर्वक उपयोग करने में मदद मिली है। इससे निगमित कंपनियों द्वारा लिए गए विदेशी कर्जों और सरकार द्वारा लिए गए भारी बहुपक्षीय कर्जों के पूर्व-भुगतान में भी मदद मिली है। विदेशी मुद्रा के आने वाले प्रवाह में काफी अंश अप्रवासी भारतीयों द्वारा जमा कराए गए धन और उनके द्वारा भेजे भुगतानों का होता है, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था और विकास संभावनाओं में उनके विश्वास को दर्शाता है।

वर्ष 2000-01 और 2002-03 के दौरान निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब ऐसा विश्वास व्यक्त किया जाने लगा है कि देश के निर्यात के क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 12 प्रतिशत के स्तर पर कायम रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2007 तक भारत का हिस्सा कुल विश्व-व्यापार में कम-से-कम एक प्रतिशत हो जाएगा। भौगोलिक तनावों और इराक युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई तेजी से तेल के आयात का खर्चा बढ़ गया है, लेकिन हमारा भंडार इस बोझ को उठा पाने में सक्षम है।

दुनिया-भर के वित्त बाजारों में अस्थिरता के दौरों के बावजूद भारत की विनिमय दर काफी हद तक स्थिर रही और मौद्रिक नीति के फलस्वरूप विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों को और भारी मात्रा में ऋण प्रवाह बना रहा है। 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में मुद्रा-स्फीति के घटने से भी ब्याज दरों को कम करने में मदद मिली है। ऋण दरों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के बावजूद खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार के बूते पर देश में कीमतों पर अंकुश रखा जा सका है।

प्रधानमंत्री ने सूखा-प्रभावित इलाकों में ग्रामीण रोजगार के सृजन के लिए 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम में नए प्राण फूंके हैं। उनकी सरकार ने निर्यात प्रतिबंधों को हटाकर और देश में खाद्यान्नों के आवागमन को सुविधाजनक बनाकर, कृषि क्षेत्र की कई बाधाएं दूर कीं। लोगों की खान-पान की बदलती आदतों को ध्यान में रखते हुए अनाज पर दिए जा रहे हैं अत्यधिक जोर के स्थान पर फसल विविधता पर जोर देने की एक योजना शुरू की जा रही है।

इस बीच, विश्व बाजारों में कृषि निर्यात का अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा कृषि व्यापार उदारीकरण के लिए आयोजित वार्ताओं में भारत बढ़-चढ़ कर भाग ले रहा है। विश्व में कृषि वार्ताओं के दौरान खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी, अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को कम करने की संपन्न देशों की अनिच्छा के कारण ये वार्ताएं समस्याओं में घिर गई हैं।

अगर भारत को सार्वजनिक निवेश के लिए बचत की जरूरत है, तो उसे कर और सकल घरेलू उत्पाद को अनुपात का बढ़ाना होगा, जो इस समय लगभग 10 प्रतिशत है। साथ ही बेहतर अनुपालन की दृष्टि से करों की दरों में कमी को भी मोटे तौर से स्थिर रखा गया है, ताकि किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न न हो। इन दिनों जोर करों के दायरे में और अधिक सेवाओं को लाने के बजाय, इस दायरे को विस्तृत करने पर दिया जा रहा है।

पिछले पांच वर्षों में अप्रत्यक्ष करों, उत्पाद और सीमा शुल्कों का सरलीकरण, एक उल्लेखनीय कर सुधार रहा है। इसके लिए दरों की संख्या को घटाकर तीन या चार किया गया है और उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि उससे मूल्यों में वृद्धि न हो। विश्व व्यापार संगठन के प्रति अपने दायित्वों और टैरिफ दरों के अनुसार बराबर लाने के लिए, सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर से सभी मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए हैं और 1992 के दौरान जारी अधिकतम 150 प्रतिशत आयात शुल्क को घटाकर अधिकतम औसतन 25 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत दसवीं योजना में वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात को 20 प्रतिशत घटाने और सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। इस योजना में वर्ष 2012 तक ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने से संबंधित अन्य सामाजिक लक्ष्य भी रखे गए हैं। यह योजना, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा धन और मानव संसाधन जुटाने के भरपूर प्रयासों पर निर्भर करेगी।

हाल ही में, पहली जून 2003 से देश में मूल्यवर्धित कर लगाकर पूरे देश को एकीकृत करने का एक बड़ा कदम उठाया गया है। इराक युद्ध समाप्त हो गया है और युद्धोपरांत पुनर्निर्माण की उसकी समस्याओं से निपटा जा रहा है। उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी से भारत, खाद्यान्न जैसी इराक की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ पुनर्निर्माण में अपना योगदान कर सकता है। प्रधानमंत्री ने इराक के साथ भारत की लंबी समय से चली आ रही मित्रता को ध्यान में रखते हुए, इराक के पुनर्निर्माण और उसकी जनता के पुनर्वास के किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में भाग लेने की भारत की तत्परता की घोषणा की है। तेजी से विकसित होने वाले देश के रूप में भारत की साख बढ़ती जा रही है और एक उदीयमान बड़ी शक्ति के रूप में उसे मान्यता भी मिलने लगी है। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

(पत्र सूचना कार्यालय से साभार)

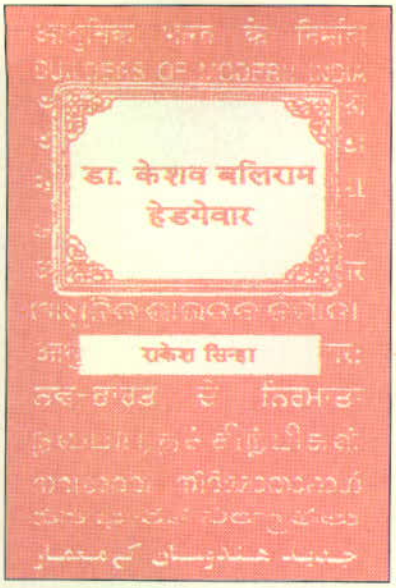

आधुनिक भारत के निर्माता शृंखला के अंतर्गत प्रकाशन विभाग की अनुपम भेंट

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित

डा. केशव बलिराम हेडगेवार

प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और तप:पूत देशभक्त के
जीवन और कृतित्व पर आधारित पुस्तक

लेखक : राकेश सिन्हा

ज्ञात और अज्ञात जानकारियों से भरपूर
एक महत्वपूर्ण संग्रहणीय ग्रंथ
बिक्री के लिए उपलब्ध

पृष्ठ संख्या : 220

मूल्य : 95.00 रुपये

अपने नजदीकी पुस्तक विक्रेता से संपर्क कीजिए अथवा प्रकाशन विभाग के किसी भी निम्नलिखित विक्रय केन्द्र को लिखें :

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

- पुस्तक दीर्घा, पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष-23387069)
- विक्रय केंद्र, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 (दूरभाष-24367260)
- हॉल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष-23890205)
- कामर्स हाउस, करीम भाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038 (दूरभाष-22610096)
- 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष-22488030)
- बिहार स्टेट कोआपरेटिव बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष-2300096)
- प्रेस रोड, नजदीक सरकारी प्रेस, तिरुअनंतपुरम्-695001 (दूरभाष-2330650)
- 27/6, राममोहन राय मार्ग, लखनऊ-226001 (दूरभाष-2208004)
- ब्लाक नं. 4 प्रथम तल, गृहकल्प काम्प्लेक्स, एम.जे. रोड, नामपल्ली, हैदाराबाद-500001 (दूरभाष-24606383)
- राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष-24917673)
- प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034 (दूरभाष-5537244)
- अंबिका कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, यूको बैंक के ऊपर, पालदी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष-26588669)
- नौजान रोड, उजान, बाजार, गुवाहाटी-781001 (दूरभाष-2516792)
- पी.आई.बी., सी.जी.ओ. भवन, ए विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (दूरभाष-2494193)
- पी.आई.बी., 80 मालवीय नगर, भोपाल-462003 (दूरभाष-2556350)
- पी.आई.बी., बी-7/बी, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001 (दूरभाष-2384483)

अधिक जानकारी के लि संपर्क करें :

व्यापार प्रबंधक (मुख्यालय)
प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001
दूरभाष संख्या-23387069/23386096, फैक्स-23387983, ई-मेल dpd@sb.nic.in

सदस्यता कूपन

❑ नई सदस्यता ❑ नवीनीकरण ❑ पता बदलने के लिए

(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं.....(पत्रिका का नाम एवं भाषा)

का ❑ वार्षिक (70 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (135 रुपये) ❑ त्रिवार्षिक (190 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं।

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता : .....

.....

.....

पिन .....

नवीनीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें [ ]

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ निम्न पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066,

दूरभाष : 26100207, 26105590

पहली प्रति की प्राप्ति हेतु आठ से दस हफ्ते का समय दें।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित कुछ नई पुस्तकें

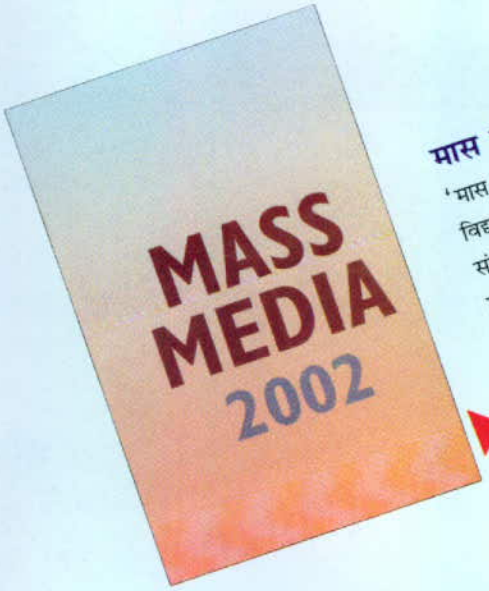

मास मीडिया 2002

'मास मीडिया इन इंडिया-2002' का यह 18वां संस्करण पत्रकारिता के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अनुसंधानकर्त्ताओं, नीति-निर्माताओं तथा मीडिया से संबद्ध अन्य व्यक्तियों के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है। केन्द्र एवं राज्यों में स्थित संचार संस्थाओं की व्यापक जानकारी इसमें प्राप्त हो सकेगी।

मूल्य : 235 रुपये
पृष्ठ संख्या : 351

मीरां : मुक्ति की साधिका

हिन्दी साहित्य के भक्ति युग में उपेक्षित नारी को एक नई पहचान और नई मर्यादा देने का काम किया था मीराबाई ने। मीरा के प्रामाणिक पद मूल भाषा में देने के साथ-साथ पुस्तक में कुछ लोकप्रिय पदों को भी समाहित किया गया है।

मूल्य : 465 रुपये
पृष्ठ संख्या : 92

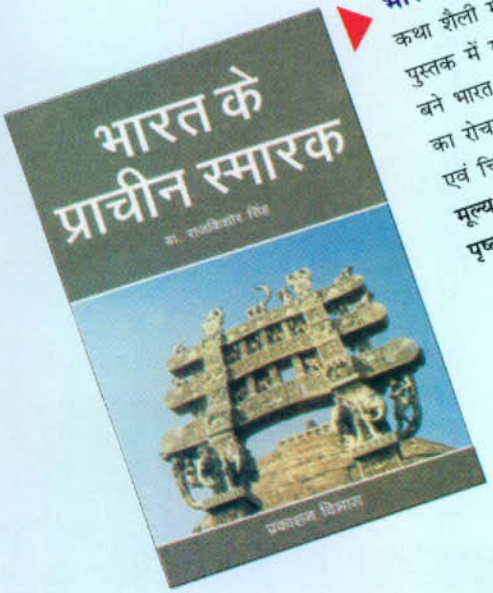

भारत के प्राचीन स्मारक

कथा शैली में लिखी गई इस पुस्तक में मुगल काल से पहले बने भारत के प्राचीन स्मारकों का रोचक और सजीव वर्णन एवं चित्रण है।

मूल्य : 65 रुपये
पृष्ठ संख्या : 51

विक्रय केन्द्र

प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्र

प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001; सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001; हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054; कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038; राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090; 8 एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-700069; बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004; प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम-695001; 27/6 राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ-226001; प्रथम तल, गृहकल्प काम्प्लेक्स, नामपल्ली, हैदराबाद-500001; प्रथम तल, 'एफ' विंग, केन्द्रीय सदन, कोरामंडल, बंगलौर-560034, अम्बिका काम्प्लेक्स, प्रथम तल, यूको बैंक के ऊपर, पालदी, अहमदाबाद-380007; नोझम रोड, उजान बाजार, गुहावटी-781001

पत्र सूचना कार्यालय के विक्रय केन्द्र : सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, 'ए' विंग, ए. बी. इंदौर (म.प्र.); 80 मालवीय नगर, भोपाल-462003; बी/7/बी, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001

उमाकांत मिश्रा, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा तारा आर्ट प्रेस, बी-4, हंस भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 में मुद्रित। दूरभाष : 23378626, 23379686
सहायक संपादक : योगेन्द्र दत्त शर्मा

रजि. सं. डी. एल. 12036/2003/05 तथा डाक व्यय की अदायगी के साथ डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त
Reg. No. D.L. 12036/2003/05 Licenced to post with payment at RMS, Delhi.

पंजी सं. 951/57
R.N. 951/57

अब प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता

एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के साथ

अब बाजार में उपलब्ध

मूल्य : 90/- बड़े साइज में पृष्ठ : 400

'प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी' का सामान्य ज्ञान की समसामयिक तैयारी में उत्कृष्ट योगदान रहा है.

– श्री कमल किशोर यादव

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा, 2002 में हिन्दी माध्यम से द्वितीय स्थान (OBC वर्ग में टॉपर) पर चयनित

'प्रतियोगिता दर्पण' एक अति उच्चस्तरीय मानक पत्रिका है. इसकी अध्ययन-सामग्री उत्कृष्ट गुणवत्ता से युक्त एवं विश्वसनीय होती है.

–श्री अंकुर गर्ग

सिविल सर्विस परीक्षा, 2002 में सर्वोच्च स्थान पर चयनित

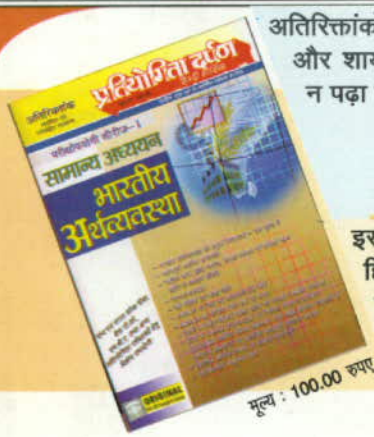

मूल्य : 100.00 रुपए

अतिरिक्तांकों की सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था का अंक है और शायद ही अंग्रेजी या हिन्दी माध्यम का विद्यार्थी ऐसा मिले जिसने यह न पढ़ा हो. प्रतियोगिता दर्पण की परीक्षोपयोगी सीरीज का कोई जवाब नहीं है.

–श्री अजय कुमार मिश्रा

सिविल सर्विस परीक्षा, 2002 में हिन्दी माध्यम से सर्वोच्च स्थान पर चयनित

इसके विज्ञान एवं अर्थशास्त्र अतिरिक्तांक काफी उपयोगी हैं. हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय का महत्वपूर्ण संकलन एक ही स्थान पर पा जाते हैं.

–श्री लोकेश कुमार सिंह

सिविल सर्विस परीक्षा, 2002 में हिन्दी माध्यम से तृतीय स्थान पर चयनित

Price : Rs. 100.00

मुख्य आकर्षण

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं–एक दृष्टि में • महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली • राष्ट्रीय आय, कृषि, उद्योग, विदेशी व्यापार, विदेशी ऋण आदि के अद्यतन आँकड़े • जनगणना-2001 • नई मौद्रिक एवं साख नीति • 2002-2007 के लिए नई आयात-निर्यात नीति • 2003-2004 का केन्द्रीय बजट एवं रेल बजट • दसवीं पंचवर्षीय योजना सहित भारत की समस्त योजनाएं • करेंसी एवं फाइनेंस पर रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट • भारत में संचालित रोजगारपरक एवं निर्धनता निवारण कार्यक्रम • भारत-2003, आर्थिक समीक्षा 2002-2003 तथा प्रमुख केन्द्रीय मंत्रालयों के नवीनतम प्रतिवेदनों पर आधारित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री • सामयिक आर्थिक विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ • महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न.

शीघ्र ही अपने निकटतम न्यूजपेपर एजेन्ट से सम्पर्क करें अथवा हमें 100 रु. का मनीऑर्डर भेजकर वी.पी.पी. द्वारा प्राप्त करें.

प्रतियोगिता दर्पण 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002 फोन : 2530966, 2531101, 2602653
फैक्स : (0562) 2531940; E-mail : pratiyogita_darpan@sancharnet.in

फोन नं. : दिल्ली 23251866, 23251844, इन्दौर 2535892, पटना 2300932, लखनऊ 2637349, इलाहाबाद 2461043, चरखी दादरी (01250) 220120, जयपुर 2326019, देहरादून 2658555, रायपुर 2533716, रांची 2307374, मुम्बई 22075640